राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १२ वां दिवस { संख्या १०

शुक्रवार, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक प्रातः ११ बज कर मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में रम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, सामान्य प्रशासन, गृह, कृषि, विकास, उद्योग, जल-प्रदाय, यातायात तथा विद्युत–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

तहसील चाकसू के अध्यापकों को यात्रा बिल पास करके पेमेंट किया जाना

२८५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा रेंगे :—

(१) तहसील चाकसू के माध्यमिक एवं ाथमिक स्कूलों में यात्रा व्यय के लिये सत्र ८–५९ में निरीक्षक, जयपुर पश्चिम के र्यालय के अन्तर्गत कितनी रकम की स्वीति हुई थी ?

(२) तहसील चाकसू के किन किन अध्यापकों को उक्त सत्र में यात्रा व्यय दिया गया ? अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या किसी अध्यापक का यात्रा व्यय अभी तक बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) इस समय तहसील चाकसू के कितने अध्यापकों के यात्रा बिल पास करने हेतु शेष हैं तथा सरकार इन बिलों का पेमेंट कब तक करने का विचार रखती है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) यात्रा व्यय के लिये धनराशि निरीक्षक के कार्यालय को इकट्ठी दी जाती है, तहसील-वाइज नहीं।

(२) केवल एक अध्यापक श्री लक्ष्मी-नारायण, प्रधानाध्यापक, कोटखावदा को यात्रा व्यय दिया गया।

(३) जी हां, क्योंकि शाला व्यय की ग्रान्ट की धनराशि समाप्त हो गई।

(४) ७ अध्यापकों का यात्रा व्यय बाकी है। इन बिलों का पेमेंट करने की जल्दी ही व्यवस्था की जा रही है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक हो जायेगी ?

Page No.2

श्री नाथूराम मिर्धा : दो हजार की मन्जूरी मांगी है वह राशि मिल जायेगी तो जल्दी ही पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : तारीख बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो बताना मुश्किल है पर जल्दी ही मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट में मायले कुए के पास के क्षेत्र के पानी को रोक कर बांध बनाना

२८६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि लालसोट में मायले कुए के पास के क्षेत्र का पानी व्यर्थ बह जाता है ?

(२) क्या सरकार उक्त क्षेत्र का पानी रोक कर बांध बनाने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखा भाई) : (१) जी हां, लालसोट के पास एक छोटा सा नाला बहता है और उसमें उस क्षेत्र के आस-पास का पानी बह जाता है।

(२) उस नाले पर बांध बांधने का कार्य अनुमानतः २५,०००) रु० की लागत से कम होने के कारण पंचायत समितियों के दायरे का हो जाता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वहां छोटा सा नाला नहीं है, दोनों पहाड़ों के बीच में बहता है, १००, २०० बीघा की पिलाई हो सकती है।

श्री भीखा भाई : हो सकता है माननीय सदस्य के दिमाग में दूसरा नाला हो।

(हंसी)

श्री दलपतसिंह (आबू) : इसका इर्रिगेशन करने के बाद में क्या पर्सेन्टेज आता है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : वह तो बहुत छोटा है जी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वहां करीब १॥ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री दलपतसिंह : आपने इसके मुतल्लिक कुछ एस्टीमेट करवाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस्टीमेट कराया उसी के आधार पर तो यह कहा है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : परसों तो इन्जीनियर साहब मिले थे उन्होंने कहा कि नहीं बना है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह अलग बात होगी, ३६ एकड़ तक उससे काश्त हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

Page No.3

बीकानेर-डूंगरगढ़ सड़क का निर्माण कार्य

२८७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बीकानेर-डूंगरपुर सड़क का कितना काम १९५९-६० में पूरा हो जाना चाहिये था ? फ्रीज्ड प्रोग्राम के मुताबिक काम पूरा हो सके उसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) नापासर-सिंथल व बीकानेर-करमीसर सड़कों के टुकड़ों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १) २ मील । कार्य-क्रम के अनुसार कार्य होने को ठेका दिया जा रहा है।

(२) नापासर-सिंथल सड़क का कार्य चालू है। बीकानेर-करमीसर सड़क अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न संख्या २८८

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २८९

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ।

कठपुतली नृत्य सम्मेलन, उदयपुर

२९०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

कठपुतली नृत्य सम्मेलन, जो दिनांक १३-११-५९ से दिनांक १७-११-५९ तक उदयपुर में हुआ है, उसमें कुल कितका खर्चा सरकार की ओर से हुआ ? इस पुतली नृत्य सम्मेलन से जनता को क्या लाभ हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उदयपुर में दिनांक १३ से १७ नवम्बर, सन् १९५९ तक जो पुतली नृत्य सम्मेलन हुआ था वह भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर द्वारा आयोजित किया गया था। सरकार द्वारा उपरोक्त संस्था को उनकी तृतीय एनिवर्सरी पर ७,०००) रु० अनुदान के रूप में दिये गये। यह अनुदान पुतली समारोह के लिये नहीं था इसलिये सरकार द्वारा खर्चा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। पुतली समारोह केवल भारतीय लोक कलामंडल की तृतीय एनिवर्सरी के कार्य-क्रम का एक अंग था।

जनता को इस पुतली नृत्य से मनोरंजन तथा सांस्कृतिक शिक्षण का लाभ हुआ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सांस्कृतिक लाभ कठपुतली से क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो अपनी सब्जेक्टिव चीज है, वे भी देखते तो उनको लाभ का पता लगता।

श्री श्रीभानसिंह : आपने देखा था, आपको सब्जेक्टिव लाभ क्या हुआ ?

Page No.4

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने नहीं देखा।

श्री श्रीभानसिंह : इस पपैट शो के लिये उदयपुर को क्यों चुना गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान लोक कला संस्थान कला की उन्नति का काम करती है और राजस्थान के फोक आर्ट्स को प्रोत्साहन देती है। वे अपनी एनिवर्सरी उदयपुर में मना रहे थे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस सलेक्शन में यह भी पोइन्ट ध्यान में रखा गया था कि उदयपुर में पपेटियर्स ज्यादा हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें तो सारे हिन्दुस्तान के १३, १४ आये थे।

प्रश्न संख्या २९१

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २९२

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

धौलपुर सब-डिविजन में डकैती की घटनाएं

२९३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) धौलपुर सब-डिविज़न में सन् १९५९ में कितनी डकैती की घटनाएं हुई और उन घटनाओं में कुल कितना धन लूटा गया ?

(२) सरकार ने इनमें से कितने डकैतों को आज तक गिरफ्तार किया है और कब कब ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५९ में धौलपुर सब-डिविजन में आठ डकैती की घटनाएं हुईं। इन डकैतियों में १,५६,६१८) रु० का धन लूटा गया जिसमें २,८८२) रु० का धन बरामद हो चुका है।

(२) पुलिस ने अब तक २६ डकैतों को गिरफ्तार किया है :—

तारीख	नम्बर डकैत जो पकड़े गये
१६–२–५९	१
१८–२–५९	२
२०–१०–५९	२
३१–७–५९	२
४–८–५९	१
१९–७–५९	१
२७–७–५९	१
२८–८–५९	१
१२–८–५९	१
२६–१०–५९	१
२७–५–५९	३
३०–५–५९	३
२७–१०–५९	१
२६–१०–५९	३ तथा दो डकैतों को २२-१०-५९
२६–११–५९	१ को गोली से मार दिया
२२–१०–५९	२

Page No.5

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस की सूचना के अनुसार वहां पर कितने डाके करने वाले हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पता नहीं।

प्रश्न संख्या २९४

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा

कोटा जिले में खरीफ अभियान दृष्टि से उठाये गये कदम।

२९५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०): क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) कोटा जिले में सन् १९५९ में खरीफ अभियान की दृष्टि से सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील बड़ौद, में दीगोद, इटावा, पीपल्दा, मांगरोल, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा और छीपा-बड़ौद में फड़का नाम के कीड़े ने सारी ज्वार की फसल खा डाली तथा खेत उजड़े पड़े हैं ?

(३) क्या यह सही है कि दिनांक १६-७-५९ की विकास समिति की बैठक में इस विषय का प्रश्न उठाया गया था तथा कृषि विभाग को विकास समिति ने कहा था कि वह तुरन्त इसकी रोक के लिये कदम उठाये ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस आदेश के बावजूद भी कृषि विभाग का कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं पहुँचा ?

(५) क्या सरकार भावी फसल के लिये ज्वार के बीज का संग्रह करेगी तथा खाद्याभाव को ध्यान मे रखते हुए ज्वार के निष्कासन पर प्रतिबन्ध लगावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष, अभी तक मेरे पास इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप इसका उत्तर नेक्स्ट टर्न पर देने की कृपा करें।

प्रश्न संख्या २९६

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखिये।

श्री रामनारायण वर्मा।

झुंझुनूं में ला इन्कम हाउसिंग के स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने में को गड़बड़ी

२९७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०): क्या मंत्री, विकास विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) झुंझुनूं में इस वित्तीय वर्ष में लॉ इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत अगस्त माह तक कुल कितने रुपयों का ऋण दिया गया है ?

(२) उपरोक्त ऋण को प्राप्त करने के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये व

Page No.6

(श्री रामनारायण वर्मा)

व कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया उनमें सरकारी कर्मचारी और सरकारी ठेकेदार कितने हैं ?

(४) क्या यह सही है कि यह ऋण कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी दिया गया है जो इन्कम टैक्स देते हैं तथा सरकार से लाखों रुपये के ठेके लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को ऋण क्यों दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस वित्तीय वर्ष में अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत झुंझुनू जिले में अगस्त के अन्त तक कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(२) उपरोक्त ऋण को प्राप्त करने के लिये २५ व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र दिये हैं। इनमें से १३ व्यक्तियों को ३०,००० रु० मंजूर किये गये हैं। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इन व्यक्तियों में ६ सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से ठेकेदार कोई भी नहीं है।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा जिले के बैल मेकेनाइज्ड कृषिफार्म

२६८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में कितने बैल मेकेनाइज्ड कृषि फार्म हैं ?

(२) ये फार्म किस-किस नाम से चल रहे हैं तथा इसके संचालक कौन-कौन हैं ?

(३) इन फार्म्स के अन्तर्गत अलग अलग कितनी-कितनी भूमि है तथा इस भूमि में से कितनी काश्त होती है तथा कितना रकबा अभी तक पड़त पड़ा है ?

(४) इन अलग अलग फार्मों में सरकार की कितनी रकम ऋण तथा सहायता के रूप में लग रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस प्रश्न का जवाब अभी कलेक्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में इसका जवाब दें।

प्रश्न संख्या २९९

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): १५ दिन में भी जवाब नहीं दिया जा सकता है

Page No.7

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री दयाकृष्ण विजय ।

आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट जयपुर

३००. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जयपुर में एक आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चलाये जाने के लिये कुछ धन-राशि राजस्थान सरकार को दी गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र अलग से प्रारंभ किया गया है ?

(३) कॉटेज इन्डस्ट्री इन्स्टिट्यूट, जयपुर तथा महाराजा क्राफ्टस स्कूल, जयपुर की आजकल क्या स्थिति है ?

(४) रीआर्गेनाइजेशन ऑफ कॉटेज इन्डस्ट्रीज के अन्तर्गत इस वर्ष कितना बजट स्वीकार किया गया है तथा यह राशि किस जगह उपयोग में आई है ?

(५) आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट में किस किस शिल्प की शिक्षा सन् १९५७-५८ में दी गई तथा वर्त्तमान में किस किस शिल्प की शिक्षा दी जा रही है ?

(६) सन् १९५७-५८ में विभिन्न शिल्पों में कितने कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की तथा वर्तमान में कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं ?

(७) क्या यह सही है कि इस इन्स्टिट्यूट की ओर से एक विज्ञप्ति द्वारा यह आव्हान किया गया था कि :—

(अ) छात्रवृत्ति ३० रु० मासिक दी जायेगी,

(ब) शिक्षण काल ढाई वर्ष का होगा, तथा ।

(स) कारपेन्टरी की भी शिक्षा दी जावेगी ?

(८) क्या यह सत्य है कि इस विज्ञप्ति के विपरीत छात्रवृति केवल २० रु० माहवार दी गई तथा कारपेन्टरी का शिक्षण केवल १ वर्ष देकर उस सेक्शन को तोड़ दिया गया ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री रिखबचंन्द धारीवाल) :

(१) जी हां ।

(२) यह केन्द्र अलग से प्रारंभ किया गया है ।

(३) कॉटेज इन्डस्ट्रीज इन्स्टिट्यूट, जयपुर तथा महाराजा क्राफ्ट्स स्कूल, जयपुर इस इन्स्टिट्यूट के आरम्भ होने से बन्द कर दिये गये हैं ।

(४) २,०६,२८० रुपये । यह राशि जैसे उपयोग में लाई जायेगी उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

सैरीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म, शाहबाद (कोटा)	१,००० रु०

अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

वूलन कॉटेज ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, बीकानेर ।	६६,१८० रु०

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आर्ट्स क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, जयपुर। १,३२,६३० रु०

ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, अजमेर: ६,४५० रु०

योग २,०६,२८० रु०

(५) सन् ५७-५८ में निम्नलिखित शिल्प की शिक्षा दी गई :—

(अ) १. कारपेन्टरी, २. धातु पर कलात्मक कार्य, ३. चीनी के बर्तन व कुट्टी के खिलौने बनाना, ४. रंगाई व छपाई ५. हाथीदांत व चंदन की खुदाई।

वर्तमान में निम्नलिखित शिल्प की शिक्षा दी जाती है :-

१. धातु पर कलात्मक कार्य, २. रंगाई व छपाई, ३ हाथीदांत व चन्दन पर खुदाई ४. चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, ५. कुट्टी के खिलौने बनाना, ६. पत्थर व संगमरमर पर खुदाई का कार्य, ७. सोने व चांदी पर मीनाकारी का कार्य।

(६) सन् ५७-५८ में विभिन्न शिल्पों में निम्न विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की :—

१ कारपेन्टरी	१०
२. धातु पर कलात्मक कार्य	११.
३. पोटरी	९
४. हाथीदांत व चन्दन की खुदाई	४.
कुल	३४.

तथा वर्तमान में निम्न विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं :—

१. धातु पर कलात्मक कार्य	१०
२. हाथीदांत व चन्दन की खुदाई	५
३. रंगाई व छपाई	१०
४. सोना, चांदी पर मीनाकरी का कार्य	१०
५. पोटरी	१०
६. कुट्टी के खिलौने बनाना	१०
७. संगमरमर के पत्थर पर खुदाई	६
कुल योग	६१

(७) जी हां।

(८) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब एक विज्ञप्ति द्वारा यह आह्वान किया गया था कि छात्रवृत्ति ३० रु० मासिक दी जायेगी तो फिर यह २०) माहवार ही क्यों दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: ऐसा था कि यह जो स्कीम है हैन्डीक्राफ्ट की इसका कार्य द्वारा का सारा इस इन्स्टिट्यूट में जो होता है वह ऑल इन्डिया हैन्डीक्रैफ्ट्स बोर्ड के आदेशानुसार होता है। पहले जैसा कि पांच में बताया गया कि ५ तरह के कार्यों में शिक्षा देने की कार्यवाही की गई थी। हमने सारी स्कीम उनके पास भेजी और उसमें ३०) रु०की छात्रवृत्ति देने के लिए लिखा गया लेकिन उन्होंने उस स्कीम को मंजूर नहीं किया और उसके

Page No.9

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बाद में दुबारा पहले मैंने पांच बताये उसके अलावा ७ तरह की शिल्प में काम करने की शिक्षा के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि स्थानीय छात्रों को २०)रु० माहवार और बाहर से आने वालों को ३०)रू० दिये जावें और सारा रुपया उनके पास से आया और उन्होंने हमारी सिफारिशों को मंजूर नहीं किया इसलिये वही किया गया जो उन्होंने स्वीकार किया।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह स्थानीय और बाहर के लोगों में डिफरेन्स क्यों रखा गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार करना पड़ता है। बाहर से आनेवालों को ज्यादा दिया जाय, इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि बाहर से आनेवालों को खर्चा ज्यादा पड़ता है और उनको शिक्षा दी जाती है उसका महत्व समझा।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कारपेन्टरी में ५७-५८ में १० विद्यार्थी थे तो फिर इस सेक्शन को खत्म क्यों किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑल इन्डिया हैन्डीक्रेफ्ट बोर्ड ने उसको मंजूर नहीं किया। जैसा मैंने बताया, कि प्रश्न ५ में बताया कि पहले कारपेन्टरी इसमें शामिल थी मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया और ७ तरह की शिक्षा देने के लिये कहा इसलिये मंजूर करना पड़ा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या राजस्थान सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि यह बोर्ड को लिख दे कि कारपेन्टरी को न तोड़ा जाय और फिर से चालू किया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस सिलसिले में हमने तो लिखा-पढ़ी की मगर उन्होंने कहा कि कारपेन्टरी में हमारे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। स्माल स्केल इन्डस्ट्री में भी इसकी शिक्षा दी जाती है। ऐसी सूरत में इसको बन्द करना पड़ा।

प्रश्न संख्या ३०१।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

भूतपूर्व कोटा स्टेट के वाटर वर्क्स विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन

३०२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या जल प्रदाय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या भूतपूर्व कोटा स्टेट के वाटर वर्क्स विभाग में काम करनेवाले सभी कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(२) जिन कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं हुआ है वे भूतपूर्व कोटा स्टेट में किस पद पर कार्य कर रहे थे तथा उन्हें क्या वेतन मिल रहा था तथा उनकी पोस्ट किस केडर की थी ?

(३) आज इन कर्मचारियों के सुपुर्द विभाग का कौन सा काम है तथा ये नये सेट-अप में किस केडर में हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हैल्थ डिपार्टमेंट से संबंध रखता है। हैल्थ मंत्री अपनी टर्न पर इसका उत्तर देंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने वाटर वर्क्स के बारे में पूछा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यही तो मैं कह रहा हूँ कि वह हैल्थ के अन्डर में है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोई भी जवाब दें, जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : हैल्थ मिनिस्टर की टर्न पर कहेंगे, ले लें।

नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह

जयपुर-देहली रूट पर काम में ली गई सरकारी बसें

३०३. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Transport be pleased to state:—

1. Whether the new buses meant for State Transport at Abu Road have been supplied to the State Transport at Abu Road?

2. If not, is it a fact that these buses are being utilised on Jaipur-Delhi route?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
1. Yes. These are being sent.

2. Question does not arise.

प्रश्न संख्या ३०४

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण शर्मा।

तहसील बड़ौद (कोटा) में नहर खुदाई करनेवाले मजदूरों की बकाया मजदूरी

३०५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या भारत सेवक समाज ने तहसील बड़ौद, जिला कोटा में नहर खुदाई का कार्य करवाया था ?

(२) क्या यह सही है कि बड़ौद तहसील में करवाये गये उक्त कार्य के अधिकांश मजदूरों के पैसे बाकी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) :
(१) जी हां।

(२) बकाया रकम की तादाद व उसके कारणों की सिंचाई विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राज्य सरकार के पास लोगों ने काम किया उसके पैसे नहीं मिले उसके लिये शिकायात आगई थी ?

श्री भीखाभाई : जी हां, अप्रेल, मई में आ गई थी। उसके बाद एग्जीक्युटिव इंजीनियर को लिखा गया। उसके बाद कोई

Page No.11

(श्री भीखाभाई)

शिकायत नहीं आई। इससे यह माना जाता है कि भारत सेवक समाज ने उनका पेमेंट कर दिया है।

प्रश्न संख्या ३०६

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थिति)

श्री लच्छूराम।

अलसीसर (झुंझुनूं) में एन. ई. एस. ब्लॉक खोलने की मांग

३०७. **श्री लच्छूराम** (मन्डावा) : या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलसीसर, जिला झुंझुनूं में सन् १६५६ में विकास खण्ड खोलने का सरकार का इरादा था ?

(२) अगर हां, तो २ अक्टूबर, १६५६ से अलसीसर में शेडो ब्लॉक ही क्यों खोला गया ?

(३) क्या सरकार सन् १६६० में वहां एन० ई० एस० ब्लॉक खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री संपतराम) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता। विकेन्द्रीकरण के साथ २-१०-५६ से सारे राज्य में पंचायत समितियां बनीं और जहां सामुदायिक विकास का कार्य चालू नहीं हो चुका था वहां शेडो ब्लॉक ही खोले गये।

(३) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री लच्छूराम : यह ब्लॉक खोल दिया जावेगा तो फिर शेडो ब्लॉक कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

श्री सम्पतराम : शेडो ब्लॉक तो नॉन ब्लॉक्स एरियाज में खोले गये हैं। किसी जिले में किसी ब्लॉक का प्रेक्टिकल शेप में रुपया देकर काम शुरु कर पायेंगे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : एन. ई. एस० और शेडो ब्लॉक में क्या फर्क है ? कितने गांव आते हैं ?

श्री सम्पतराम : एन. ई. एस. कोई ब्लॉक नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : शेडो ब्लॉक तो बिलकुल शेडो ही होता है।

(हंसी)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : ये शेडो ब्लॉक राजस्थान में कब मिट जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल : ब्लॉक कितनी स्टेज के होते हैं ?

श्री सम्पतराम : दो, तीन।

श्री शंकरलाल : बी. डी. ओज. के पास जो काम था वह कम हो गया है। डवेलपमेंट कमेटीज से जो काम होते थे और रुपया दिया जाता था वह भी खत्म हो गया तो कब तक ये ब्लॉक्स खोल दिये जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से और दूसरी स्टेट्स में, जैसा होगा वैसा यहां भी होगा। यह कहना कि शेडो ब्लॉक्स में काम नहीं होता है यह गलत है। चार आना रेवेन्यू से दे रहे हैं और दूसरा यह है कि समिति या शेडो ब्लॉक्स को लोकल कन्डीशन्स के अनुसार रुपया वितरण करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लच्छूराम।

झुंझुनूं जिले को भाखरा से मिलने वाली बिजली

३०८. **श्री लच्छूराम** (मन्डावा) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

जिला झुंझुनूं में भाखरा की बिजली कब तक आ जायेगी तथा यह बिजली उस जिले के किन किन गांवों को मिल सकेगी ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री भीखाभाई) : इस वर्ष के अन्त तक पंजाब ने राजगढ़ पर बिजली देने की आशा व्यक्त की है। राजगढ़ में बिजली मिल जाने के दो माह के अन्दर झुंझुनूं जिले के निम्नलिखित ग्रामों को बिजली मिल सकने की संभावना है:-

(१) सूरजगढ़,

(२) चिड़ावा,

(३) पिलानी तथा

(४) झुंझुनूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : गंगानगर को बिजली देने की आशा है ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : पहले झुंझुनूं का तो हो जाय।

श्री लच्छूराम : इन गांवों में कब तक बिजली आयेगी ?

श्री भीखाभाई : मेरे प्रश्न के उत्तर में मैं निवेदन कर चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): भाखरा से बिजली मिलनेवाली है तो जितनी बिजली हम चाहते हैं क्या उतनी बिजली मिल सकेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : फर्स्ट स्टेज में ४,५०० किलोवाट मिलनेवाली है।

श्री मुरलीधर व्यास : डिमान्ड ज्यादा है।

श्री रामकिशोर व्यास : डिमान्ड के माफिक तो नहीं मिलेगी। हिस्सा होगा जितना मिलेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दूसरे पॉवर हाऊसेज हैं वे उसी प्रकार काम करते रहेंगे ? बीकानेर में बिजली देंगे तो क्या वहां के पॉवर हाउस को बन्द कर देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : बन्द नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष श्री शंकरलाल।

Page No.13

पुलिस थानों के रोजनामचों में नोट की जानेवाली खतरनाक व्यक्तियों की गतिविधियां

३०१. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) क्या पुलिस थानों के रोजनामचों में खतरनाक व्यक्तियों के जीवन की गतिविधियों को नोट किया जाता है ?

(२) क्या किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अपनी इच्छा से ही खतरनाक दर्ज कर सकता है अथवा उसके आधार पे सबूत का भी इन्द्राज किया जाता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) खतरनाक व्यक्तियों की गतिविधियों का, इन्द्राज अक्सर हिस्ट्रीशीट में और खास घटनाओं का पुलिस स्टेशन के रोजनमाचे में भी होता है।

(२) किसी व्यक्ति को खतरनाक मानने के लिए पुलिस अधिकारी अपना जुडिशियल निर्णय काम में लाते हैं और ऐसा निर्णय उचित कारणों पर आधारित होता है।

श्री शंकरलाल : जुडिशियल निर्णय किस आधार पर काम में लाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए रूल्स बने हुए हैं।

श्री शंकरलाल : कहां विज्ञापित हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान पुलिस गजट।

श्री शंकरलाल : क्या ये जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री शंकरलाल : क्या जिनके नाम उसमें इन्क्ल्यूड किये जाते हैं तो क्या उनको भी इत्तिला दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें सारा प्रोवाइड है।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

मलसीसर ब्लॉक (झुंझुनूं) के गांवों में उपलब्ध खारे पानी की समस्या को सुलझाया जाना

३१०. श्री लच्छूराम (मन्डावा) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि मलसीसर ब्लॉक, जिला झुंझुनूं के ५३ गांवों में खारा पानी है ?

(२) क्या यह सही है कि इन गांवों की लिस्ट Drinking Water Scheme के Questionnaire के जवाब में कलेक्टर, झुंझुनूं व इलाके के विधान सभा के सदस्य द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दी गई थी ?

(३) यदि हां, तो सरकार अब इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, थोड़ा थोड़ा खारा है।

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) जी हां।

(३) सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार करेगी ?

श्री लच्छूराम : आपने फर्माया कि थोड़ा थोड़ा खारा है तो इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खारा भी है, लोग पीते भी हैं उसको।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पीने लायक भी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पीढ़ियों से पीते हैं।

श्री लच्छूराम : ५३ गांवों में बिलकुल खारा पानी है। पीढ़ियां से काम में लाया जाता है तो फिर 'थोड़े थोड़े खारे' पानी का सवाल नहीं उठता है। इसके लिए प्रतिनिधियों ने भी लिस्ट दी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ज्यादा खारा कह दीजिये उससे कोई मतलब हल नहीं होता। मीठे पानी की जहां व्यवस्था नहीं है उसको करने के लिए सारे राजस्थान के लिए एक कमेटी निर्माण की गई। कमेटी ने सारे स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट किये, जनता के सामने उसकी रिपोर्ट आ रही है और अच्छे, मीठे पानी की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो किया जा सकेगा वह किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके विचार में कब से किया जावेगा यह भी बतायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको सुनाऊं तो आधा घंटा भाषण देकर ही पूरी बात बता सकता हूँ। जहां मीठे पानी के सोर्सेज होंगे वहां से पाइप लाइन लगा कर किया जावेगा, जहां मीठे पानी के कुए हैं वहां पर उनको कनेक्ट किया जावेगा, जहां कुए नहीं बन सकते हैं वहां टांके बनाये जावेंगे। यदि मीठे पानी के तालाब हैं तो उनको पक्का कराया जायेगा, उनको डीप कराया जायेगा, पानी का इवोपोरेशन कराया जायेगा। इन सारे कामों को करने के लिए धन की आवश्यकता है।

श्री लच्छूराम : खारे पानी की समस्या कब तक हल हो जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मियाद मुकर्रर करना तो जरा मुश्किल है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रश्न को काफी जोरों से टेकल किया जावेगा।

श्री लच्छूराम : तृतीय पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो छः वर्ष पड़े हैं, छः वर्षों में जो कुछ कर सकेंगे, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लच्छूराम।

अलसीसर (झूंझुनू) में जानवरों के अस्पताल की मांग

३११. **श्री लच्छूराम** (मन्डावा) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री लच्छूराम)

(१) क्या सरकार को विदित है कि जिला झुंझुनूं की तहसील झुंझुनूं, जिसकी आबादी २ लाख की है, में केवल एक जानवरों का अस्पताल झुंझुनूं प्रोपर में ही है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार अलसीसर में जो तहसील के उत्तरी एरिया के मध्य में है अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री लच्छूराम : तो कब खोलने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेकिन्ड प्लान के अन्त में कोशिश करेंगे । यदि अगले साल नही खोल सके तो थर्ड प्लान में।

श्री लच्छूराम : क्या यह समझा जाय कि अगले वर्ष ६१ में अस्पताल खोल दिये जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : जानवरों के अस्पताल किस आधार पर खोलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसील हैडक्वार्टरों पर खोलने की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में इसके लिए कोई योजना बनी हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह योजना है कि जानवरों के अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को कवर कर सकें। काफी कर चुके हैं। २०-४० बाकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का अन्दाज लगाया।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस क्राइटेरिया में तो आता नहीं है। लेकिन वहां पर जानवरों के अस्पताल कम हैं और एरिया दूर पड़ता है। यदि अगले साल फन्ड्स उपलब्ध हुए तो ३०-४० खोल सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : तहसीलों के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं; लेकिन २ लाख जानवरों की आबादी के के लिए खोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान बहुत बड़ा है। तहसीलें भी बहुत बड़ी हैं। एक तहसील में पांच लाख जानवर भी हो सकते हैं और उनका एक जगह पर इलाज नही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही जिले के लिये इर्रिगेशन डिविजन

३१२. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for irrigation be pleased to answer :—

1. In view of the various minor and medium irrigation works to be started in Sirohi District, does the Government realise the necessity of opening a separate Irrigation Division

(श्री मोहब्बतसिंह)

for that District by posting an Executive Engineer as Incharge of the works which have already been started and which are to be started ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखा भाई) : The present work load in the Sirohi area does not justify creation of a Project Division in the area. A separate Construction Division will however be opened after the medium schemes of Sukli, Khari Storage and Bandi are sanctioned and taken up for execution.

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

संचालक, पशु पालन व प्रिन्सिपल, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना

३१३. श्री सूरजल (फलोदी–मु०) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि गत वर्ष पशु चिकित्सा महा विद्यालय, बीकानेर के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा फल ५० प्रतिशत से भी कम रहा ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह भी सच है कि संचालक, पशु पालन व प्रिन्सिपल, पशु चिकित्सा महा विद्यालय के दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करने से ही परीक्षा-फल कम हुआ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व प्रिन्सिपल के जमाने में शत प्रतिशत परीक्षा फल रहा है ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है मुझे ।

(हंसी)

श्री सूरजमल : कब तक उत्तर दे दिया जावेगा ।

श्री दौलतराम सारण : अगली टर्न पर दे देंगे ।

(उत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह ।

धौलपुर कोर्ट बिल्डिंग के सामने स्थिति बाग की व्यवस्था

३१५. डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या धौलपुर कोर्ट बिल्डिंग के आगे जो भूमि बाग की पड़ी हुई है वह पी० डब्ल्यू०, डी० के अन्तर्गत है ?

(डॉ० बहादुरसिंह)

(२) यदि हां, तो क्या इसमें बाग है ? यदि हां, तो किस स्थिति में है ?

(३) क्या इस बाग के पास सिंचाई हेतु कुआ भी है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस बाग को सुन्दर रूप से रखे जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसकी पूरी इन्फोर्मेशन अभी कलेक्ट नहीं हो पाई है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आज तो बहुत सवाल बाकी रह गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल यह है कि नोटिस बहुत थोड़े में पहुंचता है और इसलिये मैटीरियल कलेक्ट नहीं हुआ। मैटीरियल बहुत कलेक्ट होना था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : नोटिस कब पहुंचा ? यह तो ऐसा प्रश्न नहीं है कि मैटीरियल कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत हो, Dholpur is connected by telephone.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : पहले अगर जवाब न देना हो तो सूचित करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके ऑफिस में भिजवा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑफिस में भिजवा दें तो, ऑफिस में तो ....

श्रीमती सन्तवतकौर (करणपुर) : सीलिंग में लग रहे हैं इसलिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। लम्बे समय तक भी सूचना नहीं दी जावेगी, इसकी क्या गारन्टी रही ? फिर दो,दो, तीन, तीन महीने तक सवाल आवेगा तो समय पर जवाब न मिलने से पूछने का मतलब ही समाप्त हो जाता है। फिर सवाल के जवाब के लिये सरकार ने होनेवाला खर्चा भी काफी बताया है। इतना खर्चा लगने के बाद भी ठीक समय पर प्रश्न का जवाब न मिले तो यह तो अच्छी बात नहीं है, तब तक तो पूछने का मतलब ही निकल जाता है। पन्द्रह दिन का नोटिस कम नहीं होता, इतने दिनों में तो सवाल का जवाब मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह तक तो पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोशिश तो करेंगे। पहले भी कोशिश तो कर रहे हैं, यह कोई मंशा नहीं रहती कि उत्तर न दिया जावे। पर सम टाइम्स पूरी कोशिश करते हुए भी परिणाम कम आता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास तो स्टाफ भी बहुत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

Page No.18

मैट्रिक या उससे अधिक योग्यतावाले अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड देने की व्यवस्था

३१६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बजट मार्च, १९५९ में उन अध्यापकों के लिये जो मैट्रिक या उससे अधिक योग्यता रखते हैं उन्हें एकेडेमिक सेशन से मैट्रिक ग्रेड देने की घोषणा सरकार ने की थी ?

(२) क्या इसके लिये बजट में विशेष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

(३) यदि कर दी गई है, तो क्या पे ड्रॉ करने के लिये ड्राइंग-ऑफिसर्स के पास वित्त विभाग की स्वीकृति पहुंच गई है ?

(४) यदि नहीं तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा और अध्यापकों को किस माह से इस आदेश के अनुसार वेतन मिलना आरम्भ होगा ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) यह वेतन अध्यापकों को १ अप्रेल, सन् १९५९ से मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

सिंचाई विभाग द्वारा लगाये गये पेड़

२८८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सिंचाई विभाग द्वारा सन् १९५५ से सन् १९५९ तक कितने पेड़ लगाये गये जो इस वक्त मौजूद हैं ?

(२) टोंक डिस्ट्रिक्ट में लगाये गये पेड़ों की संख्या कितनी है ?

(३) उपरोक्त सालों में इस विभाग द्वारा उक्त कार्य में कितने रुपये खर्च किये गये ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : पेड़ कितने हैं, कितने लगाये गये, कितने रुपये खर्च किये गये, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय लगेगा इसलिये आज उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(हंसी)

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): ५५ से ५९ तक कितने पेड़ लगाये गये, कितने मौजूद हैं यह पूछा है, इसमें समय लगेगा ही।

श्री अध्यक्ष : टोंक डिस्ट्रिक्ट का ही बता दीजिये।

(विराम)

नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

Page No.19

टीचर्स ट्रेनिंग कालेजेज में प्राइवेट विद्यार्थियों का प्रवेश

२८९. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज में प्राइवेट विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है? यदि हां, तो किस नियम या आज्ञा द्वारा? कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) सन् १९५९ के सैशन के प्रारम्भ में कितने प्राइवेट छात्रों को प्रवेश मिल सका तथा कितने छात्रों के आवेदन-पत्र खारिज किये गये और क्यों? जिनको प्रवेश मिला है उनकी प्रत्येक की आयु कितनी कितनी है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण किया गया है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज में भर्ती होने के लिये विद्यार्थियों की आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा? यदि हां, तो कब? ऐसे स्पष्टीकरण सम्बन्धी आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : प्राइवेट छात्रों के लिये उम्र की क्या पाबन्दी रखी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : २४ वर्ष।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में यह बताया था कि इस प्रकार के प्राइवेट छात्रों पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो पाबन्दी होनी जरूरी है। मुझे याद नहीं कौन से प्रश्न की सूचना में बताया। पर २४ वर्ष से ज्यादा तो सर्विस में भर्ती भी नहीं हो सकते।

श्री भैरोंसिंह : प्राइवेट छात्रों के लिये पूछ रहा हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइवेट छात्रों की कह रहा हूँ। ज्यादा की करने पर तो २५ साल से उम्र ज्यादा हो जावेगी। उनको सर्विस में एन्टर नहीं कर सकते। इसमें एक साल ट्रेनिंग का गिन लीजिये। इसलिये २४ है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि कोई प्राइवेट छात्र गवर्नमेन्ट सर्विस में न जाना चाहे फिर भी इस प्रकार का शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, वह नहीं कर सकता।

Page No.20

श्री भैरोंसिंह : मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी को बताना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में दो प्रश्न पहले इसी सदन में पूछे जा चुके हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कमिटमेन्ट हो चुका है। उस समय जवाब देनेवाले न शिक्षा मन्त्री आज यहां मौजूद हैं और न उपशिक्षा मन्त्री ही मौजूद हैं। उन दोनों की अनुपस्थिति में ऐसे मन्त्री जवाब दे रहे हैं जो लिखा हुआ उत्तर पढ़ देने के अलावा पूर्वापर सम्बन्ध से कतई अपरिचित हैं।

(हंसी)

इसलिये मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर उपशिक्षा मन्त्रीजी से या मन्त्रीजी से दिलाया जावे। इस तरह से बिना जानकारी के पूछना तो बेकार है। सदन का समय भी बेकार जाता है।

श्री अध्यक्ष : पर इनके पास के नोट्स तो यही कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पर पिछले नोट्स क्या कहते हैं यह इनको नहीं मालूम है। पहले दो बार पूछा। एक मैंने पूछा, एक श्री गिरधारीलाल जी ने पूछा।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो बार सवाल पूछने के बाद तिबारा क्यों पूछा ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : इसलिए कि मैंने जो पूछा और जो उत्तर मुझे दिया गया और जो उत्तर श्री गिरधारीलालजी के प्रश्न के उत्तर में दिया गया, दोनों में अन्तर था। इसलिये 'तिबारा' पूछने की आवश्यकता पड़ी कि इन दो जवाबों में कौन सा जवाब सही है ? पर इसके बजाय आपने एक तीसरी ही तरह का जवाब दे दिया।

(हंसी)

अब इन तीन में से कौन सा सरकार का जवाब सही है और किस पर अमल करना चाहिये, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहला कौन सा दिया गया उसे आप पढ़कर सुना दीजिये। मैं तो समझता हूँ कि जवाबों में कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अभी जवाब दिया गया कि २५ साल के ऊपर के शिक्षक को नहीं लिया जाता है। पर मैं बताऊं कि लेक्चरार के लिये तीस साल की भी छूट है तो इस तरह यह जवाब जो दिया गया है यह गलत है। मन्त्री महोदय को पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नोटिफिकेशन में सारी शर्तें दर्ज हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर कोई ट्रेन्ड होकर प्राइवेट संस्था में जाना चाहे तो उधर भी जा सकता है, कोई लेक्चरार बनना चाहे तो वह बन सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेक्चरार का यहां सवाल नहीं है। ट्रेनिंग के टीचर्स का सवाल है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप सवाल को समझें तो पूरी तरह ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : जवाब तो ठीक तरह से दिया और मैं तो ठीक तरह से ही समझकर जवाब दे रहा हूँ। आप लेक्चरार को इसमें घुसेड़ रहे हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एजूकेशन कोड में प्राइवेट विद्यार्थियों के लिये ३५ वर्ष की आयु निर्धारित की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस चीज के लिए ?

श्री भैरोंसिंह : स्कूल में एजूकेशन प्राप्त करने के लिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह एडमिशन का सवाल है, टीचर्स की ट्रेनिंग का बी. एड. का।

श्री भैरोंसिंह : प्राइवेट के लिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३० का हो नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एजूकेशन कोड के अन्दर आर्टिकल नम्बर में प्राइवेट छात्रों की उम्र का जिक्र ३५ साल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप दिखलाइये।

श्री भैरोंसिंह : आप इन्कार कर दीजिये कि नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जिसको जानता नहीं उसके बारे में इन्कार कर नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। आप पढ़कर सुना दें।

श्री भैरोंसिंह : पढकर सुनाने की मेरी ड्यूटी थोड़े ही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आप कहते क्यों हैं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think this direct exchange should be stoped in the House.

श्री अध्यक्ष : उनके खाते ऐसे ही पड़े हुए हैं।

(हंसी)

सवाल यह है हरेक आदमी के एडमिशन के लिये तो है नहीं। गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं, प्राइवेट वालों को भी बॉन्ड भरना पड़ता है कि इतने साल सरकारी सर्विस में रहना होगा और उनकी सारी शर्तें पूरी करने पर एडमिशन मिलता है। They are not like other institutions in which any one can seek admission.

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है साहब। पर एजुकेशन कोड में प्राइवेट विद्यार्थियों के लिये भी शिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था रखी है जिसके अनुसार ३५ वर्ष से कम जिसकी उम्र है वह भी पढ़ाई कर सकता है और इस प्रकार की कोई कण्डीशन नहीं है कि बॉन्ड भरना पड़ेगा। ३५ वर्ष तक के विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जा सकता है। उस समय बॉन्ड भरने की जरूरत पड़ती है जबकि वह फीस न देता हो। फीस देने पर बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं और इस फीस के आधार पर शिक्षण प्राप्त कर सकता है। अब वहां से पढ़ कर वह प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स भी हैं, वहां सर्विस कर सकता है जो गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं है। फिर ऐसी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण दिलाने के लिये किसी व्यक्ति को शिक्षण इसमें दिलवाना चाहते हों तो उन सबको लेकर ऐसा प्रोविजन रखा है और उसी के मातहत में सवाल पूछ रहा

(श्री भैरोंसिंह)

हूं। जो बोन्ड भरना नहीं चाहता और प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करके प्राइवेट वेट इन्स्टिट्यूशन्स में शिक्षा देना चाहता हो उनके लिये मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : उसका प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पर इसमें तो है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्राइवेट लोग पढ़ते तो हैं और उम्र भी आपने जैसी कही उससे ज्यादा उम्र के लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा मुझे खयाल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

रिश्वतखोरी पर नियन्त्रण हेतु अधिकारी की नियुक्ति की मांग

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) रिश्वतखोरी के कितने मामले प्रत्येक जिले में जनवरी, सन् १९५५ से अब तक पकड़े गये ?

(२) सरकार को इनमें से कितने मामलों में सफलता प्राप्त हुई ?

(३) क्या सरकार हर जिले के केन्द्र पर रिश्वत रोकने हेतु अधिकारी नियुक्त करने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के जो अभियोग पंजीबद्ध किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) २९२ अभियोगों में से जो परिशिष्ट 'क' में बताये गये हैं १०७ चालान हुए। इनमें से ६५ जेर तजवीज अदालत हैं, २३ में सजा हुई, १९ में मुलजिम बरी हुए, ८ मुकद्दमात में विभागीय दण्ड दिया गया। ८८ जेर तफतीश हैं और ९७ में फाइनल रिपोर्ट दी गई।

(३) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से केसेज साबित हो जाने पर भी फाइनल चालान के लिये सरकार या विभागीय मिनिस्टर की इजाजत की जरूरत होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो हर केस में गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिये इजाजत लेनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या इन मामलों में वह मामला भी शामिल है कि हाल ही में एक सरकारी अधिकारी के कब्जे से ६ लाख के नोट पकड़े गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं। मुझे मालूम नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : लिस्ट तो दी होगी न। अध्यक्ष महोदय, लेटेस्ट लिस्ट मांगी है।

श्री रामकिशोर व्यास : जिलेवार नम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर जिले में ?

श्री रामकिशोर व्यास : नाम नहीं मांगे, नम्बर हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नगर, सरपंच के खिलाफ ३ मुकद्दमे रजिस्टर होकर दो का चालान हो चुका और उसमें विभागीय मिनिस्टर की स्वीकृति लेनी बाकी है तो क्या यह सच है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब कौन से मुकदमे में क्या बाकी है, यह तो इस वक्त अर्ज नहीं कर सकता। अलग से पूछेंगे तो जानकारी करके अर्ज कर दूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जी हां, तो यह फिर बता देना।

श्री शंकरलाल (रायपुर): कितने मामले गजेटेड और कितने नॉन-गजेटेड के हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना नहीं है।

श्री शंकरलाल : सूचना किस बात की ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो पूछा उस बात की।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें श्री ओ० एन० ओशी, माइनिंग इन्जीनियर का भी नाम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लिस्ट में नाम वाइज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट में देख कर बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : लिस्ट ऐसी है कि किस जिले में कितने हैं, नाम नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जहाजपुर में ब्लॉक तहसील तथा बीज गोदाम के लिये बनाये जा रहे भवन

२९२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मन्त्री सार्वजनिक निर्माण निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जहाजपुर में ब्लॉक, तहसील तथा बीज गोदाम के लिये जो भवन बनाये जा रहे हैं उनके लिये जो पहले स्थान चुना गया था वहां अब भवन नहीं बनाये जा रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पहलेवाले स्थान पर नींव खुदवाली गई थी ? यदि हां, तो इस नींव खुदवाने के आइटम पर हर भवन के लिये कितना कितना खर्च हुआ ?

(३) इस स्थान का सलेक्शन किसने किया था और इसमें परिवर्तन कैसे किया गया ? इस गलत सलेक्शन के लिये कौन जिम्मेवार है ?

(४) क्या यह सही है कि पहलेवाले स्थान से मैटीरियल दूसरे स्थान पर ले जाने

Page No.24

(श्री भैरोंसिंह)

के लिये भी कॉन्ट्रेक्टर को अधिक रुपये देने पड़ेंगे ? यदि हां, तो कितने ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, बाद में क्वार्टरों का नंम्बर बढ़ जाने से जमीन की कमी पड़ गई, इसलिये दूसरे स्थान की तजवीज करनी पड़ी।

(२) जी हां, ब्लॉक बिल्डिंग पर लगभग ७० रुपये, बीज गोदाम पर लगभग ५० रुपये और तहसील भवन पर लगभग ४०० रुपये व्यय हुआ।

(३) ब्लॉक बिल्डिंग के बनाये जाने की जगह का निर्णय भी कलेक्टर, भीलवाड़ा ने जोनल डेवेलपमेंट ऑफिसर के परामर्श से किया था और इसका समर्थन उत्तर प्रश्न १ से भी होता है, सवाल ही नहीं उठता।

(४) ठेकेदारों ने पुरानी जगहों पर मैटीरियल इकट्ठा नहीं किया था इस कारण पेमेन्ट का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय साइट का सलेक्शन किया गया था उस समय मकान का जो एस्टीमेट था उससे कितना ज्यादा मकान दूसरे प्लैट पर बनाने का सरकार का निर्णय है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले केवल ३ एक्सटेन्शन क्वार्टर्स के निर्माण की योजना थी और अब सिर्फ ३ क्वार्टर्स बढ़ गये इस तरह १२ हो गये।

श्री भैरोंसिंह : १२ किस तरह, यह तो ६ हुए।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : ६ और हैं बाद में छोटे कर्मचारियों के।

श्री भैरोंसिंह : यह डिसीजन कब लिये गये ? पहले इस तरह के डिसीजन लिये जा चुके थे या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो तारीख मेरे पास है नहीं। पहले तीन की बात थी, बाद में जब १२ हो गये तो वह जगह स्टेबल नहीं रही।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय तीन के लिए साइट का सलेक्शन हुआ उस समय ही कलेक्टर के यह ध्यान में था कि इतने भवन बनाने हैं क्या यह सही नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय ध्यान में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय जिस जमीन पर काम का ठेका दिया गया था उस समय कलेक्टर ने कन्ट्रॉक्टर से एडीशनल क्वार्टर्स बनाने के लिये टेन्डर के रूप में बातचीत की थी और तीन के लिये डिसीजन भी ले लिया था शायद ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर जानकारी में क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो था सारा बतला दिया।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

ग्राम आमेसर (भीलवाड़ा) के काश्तकारों की गिरफ्तारी एवं उनके साथ ज्यादतियां

२९६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम आमेसर, ज़िला भीलवाड़ा के काश्तकारों को आसीन्द कृषि सहकारी समिति की शिकायतों पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो किस किस जुर्म में, किस किस तारीख को और किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

(२) आसीन्द कृषि सहकारी समिति द्वारा किस किस तारीख को पुलिस में क्या क्या शिकायत की गई तथा किस किस धारा के अन्तर्गत किस किस नम्बर पर जुर्म कायम हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस ने काश्तकारों के घरों की तलाशी ली, उन्हें बेइज्जत किया, उनको सरे आम पीटा व हथकड़ियां डाल कर घुमाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि स्थानीय काश्तकारों ने जिला अधिकारियों के समक्ष इस बात की शिकायत की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(५) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा किसानों का अदालत में चालान भी किया गया है ? यदि हां, तो किन किन का, किस किस धारा के अन्तर्गत, किस किस अदालत में व कब कब ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सूची उनके गिरफ्तारी की तारीख व कानून की दफ़ा सहित संलग्न है।

(२) दिनांक २५।४।५९ को कृषि सहकारी समिति, आसीन्द ने घास चारे व अनाज में व अन्य पैदावार पर आग लगाने की शिकायत की, जिस पर एक मुकदमा नम्बर २० थाना बदनोर में दफा ४३५।१४८ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

(३) जी नहीं। कोई काम बिना जाब्ते का नहीं किया गया।

(४) स्थानीय किसानों ने एस० पी०, भीलवाड़ा व डी० एम०, भीलवाड़ा के पास शिकायत की। वे गांव में गये और स्थानीय व्यक्तियों से बातचीत की। डी० वाई० एस०-पी०, भीलवाड़ा से भी आवश्यक जांच कराई गई।

(५) सभी पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध ७।६।५९ को एस० डी० एम०, गुलाबपुरा की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा ४३५, ४२८, १४९ व ४४० में चालान पेश

(श्री रामकिशोर व्यास)

कर दिया गया है जो अदालत में जेर तजवीज है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

खटीक सम्मेलन सांभर

२९९. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अप्रेल-मई, १९५९ में सांभर में खटीक जाति का कोई सम्मेलन हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि सर्व श्री हासाचरण बगरूवाले, सुखराम अरडाकावाले, गुलाबचन्द नावरचा जयपुरवाले, गुलाबचन्द बागड़ी, जयपुर व अन्य खटीकों ने पुलिस की सहायता से सम्मेलन में बाधा पहुंचाई ?

(३) क्या यह सही है कि सम्मेलन के निमित्त आये हुए कई प्रभावशाली खटीक थानों में भी बन्द किये गये ? यदि हां, तो क्यों बन्द किये गये ?

(४) क्या यह सही है कि खटीकों ने उक्त घटना की शिकायत जिलाअधिकारियों से की है ? यदि हां, तो सरकार ने शिकायत पर उन दोषी व्यक्तियों तथा पुलिस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इससे यह माना जावे कि इस प्रकार की शिकायत किसी अधिकारी के पास नहीं पहुंची-?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैं अर्ज नहीं कर सकता और किसी के पास दी हो तो।

श्री भैरोंसिंह : ये दो तीन के प्रश्नों के उत्तर जो दिये गये हैं यह जांच के आधार पर दिये गये हैं या सब-इन्स्पेक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस-विभाग की सूचना के आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस-विभाग की सूचना इन्क्वायरी पर बेस्ड है या सब-इन्सपेक्टर की इन्फोर्मेशन पर ही बेस्ड है जिसके खिलाफ की यह शिकायत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम आई० जी० पी० साहब से पूछते हैं। उनके नीचे से जवाब आता होगा वह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे, आपने आई० जी० पी० को इत्तला दे दी, उससे मतलब नहीं है। मैंने अपने क्वेश्चन में जानकारी की है उसके बारे में जांच करने के बाद में आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह मामला गलत है या केवल जो ऑफिशियल

(श्री भैरोंसिंह)

इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसी के बूते पर कहते हैं। चाहे जिस किसी की शिकायत हो उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वह तो कहता ही है कि वह शिकायत नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो अधिकारी हैं उन्हीं के पास कागज हो तो उनसे ही पूछा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि खटीकों का डेपुटेशन माननीय गृह मंत्रीजी से भी मिला था।

श्री रामकिशोर व्यास : किन का ?

श्री भैरोंसिंह : खटीकों का।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे याद नहीं पड़ता है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : आपसे कोई खटीकों का डेपुटेशन नहीं मिला ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है कि मिला हो। मुझे याद नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्होंने आपको रिप्रजेन्टेशन दिया था और उसके ऊपर आपने यह आदेश दिया कि इस पर जांच करवाई जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : (अश्रव्य)।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अभी के वह कागज जिसके ऊपर आपने लिखा था कि तुरन्त जांच करवाई जाय आपके पास नहीं पहुंचा है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप स्पेसिफिकली पूछते तो दर्याफ्त करके बतला देता।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास दरख्वास्त दी है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह स्पेसिफिकली दर्याफ्त करते तो बतला सकता था। मुझे यह याद नहीं रहता कि किस की दरख्वास्त आई और किस की नहीं। अगर आप स्पेसिफिकली फर्माते तो जानकारी करके आपकी खिदमत में पेश कर देता।

श्री भैरोंसिंह : स्पेसिफिकली मैंने पूछा है कि जिलाधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है या नहीं आप इससे इन्कार करते हैं। वह बात दूसरी है। लेकिन आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वह दरख्वास्त आपके आदेश होकर कलेक्टर के पास में आई हुई पड़ी है। आपके ऑफिस ने जो फारवर्ड किये हैं वे सारे के सारे कागजात कलेक्टर के ऑफिस में पड़े हुए हैं और आप कहते हैं कि जिलाधिकारियों के पास कोई शिकायत नहीं है। उसके सम्बन्ध में शिकायत करने का जो तरीका है, अजीब है ऐसा मैं समझता हूँ। किस तरह से शिकायत की सुनवाई हो सकती है। जो अब तक शिकायत के नियम हैं उनके अनुसार यह दरख्वास्त दी थी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जो जवाब पढ़ा उस पर आपने गौर नहीं फर्माया "इस

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रकार की शिकायत पुलिस अधिकारियों के पास नहीं आई।" मैं यह नहीं कहता कि और के पास में भी नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस अधिकारियों के पास में नहीं आई है। आपको दरख्वास्त दी है और आपने कलेक्टर के पास में भेज दी है और आप कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों के पास में नहीं आई है।

श्री रामकिशोर व्यास : रूटीन में बहुत सी दरख्वास्तें आती हैं। आई होंगी तो गई होंगी। स्पेसिफिकली आप दरख्वास्त करते तो पूछ कर उत्तर दे सकता था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय के पास डेपुटेशन आया था उसने रिप्रेजन्टेशन दिया था जिस पर आपने आदेश दिये थे कि तुरन्त जांच की जाय। यह लिखकर एस० पी० के पास में आपने दफ्तर से फॉरवर्ड करने की आज्ञा दी थी। वह एस० पी० के पास चला गया तो उस पर जांच क्या की उन्होंने ?

श्री रामकिशोर व्यास : उससे संतोष होना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपकी शिकायतों के अलावा सारे राजस्थान की शिकायतों की सुनवाई होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सवाल का जवाब आया है जिसके बारे में माननीय सदस्य बहुत उत्सुक थे ३१३ का। मैंने अगले टर्न का कहा था लेकिन वह आज ही निवेदन कर दूं:—

संचालक, पशु पालन व प्रिन्सिपल, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना

३१३. **श्री सूरजमल** (फलौदी सु०) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि गत वर्ष पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा-फल ५० प्रतिशत से भी कम रहा? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह भी सच है कि संचालक, पशु-पालन व प्रिन्सिपल, पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करने से ही परीक्षा-फल कम हुआ है।

(३) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व प्रिन्सिपल के जमाने में शत प्रतिशत परीक्षा-फल रहा है।

(४) क्या सरकार उपरोक्त पदों पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त करने की

Page No.29

(श्री सूरजमल)

व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी नहीं ।

(४) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पहले प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या यह सच है कि विगत वर्ष पशु चिकित्सा महा-विद्यालय बीकानेर के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षाफल ५० प्रतिशत से भी कम रहा ? आपने कहा, "जी नहीं' तो कितना प्रतिशत रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५५ प्रतिशत ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके पहले क्या ५५ प्रतिशत से अधिक था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग सवाल पूछें कि इन चार सालों में कितना कितना प्रतिशत रहा ?

श्री मुरलीधर व्यास : अलग से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके भाग (३)में पूछा गया है, "क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व प्रिन्सिपल के जमाने में शत-प्रतिशत परीक्षाफल रहा है ?"

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका मैंने आन्सर दिया, "जी नहीं ।'-

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कभी नहीं रहा शत-प्रतिशत ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : कितना रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितना रहा वह अलग से सवाल है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बहुत बड़ा हो सकता है आप बता दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कितनी पर्सेन्टेज रही, हर साल तो यह पांचवां बैच निकल रहा है । मुझे हर साल का याद नहीं, लेकिन सेन्ट-पर्सेन्ट कभी नहीं रहा । इस साल का यानी पिछले साल का मैंने कहा कि ५५ प्रतिशत रहा । वह आपने पूछा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि रिज़ल्ट जो ६५ प्रतिशत रहा वह इस कारण से रहा कि जो भूतपूर्व प्रिन्सिपल थे वे बराबर वहां पर रहते थे और पढ़ाते थे । उनको पूरे पीरियड मिलते थे । अब जो प्रिन्सिपल हैं वे यहां रहते हैं और पूरे पीरियड पढ़ाते नहीं हैं । वे रिटायर्ड और बूढ़े हैं इसलिए पूरी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपका गलत खयाल है । वहां रहने से फर्क नहीं पड़ता है । जितने घन्टे उनको पढ़ाना चाहिए वे पढ़ाते हैं । वे दोनों कामों को देखते हैं और एफिशियन्टली देखते हैं । बूढ़ा होने से यह नहीं है कि कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता है । बूढ़ा होने से तो ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले वाले प्रिन्सिपल कितने पीरियड लेते थे और ये कितने पीरियड लेते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितने पीरियड पढ़ाने की आवश्यकता है, वे पढ़ाते हैं। वे ज्यादा पीरियड लेते हैं और ज्यादा पढ़ाते हैं यह मैं बता दूं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आप ठीक बता रहे हैं कि कम पीरियड लेने से ९५ प्रतिशत रिजल्ट रहता है और ज्यादा पीरियड लेने से ५५ प्रतिशत रिजल्ट रहता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां पर होता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपने विशेषता बताई हैं कि ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा पीरियड लेते हैं और रिजल्ट खराब होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पढ़ाई का रिजल्ट खराब होता है तो इसमें पढ़ाने वाले की क्या खराबी है ? पढ़ने वालों में कितना स्टाफ है, उनकी क्या केपेसिटी है, क्या एसिमिलेशन की पॉवर है। आप जैसे और मेरे जैसे ठोट स्टूडेन्ट हों तो क्या ग्रास्प करेंगे। अच्छे स्टूडेन्ट आयेंगे तो पढ़ाने वाले अच्छे नहीं होते हैं तो भी अच्छी तरह से पास होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह का रिजल्ट खराब रहता है तो इसका मतलब यही है कि लड़के खराब हैं।........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे हिसाब से दोनों पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

स्थगित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : ८ दिसम्बर को एक प्रश्न था मेजर श्री फतेहसिंह का।

विभिन्न कार्य (activities) शुल्क

१८९. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Education Minister be pleased to answer the following :—

1. What were the rates of the different activities fees collected from the students of different classes reading in the G. H. S. S., Ajmer. G. H. S. S. Beawar, G. H. S. S., Jodhpur and G. M. P. S. Jaipur during the Session 1958-59 ? please Place the details on the table of the House, giving the information separately for each school.

2. What are the orders and circulars issued from time to time authorizing the Collecting of the activities fees in the Government Educational Institutions ? Please place copies of these orders and circulars on the table of the House.

3. What was the total amount of the activities fees collected in the Government Girls Higher Secondary School, Beawar, during the session 1958-59 ? Please give details separately

(मेजर श्री फतेहसिंह)

for each type of the activity fee, showing income and expenditure and place them on the table of the House,

4. Is it a fact that the Head Mistress of the Government Girls Higher Secondary School, Beawar, collected the Hand work fee of Rs.6/- per head from all students in May, 1959 and spent the whole or part of the amount in meeting the entertainment expenses of the Annual function of the school held on 14 th May, 1959 ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) हैण्ड वर्क के निमित्त ली गई राशि को एन्टरटेनमेंट के काम में खर्च नहीं किया गया।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने सूची रखी है ?

मेजर श्री फतेहसिंह : Whether the...

श्री अध्यक्ष : Major Fateh Singh.

श्री श्रीभानसिंह : मैं पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : उनको पहले पूछ लेने दें।

श्री श्रीभानसिंह : He is appealing to the Chair rather than putting questions. So it will waste the time of the House.

मेजर श्री फतेहसिंह : I will invite the Hon'ble Minister's attention to part one of the question. The question reads what were the rates of the different activities fees collected from the students of different classes ? I had asked for the information regarding activities fees which are being collected in different classes of those particular schools ? Whereas the information supplied is only as regards. Classes 9th, 10th & 11th. So what about the rates of activity fees collected from the students below 9th Classes.

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सूची मेरे पास है उसके आधार पर कहा है। मैं तो यह समझता था कि आठवीं क्लास से ऊपर में आप इन्ट्रेस्टेड हैं। इस वजह से ऊपर की सूची दे दी।

मेजर श्री फतेहसिंह : This is a very frivolous manner of replying.

श्री श्रीभानसिंह : That is not the question of Hon'ble Ministers' understanding.

आपने क्यों समझा। क्वेश्चन में क्लीयर है और क्वेश्चन के अन्दर यह है कि कितनी कितनी क्लासेज में कितनी कितनी फीस दी

Page No.32

(श्री श्रीमानसिंह)

गई ? तो फिर नाइन्थ से इलेवन्थ तक ही क्यों सप्लाई की गई और नाइन्थ के बिलों को क्यों नहीं सप्लाई किया गया ?

The question is absolutely clear. That is a question that the Department is avoiding information whereas it has been deliberately erred....,

मेजर श्री फतेहसिंह : That particular school of which I am trying to get the information has been given quite clear. The information given is as regards / 9th to 11th. What about the activity fee which was collected from Classes VIth to VIIIth.

श्री नाथूराम मिर्धा : सिक्स्थ क्लास से एट्थ क्लास की जो सूची मांगी गई है वह इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आप कहेंगे तो इकट्ठी करके भेज दूंगा।

मेजर श्री फतेहसिंह : I charge the Government of suppressing the facts intentionally and deliberately for the reasons best known to them. I am asking this information for the last six months. This point was agitated even in the last Session of this House on the 4th September.

श्री अध्यक्ष : Have you any other information to be asked ?

मेजर श्री फतेहसिंह : As regards part of 2 of the question. I have asked for the circulars. Even this information has not been given.

श्री श्रीमानसिंह : Can you categorically state that no fees were charged from 6th to 8th ?

मेजर श्री फतेहसिंह : Class Sixth to eighth is at the old rates and attempts are being made to protect......

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मेरी सूचना है कि उसके नीचे कोई फीस लगती नहीं है।

मेजर श्री फतेहसिंह : एक्टिविटी फीस लगती है।

श्री श्रीमानसिंह : What is the basis of your saying in the House that फीस नहीं लगती है,

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ट्यूशन फीस की बात कह रहा हूँ

मेजर श्री फतेहसिंह : एक्टिविटी फीस की बात बताइये, वह लगती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्टिविटी फीस लगती है।

मेजर श्री फतेहसिंह : आपने लिस्ट क्यों नहीं सप्लाई की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले वक्त आपने अपनी लड़की के बारे में झगड़ा किया था उसके लिये प्रश्न उठाया था इसलिये मैंने समझा कि आप उसी में इन्ट्रेस्टेड है।

मेजर श्री फतेहसिंह : There is no question of my daughter.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister instead of replying to the question is casting aspersion on the Hon'ble Member. आपकी डॉटर के बारे में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें एसपर्शन कास्ट करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पार्लियामेन्टरी रूल्स को वॉयलेट करने में ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ और वे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस तरह से किया तो ठीक नहीं रहेगा। उसका प्रश्न क्लीयर है। पिछली बार भी उन्होंने प्रश्न पूछा था कि एक्टिविटी फीस कहां कितनी ली जाती है। नाइन्थ क्लास से ऊपर ही इन्फोर्मेशन आपके पास है तो पहले की क्लासेज की इन्फोर्मेशन क्यों नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): On a point of order अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा और उसका उत्तर मंत्री जी इस प्रकार से दे रहे हैं कि वे अपनी लड़की के मामले में इन्ट्रेस्टेड थे और उसी को लेकर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जो बात कही है वह बात एक मेम्बर को बदनाम करने के लिये या उन पर इन्फ्लुएन्स डालने के लिये कही है। पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुसार या तो वे उसका डॉक्युमेन्ट्री प्रूफ दें या सदन में रिग्रेट करें। माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड थे इसलिये उन्होंने प्रश्न पूछा इसका यदि उनके पास डॉक्युमेन्टरी प्रूफ नहीं है तो रिग्रेट करते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि हाउस की प्रोसिडिंग्स में से इन शब्दों को एक्सपन्ज करने की आज्ञा प्रदान करावें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें नाराज होने की बात नहीं है, जो फेक्ट्स हैं उनको फेस करना चाहिये। माननीय सदस्य अपनी पुत्री जो वहां पढ़ती थी ....

श्री श्री भानसिंह : Point of order Sir. I appeal to the Chair on a point of order. I have received an express letter from Beawar, not of the Hon'ble Member but other repersentatives, regarding this charging of activity fees being wrongly charged. Therefore, to place this question now, which is of general importance, on Hon'ble Member's daughter is certainly objectionable.

श्री अध्यक्ष : वे जवाब दे रहे हैं आप सुन लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ करनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले दूसरे क्लासेज में अंदर एक्टिविटी की जो फीस चार्ज करते हैं उनकी सूची सुन लीजिये। सिक्स्थ टू एट्थ गेम्स फीस ६ आने, लाइब्रेरी फीस १ रु० ....

श्री भैरोंसिंह : उत्तर बाद में दें, पहले इस चार्ज को क्लीयर करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे भाई यह कोई चार्ज है नहीं ....

Page No.34

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि कुछ प्रगति पार्लियामेंटरी ट्रेडिशन्स को ब्रेक करने के लिए माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, ऑनरेबल मेम्बर्स के स्थान पर 'अरे' पर आ गये, आखिर कैसे काम चलेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के मास्टर वे हैं तो अपने पास ही रखें।

श्री श्रीभानसिंह : 'अरे' वगैरा शब्द यूज करेंगे तो.......

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के आप माहिर हैं यह खुशी की बात है। जैसा तैसा हम जानते हैं वही काम आयेगा ....

श्री श्रीभानसिंह : मैं फिर निवेदन करता हूँ कि कुछ तो परम्परा डालनी चाहिये

श्री मुरलीधर व्यास : Point of order उठाया है उसका निर्णय पहले हो जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उत्तर सुनना चाहते हैं..........

श्री अध्यक्ष : आपके पास उत्तर है क्या

श्री नाथूराम मिर्धा : Yes Sir.

श्री अध्यक्ष : Are you prepared to answer the questions? Because it is very unfair to the House that it has been postponed twice or thrice.

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी क्लासेज की सूचना दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं पहले इस बात पर निर्णय चाहता हूँ, मंत्रीजी बिना सोचे समझे, उनके पास डॉक्युमेन्ट्री सबूत नहीं होते हुए भी ऐसी बातें हाउस में कह देते हैं जो पर्सनली किसी पर एक्सपर्शन कास्ट करती हैं, यह गैर-वाजिब है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : किसी पर रिफ्लेक्ट करने की बात नहीं है। जनरल प्रश्न होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : जो बात अननैसेसरी कही है वह हाउस की प्रोसिडिंग्ज में से एक्सपंज करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह ब्रीच ऑफ प्रिवलेज अगेन्स्ट मेम्बर है। यदि ब्रीच ऑफ प्रिवलेज नहीं बनता है तो उन पर चार्ज है कि वे हाउस को गलत इन्फोर्मेशन देते हैं।

श्री अध्यक्ष : चार्ज का कहां सवाल आता है।

मेजर श्री फतेहसिंह : I should make the position clear. My daughter is no longer a student of this school. She is reading as a private student of the Beawar Government College. Of conre. at one time she was a student of the school, but my question was entirely general

श्री अध्यक्ष : I think all this discussion as to how the question arose will aggravate the matter. which I think is not the intention of any

(श्री अध्यक्ष)

Hon'ble Member. We can, therefore, drop this matter and proceed on the question. There is no point of order in that and there is no need of expunging anything.

श्री मुरलीधर व्यास : यदि हो तो हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई आवश्यकता नहीं-ख्वामख्वाह तूल दे रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : 6th class to 8th class M. P. H. Ajmer games fee 6 annas, library fee Re 1/- per annum.

श्री अध्यक्ष : Need not be replied एक्टिविटी की फीस की लिस्ट दे दी है न?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके पास जो लिस्ट है वह नाइन्थ, टैन्थ और इलैवन्थ की है, पर आप सिक्स्थ से एट्थ की मांगते हैं इसलिए बताता हूँ। games fee 6 annas per month, librery fee Re 1/- per annum, Reading Room fee Rs. 2. per annum. Magazine fee Rs 1/- per annum, union fee Rs 1/ per annum, entartainment fee Rs 1/- per annum. Examination fee Rs 1/- per annum.

6th to 8th Higher Secondary School, Beawar. गेम्स फी २ रु० पर ईयर, लाइब्रेरी फी कुछ नहीं, रीडिंग रूम फी १ रु० पर एनम, मैग्जिन फी १ रु०, यूनियन फी कुछ नहीं, एन्टरटेनमेन्ट फी कुछ नहीं, एग्जामिनेशन फी १ रु० पर एग्जामिनेशन।

गवर्नमेंट पटेल एम० पी० एच० एस० ब्यावर, सिक्स्थ टू एट्थ गेम्स फी २ रु०, रीडिंग रूम १ रु०, मैग्जिन फी कुछ नहीं, यूनियन फीस कुछ नहीं, एन्टरटेनमेन्ट फीस कुछ नहीं। एग्जामिनेशन फीस १ रु० पर एग्जामिनेशन।

मेजर श्री फतेहसिंह : What is the authority for recovering these fees in the Patel Multipurpose Higher Secondary School from classes 6th to 8th?

श्री नाथूराम मिर्धा : There are Government orders.

श्री श्रीभानसिंह : What are those Government orders?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में अलग प्रश्न पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं दी गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिना सरकार के आर्डर के इस प्रकार की कोई बात नहीं की जाती।

मेजर श्री फतेहसिंह : I have asked a definite question, what were the orders and circulars issued from time to time authorising collection of these activities fees. and still the information supplied is not complete. The Hon'ble Minister has given the information regarding the enhanced rates of fees which were to be charged with effect from July, 1957. Then another letter

(मेजर श्री फतेहसिंह)

dated 2-8-57. from the education Secretary, Rajasthan, to the Director of Education has been placed on the Table of the House, After issue of this letter, what action has been taken by the Education Department in respect of realising various activities fees from the Government educational institutions ? Am I clear ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बिल्कुल समझा नहीं, आप क्या कह रहे है ?

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं हिन्दी में समझाने की कोशिश करूंगा....

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप समझाइये अंग्रेजी में, मुझे ऐतराज नहीं है, अंग्रेजी में समझ लूंगा। आप शार्ट में कह दीजिये कि कौन से सक्यूर्लर को रेफर कर रहे हैं, क्या मतलब हैं ?

मेजर श्री फतेहसिंह : जो लैटर हाउस की टेबल पर रखा गया है, लास्ट बट वन पर देखिये आप letter dated 2-8-57, issued by the Secretary, Education Department, Rajasthan.

इस लैटर के इश्यू होने के बाद भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने या गवर्नमेंट ने फीस के सम्बन्ध में और भी कोई ऑर्डर इश्यू किया था क्या ?

श्री अध्यक्ष : I don't think the question is being properly answered. If the Hon'ble Member agrees, we can still defer it so that a satisfactory reply may be received.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble Minister say that he has full information and he is prepared to answer questions.

श्री अध्यक्ष : But I am not satisfied and the House is also not satisfied.

श्री श्रीभानसिंह : I have also the knowledge that he has no full information because one letter is missing. There was a controversy last time also on that letter. But he has categorically stated that he has full information.

श्री नाथूराम मिर्धा : What is that letter ?

श्री श्री भानसिंह : In the course of questions it will come out.

मेजर श्री फतेहसिंह : Two letters have not been placed on the Table of the House. One is...,

श्री अध्यक्ष : और कोई इस तरह के पत्र हों तो उनका हवाला दे दें, जब मंत्रीजी उत्तर दें तो उस पर आ जाय।

श्री श्रीभानसिंह : यह परम्परा गलत होगी कि जितने पत्र हैं उनका हवाला माननीय सदस्य दें। यह क्वेश्चन तीन दफा पोस्टपोन हुआ है और लास्ट में क्लीअरली एस्टेब्लिश हो गया है and I have no hesitation in saying the Director is hiding some papers.

(श्री श्रीभानसिंह)

जिस लैटर पर डिस्प्यूट हुआ था, उसकी कापी माननीय सदस्य ने रखी है, उसमें 'ओल्ड' वर्ड था, जो माननीय मन्त्रीजी ने उत्तर दिया था उसमें 'ओल्ड' वर्ड नहीं था। वह लैटर आज फाइल में नहीं है, फिर क्वेश्चन क्या पूछें, कभी एक लैटर इन्क्लूड किया जाता है, अभी कोई इन्फोर्मेशन नहीं दी जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई पत्र नहीं छुपाया है, एक पत्र बता दिया है और सारी इन्फोर्मेशन है। न कोई इन्फार्मेशन छुपाई है और न छिपाने की इच्छा है। जितने लैटर हैं, वे मौजूद हैं। अगर अलग-अलग लैटर पढ़ कर उन्हें डिस्कस करने की बात करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। आप जो रेफरेन्स बताते हैं वह मौजूद है। इसके अलावा कोई इन्फोर्मेशन है नहीं जो बाकी रह गई हो, जो मुद्दे की बात हो। आप कहना चाहते हैं कि इसके लिए इसकी ऑथोरिटी नहीं है, इसकी ऑथोरिटी है। ऐसी बात नहीं है, जो फीस रिकवर हुई है, वह कानून कायदे से रिकवर हुई है।

श्री अध्यक्ष : १—८—५७ की चिट्ठी है एजुकेशन सैक्रेट्री की डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नाम, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर जारी किया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, जारी किया है, उसके बाद जारी किया है, १०—१०—५७ को।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है आपके पास?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास है।

मेजर श्री फतेहसिंह : But that has not been placed on the Table of the House. We want this information to be given to us. That cannot remain in your safe custody only.

श्री नाथूराम मिर्धा १०—१०—५७ को जो ऑर्डर किया है, उसकी कापी मेरे पास मौजूद है।

श्री श्रीभानसिंह : But why the information has not been supplied to the Chair or to the Hon' ble Member?

श्री अध्यक्ष : क्या है ऑर्डर, आप थोड़े में बता सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : "In partial modification of the Government. order of even number dated 6th July, 1957, the Governor after considering the different points of view put forth by the representatives of the students and in consulation with the Chatterji Commission recently constituted to advise the Government on the question of fees, has been pleased to order that:-

(i) The fees at the enhanced rates will be charged from wards of those persons who pay income-tax and the wards of those who do not pay income-tax be required to pay fees ot the rate obtaining before July, 1957, in all Govt. colleges and schools,

(ii) The first two children of a person who pays income-tax will pay

Page No.38

(श्री नाथूराम मिर्धा)

fees at the enhanced rate, while the remaining children will be required to pay fees at the old rates only. This concession will, however, not apply to technical and professional colleges...." यह लिखा हुआ है ।

श्री श्रीभानसिंह : What steps did the Government take in applying this? The information given by the Hon'ble Minister now is very important and relevant. Why was this information suppressed?

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह ।

मेजर श्री फतेहसिंह : This letter was issued saying that enhanced rates may be charged only from those whose parents pay income-tax. So this is a very relevant information which the Government has suppressed. After that another letter was issued, the reference to which was made in the last session of the House dated 4th September, 1959, and that letter was produced in the House by the Hon'ble Minister which definitly says that activity fees upto 8th class will be charged at old rates.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से आप इनके मतलब को समझ गये होंगे, वह बता दें तो मैं क्लीयर कर दूँ, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, हमारे पास इन्फोर्मेशन मौजूद है । आप कहते हैं कि १०-१०-५७ को लैटर निकला है इसके बाद लैटर निकला है, वह आपकी जानकारी में है, वह मेरी जानकारी में भी है, इसमें गलती क्या है, इसमें मिस अन्डरस्टेडिंग क्या है, आप समझ लीजिये और मुझे बता दीजिये, मैं उसको क्लीयर कर देता हूँ ।

मेजर श्री फतेहसिंह : इस सर्क्यूलर, जो श्रीमान् ने पढ़ा, के बाद १७-२-५८ को एक ऑर्डर इश्यू हुआ, उसको ओरिजिनल कापी हाउस की टेबल पर रखी और जो कापी माननीय मंत्री जी ने रखी, उसमें और मेरी कापी में अन्तर था और उसको मैं हाउस की जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ....

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government issue an order on 17. 2. 58? This is my question. Let the House know the contents of that letter and also please state in your answer what steps were taken, whether activity fees were realised at the old rates or at the enhanced rates?

श्री अध्यक्ष : As I said earlier, it will be better to defer the question again.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister does not have full information.

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, अब किस पोइन्ट के लिए डेफर करना चाहिए, किस बात के लिए डेफर करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : वही ना, उसके बाद जो चिट्ठी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं ।

Page No.39

श्री अध्यक्ष : All these letters and orders should have been placed on the floor of the House because they are very relevant to the question.

श्री नाथूराम मिर्धा : मेन इश्यू क्या है, यह मालूम पड़े।

श्री अध्यक्ष : आपने जो ऑर्डर जारी किया है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस पॉइन्ट पर ?

श्री अध्यक्ष : आपने समय-समय पर जो ऑर्डर इश्यू किये हैं, इसके बाद ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो आपने लैटर बताया, वह पढ़ कर सुना दिया, दूसरा लैटर भी पढ़ कर सुना दूंगा। उल्लंघन किसी बात का नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह आशा की जाती है कि आप सारे पत्र रखदें, पहले सब पत्र रखे नहीं, एक के बारे में पूछा, तब कहा कि यह है हमारे पास, दूसरे के बारे में कहा, तब कहा यह भी है, फिर कहेंगे तो आप कहेंगे यह भी है। इस तरह हाउस में पड़ते जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सर्क्यूलर और नोटीफिकेशन हैं वे लम्बे लम्बे हैं, उनका इन्टरप्रिटेशन ये कुछ भी निकाल कर कहते जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसमें कह दिया था कि ये सारे पत्र आप टेबल ऑफ दी हाउस पर रखें, वे उन्हें पढ़ कर सवाल कर लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये महकमे की फाइल में सारे नोटीफिकेशन रखे हैं, ये सारे रखे जा सकें, ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Yes, it is bound to be done if it pertains to the subject.

(करतल ध्वनि)

चाहे १० हो, २० हो, १०० हो That is not your discretion Hon'ble Minister.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One point on which the decision was held over....

श्री अध्यक्ष : The question has been deferrd.

श्री पी० के० चौधरी : It is not deferred. The Hon'ble Member produced a copy of a letter last time and the Hon'ble Minister also produced a copy of that very letter....

श्री अध्यक्ष : That has been sated and need not be repeated.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय सदस्य के लिये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मेजर श्री फतेहसिंह।

मेजर श्री फतेहसिंह : I obey your oonour's ruling, Sir. I will only request that the information regarding this question may be given at an early

Page No.40

(मेजर श्री फतेहसिंह)

date because this involves the financial condition of the parents of students reading in Beawar Girls Higher Secondary School. To make it clear for the Hon'ble Minister, the position is like this. The school authorities are violating the instructions issued from time to time by the Government and the Director of Education. Upto Class 8th, the magazine fees, union fees, library fees, entertainment fees and caution money are not to be charged, but they are being charged.

श्री अध्यक्ष : खास मुद्दा तो यही है कि आज्ञा के मुताबिक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे है कि यह फीस चार्ज नहीं की जानी चाहिये, वह चार्ज की जा रही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा हूँ कि जो चार्ज हो रही है, कायदे के माफिक हो रही है और वे कह रहे हैं कि कायदे माफिक नहीं हो रही है। कायदे के माफिक जो चार्ज होनी चाहिये, वह बहस से रुक नहीं सकती....

श्री अध्यक्ष : बहस का सवाल नहीं, सही चार्ज हुई है या गलत चार्ज हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल सही चार्ज हो रही है और वह मिट नहीं सकती कितनी ही बहस कर लें........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बहस का सवाल नहीं है फीस का सवाल है कि कायदे के माफिक हुई....

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कायदा है वही रहेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। प्रश्न यह है कि जो आपका ऑर्डर है they should be laid on the Table of the House. जिससे कि माननीय सदस्य को पता चल सके कि फीस चार्ज हो रही है वह कायदे के माफिक है कि नहीं। छोटा सा मामला है, क्लीयर मामला है....

श्री पी॰ के॰ चौधरी : In the last session, Sir the Hon'ble Member produced a copy of a letter, which was a cyclostyled copy, in that the words'old rates' are written, wherese the Hon'ble Minister supplied a similar copy to the House which did not contain these words....

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : So it is to be decided as to which is the genuine letter.

श्री अध्यक्ष : Order please, Questions are over.

मेजर श्री फतेहसिंह : When will the answer be given, Sir ?

श्री अध्यक्ष : I will see that the Hon'ble Chief Minister or his Deputy incharge of Education is here to answer it personally.

मेजर श्री फतेहसिंह : On the next date ?

श्री अध्यक्ष : Yes. leave that to me.

Page No.41

मेजर श्री फतेहसिंह : What about another point, Sir regarding my daughter. No question was raised by me at all regarding my daughter.

श्री अध्यक्ष : There is no need for further debate on that question now.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष, ऐसी बात का खुलासा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Order. Order Order please

श्री मुरलीधर व्यास : किसी माननीय सदस्य की इन्टेग्रिटी के खिलाफ इस तरह से कहा जाय....

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय ने खुद कहा है ...

श्री अध्यक्ष : Order please मैंने पहले व्यवस्था दे दी है कि इस पर बहस नहीं होगी। ऐसी बात को बढ़ाने में स्थिति बिगड़ती है, ऐसी बात नहीं कही गई है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, कम से कम मन्त्री महोदय को भविष्य के लिये आगाह तो कर दिया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय ने जो बात कही है वह गैर जिम्मेदाराना, झूठ और एब्सर्ड है....

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह की बात माननीय सदस्य ने कही है, वह भी ठीक नहीं है ..

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता (स्वायत शासन व श्रम मन्त्री): मन्त्री महोदय ने ऐसी कौन सी बात कही है ....

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय ने जो कहा है बिल्कुल अनुचित....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण हो गया है और I have ruled out...

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में इस तरह की अनुचित बात कही जाय और....

श्री अध्यक्ष : Order, Order, Order please, माननीय सदस्य बैठ जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में सम्मानित सदस्यों के लिये इस तरह की बातें कहीं जाय और उसके लिये कुछ नहीं कहाजाय मैं वाक आउट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : वाक आउट कीजिये पर सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब मत कीजिये....

श्री मुरलीधर व्यास : जिस सदन में सदस्यों के लिये इस तरह कहा जाय और उस पर कुछ कहने तक नहीं दिया जाय, ऐसी स्थिति, में मैं वाक आउट करता हूँ।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं भी वाक आउट करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय सदन के माननीय सदस्यों के लिये इस तरह की बातें कहते हैं और उनको भविष्य के लिये आगाह नहीं करते हैं, उस हाउस में बैठने से कोई फायदा नहीं है, यह कहकर मैं भी सदन से वाक आउट करता हूँ।

Page No.42

श्री अध्यक्ष : Order, Order please,

मेजर श्री फतेहसिंह : पीड़ितों की आवाज लेकर यहां रखते हैं तो इस तरह की अपमानजनक बातें मन्त्रियों द्वारा कही जाती हैं, इस सदन में आने का यह लाभ होता है, ऐसे सदन में आने से क्या फायदा, ऐसे सदन से मैं वॉक आउट करता हूँ...

(श्री मुरलीधर व्यास, मेजर श्री फतेहसिंह, श्री भैरोंसिंह और विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : भोलानाथ।

(१२.२४ म० प०)

प्राक्कलन समिति

(वन विभाग से सम्बन्धित समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री भोलानाथ (सभापति प्राक्कलन समिति, १९५९-६०) : माननीय अध्यक्ष मैं वन विभाग से सम्बन्धित समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूँ।

राजस्थान मृत्युभोज निवारण विधेयक, १९५९ (अग्रेतर विचार विमर्श एवं पारण)

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): Sir I don't want to move this, [1, That the Billl be referred to the same Select Committee which should submit its report in the first week of the next session] As Hon'ble members are very keen to pass it early.

श्री अध्यक्ष : Thank you.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री): Sir, this motion has to be put first.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

क्लॉज बाई क्लाज डिस्कशन।

क्लाज २।

श्री सोहन लाल भटनागर

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) माननीय अध्यक्ष, दो मामूली संशोधन है।

पहला है: Substitute the words "members of the family and near relations" the word family people,, in the third line.

दूसरा है: Insert the word "and fifty after the word "hundred" in the last line.'

माननीय अध्यक्ष, इसमें लिखा हुआ है : "holding or giving funeral feast" includes the distribution of articles of food but does not include the feeding of the family people.

(श्री सोहनलाल भटनागर)

तो मेरे ख्याल से 'family people' ग्रामेटिकली रांग है। यह किसी एक्ट में नहीं पाया जायेगा। इसलिये मेम्बर्स ऑफ फेमिली होना चाहिये।

मेम्बर्स ऑफ फेमिली लिये जाते हैं तो उनके भाई, लड़के वगैरह ही होने चाहिये पर मृत्यु होती है तो लड़कियों के यहां से, माता पिता की ससुराल से आते हैं, इन सारे दृष्टिकोणों से नीयर रिलेशन वाले जो आयेंगे वे भी जो दावत होगी उसमें हिस्सा लेंगे इसलिये नीयर रिलेशन का रख देना चाहिये।

तीसरी बात है, जिसका संशोधन है, १६० से १५० कर दिया जाय।

इकॉनोमिक दृष्टिकोण से इतना बड़ा मौसर नहीं किया जाय कि जिसमें काफी धन खर्च हो, जैसा कि दस-दस हजार, बीस-बीस हजार आदमियों का करते हैं, उनको रोकना आवश्यक है, पर गत फूड कन्ट्रोल के जमाने में पुलिस लोगों को बहुत तंग करती थी, ब्राह्मण भोजन कराते थे, रिश्तेदारों को कराते थे तो भी पुलिस तंग करती थी। इसलिए ब्राह्मणों और रिश्तेदारों को सबको मिला कर १५० संख्या की व्यवस्था कर दी जाय। जिससे न तो ज़्यादा खर्चा होगा और साथ ही विधेयक की मूल भावना है कि अधिक खर्चा नहीं हो. इस सारे दृष्टिकोण से मैंने ये दोनों संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

श्री रामदान चौधरी (बाड़मेर गुडमलानी : मैं भी संशोधन रखता हूँ १०० की बजाय ५० कर देना चाहिये, शहरों के लिए भले ही १०० कर दो, १५० कर दो पण गावों के तांई ५० करना चाहिये शहरों और गांवों का अलग-अलग कानून बना दें तो अच्छा रहेगा। शहरों में भलां ही रख दो पण गांवों में ५० सूं ज्यादा नहीं होना चाहिये। ब्राह्मण और ढाढियां को लोग मिल कर २० में आ जाय। ५० से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

(करतलध्वनि)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष, मेरे दो अमेंडमेंट एक तो फेमिली के बाद रिलेशन्स ऐड कर दिया जाय [Insert a Comma and the word "relations" between the words people"and "or," और दूसरा अमेंडमेंट है : In the third line of part (b) replace the words "not exceeding.........in number" by the words "provided that the number of persons of priestly order or Faqirs does not exceed one hundred."

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के बाद सब-क्लॉज (२) इस प्रकार रहेगा।

"holding or giving funeral feast" includes the distribution or articles of food, prepared or unprepared, but does not include the feeding of the family people or persons of the priestly order or faqirs in pursuance of the performance of religious or secular rites :

Provided that the number of persons of priestly order or faqirs does not exceed one hundred."

Page No.44

(श्री पी० के० चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, हम सोशियल रिफॉर्म्स लाते हैं लेजिस्लेशन, मगर इसका मतलब यह नहीं रहता कि रिलिजियस राइट्स और सेरिमनीज पर इस लेजिस्लेशन का असर पड़े। मृत्यु भोज रोकने का असली मकसद है वह यह है कि जो लोग हजारों की तादाद में लोगों को खाना खाने के लिए बुलाते हैं जो उनकी इकॉनोमिक कैपेसिटी के बियोन्ड है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिस समय मृत्यु भोज हो उस समय उनके फेमिली मेम्बर्स और क्लोज्ड रिलेशन्स हैं उनको भी रोका जावे। हमारे यहां पर जयपुर में फेमिलीज आपको ऐसी भी मिल जावेंगी। close relations जिनमें सब मिला कर १००- से ज्यादा आदमी आसानी से हो जाते हैं। मगर इसमें आपने प्रीस्ट और फकीर आदि मिला कर १०० आदमी रखे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रीस्ट और फकीर के अलावा सौ रखें तो ठीक हो। ५० तो जोइन्ट फेमिली के सदस्य होंगे और ४० या ५० आदमी निअर रिलेटिव हो जायेंगे जैसे मेटरनल अंकल, माता, बहनोई, जवांई आदि हो सकते हैं। तो मृत्यु भोज रोकने का मतलब यह नहीं कि जो लोग नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको भी पार्टीसिपेट करने में रोक दिया जाए। इसके अलावा जिस समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भोज के दो तीन दिन पहले से लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोग जो उस व्यक्ति के यहां खाना न खाकर किसी दूसरे के घर जाकर अपना भोजन करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह रोक तो दूसरी फेमिली में जो रहते हैं उस पर होनी चाहिये। जो गांव के लोगों को बुलाकर फीस्ट देते हैं उनको रोकने की जरूरत है और यही इस बिल का मकसद भी है। दूसरी बात यह है कि जिस समय फकीर और प्रीस्ट मृत्यु भोज का सुनते हैं तो आ जाते हैं यह कहा जाता है। मैं यह कहूँगा कि ऐसा सुन कर हजार फकीर और प्रीस्ट तो नहीं आते हैं। मुश्किल से १०, २० या ४० आदमी आते हैं। मगर जब सारे गांव के लोग हजारों की तादाद में आते हैं तो उस व्यक्ति की इकॉनोमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी इकॉनोमी बड़ी इफेक्टेड होती है उसको रोकने का हमारा मकसद है। न कि जो नॉर्मल फेमिली में रिश्तेदार भाई, बहन आदि होते हैं उनके लिए यह रोक नहीं है और मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त है और सदन और मिनिस्टर इन्चार्ज को इसको स्वीकार करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सदन और मिनिस्टर इन्चार्ज इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य सलूम्बर से आने वालों ने "family people" के बजाय "members of the family and near relations" की बात कही है, मैं उनकी भावना की पूरी कद्र करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी मंशा यह नहीं है कि जो लोग वाकई में रिश्तेदार हैं वे न आयें मगर रिश्तेदार लोग इसमें लगा दिया जाता है तो फेमिली के हजारों रिश्तेदार हो सकते हैं और वे बहुत बड़ी तादाद में आ सकते हैं। इसलिए रिश्तेदार बड़ा वेग है इसलिए मैंने इस बिल में मैंने "members of family" को हटा कर यह "family people" रखा है। वह इसलिए रखा है कि members of the family means those who are combined in mess and living.

श्री पी० के० चौधरी : Why not keep it as 'close relations' ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 'Close relations' is no word sir. Any body can claim his relationship as near or distant.

अगर आपने कहीं एक तरफ रिलेक्सेशन किया तो रिश्ते में से रिश्ता निकलता ही जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो यह है कि एग्री-गेट १०० रखा है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : Then it may be kept as 'relations.'

श्री दामोदरलाल व्यास : If you really want to include all relations. then they will go up to 500 or 1000 persons...

ऐसा मेरा अर्ज करना है कि १०० रखा है इसको रखते हुए भी इसको चैक-अप करना बहुत मुश्किल हो जावेगा so by having "members of the family" or relations., मेरी मंशा पूरी नहीं होती है । इसमें सिस्टर, उसके हस्बेन्ड आदि आ जाते है। It may include sisters, daughters and their husbands, all these people. On the other hand "Members of the family" definitely mean that they must belong to the same family and have a common mess. तो वह चीज इसमें इन्क्लुड नहीं होती है वे ही एक्सक्लडेड है।

श्री पी० के० चौधरी : फेमिली पीपुल को डिफाइन कर सकते हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : There is nothing like 'family people' in the legal terminology.

श्री अध्यक्ष : यह तो रेस्ट्रिक्ट हो जावेगा यह पीपुल कहना तो और वाइड हो जावेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Another amendment regarding this, Sir.

१५० बढ़ा दिये जावें, I regret I cannot agree to that. I can consider the suggestion for any reduction of this number. but I am opposed to any increase.

यह १०० भी बहुत ज्यादा है । रिलिजियस प्रीस्ट है, फकीर आदि को बढ़ाने का प्रश्न है वह उचित नहीं है ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : रामदानजी का अमेन्डमेंट है ।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने लिख कर नहीं दिया है ।

श्री रामदान चौधरी (बाड़मेरगुड़ा मलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि किसी भी हालत में १०० से ज्यादा नहीं रहना चाहिये । मैं तो यह कहूँगा कि ५० ही रहने चाहिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ ।

Page No.46

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ३ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ और ३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ और ३ स्वीकार किये गये।

क्लॉज ४

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन है। वह इस प्रकार है : Substitute the words "one year's" for the words "six months" दूसरा है Substitute the words "one thousand" for the words "five hundred".

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): I will accept the amendments of the Hon'ble Member, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीमसेन ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ संशोधित रूप से स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

क्लॉज ४ और ५।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : About 5, I have got, an objection Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि penalty for disobeying injunction भी ज्यादा करना होगा। वह भी ज्यादा होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): That is right, Sir. The offence become aggravated if one commits the offence-

Page No.47

(श्री दामोदरलाल व्यास)

and then breaks the injunction also. I would suggest that punishment may be enhanced to two years there.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ (ए) स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ (ए) स्वीकार की गई।

क्लॉज ५।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ५।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is a disference in the clause and the Report of the Select Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I would draw the attention of Hon'ble Member to the errata. This was also discussed in the last session and subsequently, the Secretariat issued a corrigendum.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I want to move a verbal amendment if you permit me, Sir. Instead of "one year", "two years" should be substituted.

श्री दामोदरलाल व्यास : सजा ३ में रखी गई है। That is for the main offence.

इन्जेक्शन और यह दोनों मिला कर नहीं। Clause 5 is only punishment for disobeying of the injunction.

कोरीजेन्डम है उसमें लिखा है। "or with fine which may extend to one thousand rupees".

श्री अध्यक्ष : This is only for breach of injunction.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ स्वीकार की गई।

क्लॉज ६ (ए)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : [(i) In sub-clause (1), insert the words "and every member of the Rajasthan Legislative Assembly and every pradhan of a Panchayat Samiti and Pramukh of a Zila Parishad" between the brackets, words and figures "(Rajasthan Act 21 of 1353)" and the word "and" occurring in the third line.

(ii) In sub clause (2), insert the words and comma, "member of the Assembly, Pradhan, Pramukh," between the words "such" and "Sarpanch" occurring in the first line.]
मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि It is not firstly happily worded.

(सोहनलाल भटनागर)

इसमें देखा जाय कि Sarpanch, Panch... all persons will have to give information about Mrityu Bhoj.

किसी भी गांव में भोज होता है तो तमाम आदमियों को एक साथ देना पड़ेगा, एक भी नहीं देगा सूचना तो जुर्म होगा। I don't think this is the intention of the House.

सरपंच को यह ऑथोरिटी देते हैं तो वाजिब नहीं है। पंच और सरपंच इलेक्टिव पोस्ट्स हैं और उनके ऊपर यह भार डाल देना उचित नहीं है बाद में उनको वोट भी तो लेना पड़ता है उन्ही से। इसमें पंच और सरपंच को क्यों रखा जाता है? क्यों न इसमें प्रधान को रखा जावे। पीनल बना देना भी बहुत भारी अन्याय होगा। पंच और सरपंच के ऊपर यह नहीं रखा जाय तो यह मेरी प्रार्थना है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट ६ (इ) में है।

In clause 6 A. sub-clause (2), delete the words and commas "such Sarpanch, Panch,"

अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज है, पंच, सरपंच they are bound to communicate to the nearest Magistrate......

सब-क्लॉज (२) में यह लिखा गया है कि पंच, सरपंच, पटवारी, लम्बरदार failing to give the information requiired by sub-section (1) to communicate shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine or with both.

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अमेंडमेंट है कि पंच और सरपंच के ऊपर जो पनिशमेंट रखा है उसको डिलीट करना है। उनकी इलेक्टिव पोस्ट्स हैं। to manage the affairs of the Panchayat. पंचायत की जो मीटिंग्स हैं to be a party in the deliberations एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिये He has not been elected to do police duties.

यह तो पुलिस की ड्यूटी है। पटवारी की ड्यूटी है। फिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट किस काम के लिये रखते हैं। पुलिस में इत्तला करना Sarpanch and Panch must intimate to the nearest Magistrate.

इस तरह हमने प्रावधान रखा है और किसी सरपंच ने, पंच ने इत्तला नहीं किया तो उसको इम्प्रिजन्मेन्ट तक कर दिया है। किसी कॉन्स्टीट्युशन में भी ऐसा प्रावधान होना उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ यह गलत रहेगा तो पंच और सरपंच क्यों रहें फिर तो मिनिस्टर भी रहना चाहिये। If there is a 'Mrityu Bhoj' in the Hon'ble Minister's constituency and if he fails to give information to the Magistrate, he must be imprisoned. So इलेक्टेड जो व्यक्ति हैं उन पर यह इम्पोज नहीं करना चाहिये। otherwise include the Ministers also, मिनिस्टर के लिये भी क्यों नहीं रखें फिर? मर्डर के लिए भी कहीं कहीं रखा है। If any witness does not

Page No.49

(श्री पी० के० चौधरी)

report a murder इत्तिला नहीं करता है तो उसको इम्प्रिजन्मेंट दे देंगे। मर्डर और रेप के केस के लिए भी ऐसा नहीं रखा है। A Sarpanch and Panch has got hundreds of other actvities to do. पंचायत का काम करता है, दूसरे भी धन्धे हैं उसके पास। नम्बरदार और पटवारी की यह ड्युटी है रेम्युनरेशन मिलता है। They are Government servants.

पुलिस का रखिये। पंच और सरपंच इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनके लिये ऐसा न रहे। आप आज पंच के लिए ऐसा करते हैं। कल पार्लियामेंट यह तय कर दे कि बॉर्डर के पास जो स्मग्लिंग होता है तो उस एरिया के जो एम. एल. एज हैं उनको इत्तिला देना चाहिये नहीं तो फिर उनको तीन महीने की सजा दे दी जाय। यदि एक इन्फोर्मर का काम उस पर रखते हैं तो यह उसकी प्रेस्टिज के भी खिलाफ है। इसलिये पेनेल्टी इम्पोज करने के प्रोविजन को डिलीट कर देना चाहिये। जिम्मेदारी रखते हैं उनको हम स्वीकार करते हैं but if it is convenient to him. इन्फॉर्मेशन देने के लिए वह अपनी खेती छोड़ कर मजिस्ट्रेट के पास जावे इसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ आप यह काम दूसरों पर छोड़िये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह नहीं है। आप इसके वर्डिंग्स को देखिये उसको पूरी नॉलेज हो। अक्सर क्या होता है कि गांवों में जीमन और मौसर होता है उसमें पंच लोग ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और वही उनको कम्पेल करते हैं कि तुम जीमन करो...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : That is traditional Panchayat, not the elected Panchayat.

श्री मूलचन्द डागा : जो पंच होते हैं वही उन सभाओं में इकट्ठा होते हैं और वेही आदमियों को कम्पेल करते हैं और बाध्य करते हैं कि तुमको मौसर करना होगा नहीं तुमको नुकसान होगा। इसलिए जान बूझकर यह रखा गया है कि जिसको नॉलेज हो, जिनके पास नॉलेज नहीं है वह तो कैसे करेगा। इसमें लिखा है कि दोज पर्सेस नॉलेज, यह ठीक रखा गया है। इसलिये मेरे खयाल से अगर यह रखा गया तो गांवों में मौसर होगा ही नहीं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने एक अमेंडमेंट दिया था पर वह कुछ लेट दिया था।

श्री अध्यक्ष : जो अमेंडमेंट्स समय पर आये हैं उनका वितरण कर दिया था फिर भी आप चाहें तो थोड़ा बोल सकते हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में जो बात चली थी कि सरपंच और पंचों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाये, तो मैंने कहा था कि वैसे उनकी ड्युटी व कर्तव्य दोनों हैं और वेही नजदीक रहते हैं लेकिन उनके लिये ऐसा रखा जाये और यह अमेंडमेंट मैंने रखा था कि जो भी पनिशमेंट लोगों को दिया जाये उसमें से इन्फोर्म करने वालों को रिवार्ड दिया जाये चाहे इन्फोर्म करने वाला पंच हो, सरपंच हो, लम्बरदार हो या पटवारी हो। दूसरे यह जो पनिशमेंट का रखा है कि अगर वह इन्फोर्म नहीं करेंगे तो तीन महीने की सजा दी जा सकती है तो

Page No.50

(श्री शंकरलाल)

इसके लिए निवेदन करूंगा कि यह तो उनके ऊपर बहुत ही हार्डशिप होगा। तो एक तो उनके पनिशमेंट को हटाया जाये और जब वह इन्फोर्म करे तो कोर्ट उनको एडीक्वेट रिवॉर्ड दे। जैसे कि फाइन से एक हजार रुपये रियेलाइज किये तो इसमें से इन्फोर्म करने वाले को कुछ रिवॉर्ड दे दें...

श्री सोहनलाल भटनागर : उसमें एम० एल० ए० को रख दिया जाये वह भी इनाम ले लेगा।

श्री शंकरलाल : इसलिये जो भी फाइन रियेलाइज किया जाये उसमें से इन्फोर्म करने वाले को रिवॉर्ड दे दिया जाये और जो उनके लिये पनिशमेंट का क्लॉज रखा है उसको हटा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : He is not moving.

अध्यक्ष महोदय, जो एम० एल० ए० के लिये अमेन्डमेंट पेश किया गया है उसको तो स्वीकार करने के लिए मैं कभी राजी नहीं हो सकता। मगर मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां प्रधान के ऊपर या प्रमुख के ऊपर पंचायत समिति और जिला परिषद् के ऊपर जिम्मेदारी लगाने की बात हैं मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध करने की वजह यह है कि पंच, सरपंच, पटवारी और लम्बरदार के ऊपर हो इसकी जिम्मेदारी आती है क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनकी लोकल एरिया है जिसके अन्दर वे रहते हैं और उनके क्षेत्र में जो बातें होती हैं उनका उन्हें पता होता है क्योंकि उनके पास कोई लम्बा चौड़ा एरिया तो होता नहीं है। अब जैसे कोई फ्युनरल फीस्ट है वह लार्ज स्केल पर होगी कोई गुपचुप तो होगी नहीं और इसका वहां के पंच, सरपंच, पटवारी अथवा लम्बरदार किसी न किसी को तो पता होगा ही। उनको इसीलिए रखा है कि उनको जानकारी होना स्वाभाविक है। अब एक प्रधान है उसके पास ६५,००० की पॉपुलेशन का एरिया होता है और इसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी रखी जाय मेरे खयाल से बिलकुल वाजिब नहीं है। इसी तरह से प्रमुख के ऊपर सारे जिले की जिम्मेदारी लगायें यह ठीक नहीं होगा। अब रहा सवाल इस बात का कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि पंच और सरपंच का एक इलेक्टेड ऑफिस है और उसके ऊपर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिये तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मृत्यु भोज एक प्रकार से सामाजिक इविल है और इसको हटाने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो उसको जब तक हम इफेक्टिव नहीं बनायेंगे तब तक कानून बनाने से कोई मतलब पूरा नहीं होता है। आज चाइल्ड मैरेज एक्ट लागू है लेकिन माननीय सदस्य कई बार कहते हैं कि उसके अन्दर बहुत से वॉइलेशन होते हैं तो मैं मानता हूं कि कोई सोशियल लेजिस्लेशन बनाना है तो वह हमें इफेक्टिव बनाना होगा और उसको रोकने की जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़नी चाहिये जो कि उस एरिया के अन्दर रहते हैं और जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वह अपना असर लोगों के ऊपर प्रिवेल करके सोशियल इविल को बन्द करा सकते हैं। इसके लिए जब तक हम कोई पैनेल्टी नहीं रखेंगे तब तक

Page No.51

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पंच, सरपंच, पटवारी और लम्बरदार कभी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। अभी पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि वह इस काम के लिए लोगों की ज्यादा मदद करते हैं तो मैं इकोक्टेड पोस्ट होने की वजह से इसको हटाना ठीक नहीं समझता और चूंकि पंच और सरपंच सीधे रूप में गांवों में रहते हैं और उनके पास जानकारी होती है तो फिर उन्हीं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिये। हमको लार्जर इन्टरेस्ट देखना पड़ेगा और यह देखना होगा कि यह कानून किस तरह से इफेक्टिव बनेगा। वैसे यह काम पटवारियों का भी नहीं और न लम्बरदारों का है Under the land Revenue Act but these are specific duties which we are entrusting under this clause कि जिसको उनको डिस्चार्ज करना चाहिये। इसको हम इसलिए करना चाहते हैं कि यह चार किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनका असर गांवों में रहता है, उनका कॉन्टेक्ट रहता है, उनको जानकारी रहती है। अगर वह चाहें तो इस सोशियल इविल को बन्द करा सकते हैं। उनके चाहने के लिये To create a desire in their heart and mind, I have placed this penalty. The experience will show if we succeed in our step or not in stopping this social evil. If we succeed, it will be a great achievement. the financial position of our peasantry will definitely be much better after this evil is stopped. तो अगर एक तरफ यह खराबी हो सकती है तो कोई बात नहीं, हमें तो यह देखना है कि हम कानून को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर इस तरह से बन्द हो जाता है तो यह बहुत भारी एचीवमेंट होगा इसलिये जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इन सारी बातों के ऊपर विचार करके अपना संशोधन वापिस ले लें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो इसकी लैंग्वेज है ६ ए की वह ऐसी है कि उसको localise नहीं किया है otherwise it will include Panchs and Sarpanchas of whole Rajasthan इसलिए सिर्फ इतना सा ६ ए (१) में आपकी आज्ञा से कह रहा हूँ After the last words "such offence", insert the words "within the local limits of his jurisdiction."

पंच, सरपंच, लम्बरदार और पटवारी को जोड़ दिया जावे। लोकल लिमिट्स से साफ हो जाता है कि वह उस एरिया में होंगे।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : लेकिन सरपंच और पंच तो तहसील पंचायत के भी हो सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसील पंचायत के पंच और सरपंचों पर तो इसलिए यह जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं कि उनकी लोकल लिमिट बहुत ज्यादा होती है।

श्री अध्यक्ष : 'पंचायत' के पहले 'ग्राम पंचायत' शब्द लगा दीजिये, उससे ठीक हो जायेगा।

श्री सम्पतराज जैन : नहीं, फिर तहसील पंचायत भी हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir. The word "Gram" may be added before the words "Panchayat" in the second line.

Page No.52

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : एम.एल.ए. को रख लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : If you are putting this burden on the Panchas, then why not on us also ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I say that besides being an M. L. A. one can get himself elected as panch or sarpanch also. There is no restriction against it.

श्री सम्पतराज जैन : तहसील पंचायत में तो १५-२० गांव होते हैं तो तहसील के पंच और सरपंच को कैसे पता लगेगा कि किस गांव में मौसर हुआ। पंच को मालूम हो सकता है, लम्बरदार को मालूम हो सकता है लेकिन सरपंच को कैसे पता चलेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है वह उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Though it is going to be a very bad law. I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन "Insert the words 'Gram' before 'Panchayat' in second line. and also insert the words within the local limits of his jurisdiction at the end of sub-clause (1)" मन्त्री मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ६ ए स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ६ ए स्वीकार की गई।

क्लॉज ७ (ए)

श्री पी० के० चौधरी।

Page No.53

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that in clause 7A delete sub-clause (2) अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७ में हमने प्रोवाइड किया है Prohibition of borrowing or lending money, (1) No person shall borrow from or lend to any other person, money or material for the purpose of holding or giving a Mrityu Bhoj.

और उसके सब-क्लॉज (२) में दिया है "Every agreement for the repayment of a loan advanced with the knowledge or having reason to believe that the loan so advanced will be utilised for the purpose of the holding or giving of a Mrityu Bhoj shall be void and not enforceable in a court of law."

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट है वह सब-क्लॉज (२) के डिलीशन के लिये है और उसका सबसे पहला रीजन तो यह है कि सब-क्लॉज (२) एक इनएफ्क्चुअल क्लॉज है कि कोई आदमी किसी को मृत्यु भोज के लिये पैसा देगा तो वह कोर्ट में एन्फोर्सेबल नहीं होगा।

ऐसा जो कानून है जो कि कोई उपयोग में नहीं आने वाला है तो उस क्लॉज को यहां नहीं रखा जाना चाहिये। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इसका लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट पर भी असर पड़ता है और फिर यह सब्जेक्ट कॉन्करेन्ट लिस्ट में होने की वजह से इसको यहां नहीं उठाया जा सकता क्योंकि लॉ आफ कान्ट्रेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। अब जैसे मैंने किसी को रुपया दिया He has reason to believe that this will be utilise fort he Mrityu Bhoj. उसका एन्फोर्समेंट होता है तो वह रुपया हम विड्रा नहीं कर सकते। आज रुपया पटान से लेते हैं and bound by the contract laws.

They are bound by the Contract Law. It is a relation with a foregin.... आप उसको इन्वेलीडेट नहीं कर सकते। जैसे आज बैंक्स हैं और किसीने बैंक से दस हजार रुपया लिया और लेकर मृत्यु भोज में लगा दिया और बैंक ने वह लोन उसको दिया They are all coming under the Central Government. They are in the Central List. उसको इन्वेलीडेट नहीं कर सकते, यहां कानून पास करके। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कानून है It is against the contract laws which is in the concurrent list. और जिसके ऊपर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और जिस व्यक्ति को रुपया बैंक दे देता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। हमारी स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा अधिकार है कि वह रेट ऑफ इन्टरेस्ट को कन्ट्रोल कर सकती है लेकिन जो इसका एग्रीमेंट होता है उसको नल एण्ड वाइड डिक्लेयर करने का अधिकार इस लेजिस्लेशन को नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वह जो क्लॉज (२) है वह गलत है It will bs illegal even if we pass it.

दूसरी बात यह है कि आपने यह यहां पर इनएफ्क्चुअल क्लॉज रख दिया है और कह दिया है कि हमने ऐसी-ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर पैसा कोई दे देगा तो वापिस नहीं मिलेगा और न इसके लिये कोर्ट ऑफ लॉ में कोई रिकॉग्नीशन होगा। लेकिन जो यह भावना है प्रिजेन्टेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट He has not done a corrupt practice.

(श्री पी० के० चौधरी)

He has not submitted a false statement. रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट में जो भाषा यूज की जाती है उसको हम जानते हैं कि कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि किसी आदमी से जानबूझकर केस कराया गया है। यह जो लैंग्वेज रखी है कि किसी ने पैसा एडवान्स किया है Having reasons to believe that the loan advanced will be utilised for the purpose of Mrityu Bhoj...... उसमें दो चीजें हो सकती हैं एक तो लिटीगेशन बढ़ जायेगा। एक आदमी ने ऑनेस्टली पैसा एडवान्स किया है लेकिन जो आदमी रिपेमेन्ट नहीं करना चाहता है वह कहेगा कि हमने तो मृत्यु भोज में पैसा लगा दिया और दूसरा काम यह करेगा कि किसी दूसरे कैसे करा देगा He will not come himself. He will challenge it. यह एस्टेब्लिश करेंगे कि वह रुपया मृत्यु भोज में उपयोग करेंगे इसलिये उसका जो लोन है वह कैंसेल हो जायेगा। यानि इसका मतलब है कि अननेसेसरी लिटिगेशन को बढ़ावा देंगे। We are going to give more income to the lowers and for some crooked People... इसलिये मैं समझता हूँ कि दो दृष्टि से यह एनफोर्सेबल नहीं हो सकता एक तो यह इनएक्युएस है और दूसरे रीपेमेन्ट नहीं करने के लिये लिटिगेशन बढ़ेगा। अगर बैंक ने रुपया दिया तो क्या आप उसका लोन केन्सिल कर सकते है ? नहीं कर सकते हैं। It will not be helpful in genuine cases.

इसलिए मैं मानता हूँ कि यह जो सब-क्लॉज (२) है उसको डिलीट कर दिया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा है मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ और उसका कारण है। उनका कहना यह है कि हम ऐसा लॉ बना रहे हैं जो कि इनएक्युएस रहेगा और वह इफेक्टिव नहीं होगा और कोर्ट ऑफ लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और उसका मिस्यूज हो सकता है और जो रुपया लेने वाला है वह चैलेन्ज नहीं करेगा और किसी थर्ड पार्टी से करा देगा तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही बातें ठीक नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रावायरस होगा इसलिये लेजिस्लेचर इस प्रकार का लॉ नहीं बना सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कानून पहले जयपुर स्टेट के अन्दर था जिस का नाम फ्यूनरल फीस्ट एक्ट था और मेरी जानकारी में है कि इस प्रकार के मुकदमे बने हैं और ऐसे डेट्स जो कि फीस्ट के लिये दिये गये हैं उनको नल एण्ड वाइड किया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : You are going to invite a lot of complications.

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर स्टेट में था तो यह जो डिफिकल्टी है — This is a provision which I have put in here from that Act.

The necessary ingredient is that the man who advances knows actually that this loan will be utilised for funeral feast. Therefore, there is no question of misuse, this way or that way. If they advance knowingly that they are advancing money for

(श्री दामोदरलाल व्यास)

the funeral feast, that contract will be null and void. It is on the Concurrent list and the State Government is competent and therefore the question of constitutional difficulty does not arise. So I hope he is now convinced and will withdraw.

श्री पी० के० चौधरी I may be permitted to withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ७ ए में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ ए स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ ए स्वीकार की गई ।

क्लॉज ८ ए

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): [Replace clause 8 A by the following:-

"8. A. **Jurisdiction and cognizance of offences**:- No court other than that of a Magistrate of the First class shall take cognizance of, or try, any offence punishable under this Act".]

The Select Committee's report was not to make any alterations for the reasons given there

सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज ३ पर । ओरीजिनल क्लॉज ६ जो थी उसके वर्डिंग्स उसमें आने चाहिए थे । But some how or the other it has been altered.

उसके वर्डिंग्स को वहां पर रखा है । तो यह जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है और जो बिल सलेक्ट कमेटी ने किया है उसमें डिस्क्रिपेन्सी है । There is a discrepency in 6, as in the original bill it has been recommended by the Select Committee as 8. A. यह पीछे का था । It is what the Select Committee has recommended and that it has not been included...

श्री अध्यक्ष : मन्शा तो दोनों की एक ही है ।

श्री पी० के० चौधरी : There is a difference. Here the wording has been held:-

That no court inferior in rank to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

No court other than that of a Magistrate 1st class would decree. It must not be inferior to 1st Class Magistrate......

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : Sir I am not inclined to accept this suggestion. In both these clauses there is no defference.

Page No.56

श्री पी० के० चौधरी : There is......

श्री अध्यक्ष : उसमें यह other than a court of First Class Magistrate. Higher court can take cognizance.

श्री मोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Higher court does not take cognisance......

श्री दामोदरलाल व्यास : In Cr. P. C. there is a Chapter. This lays down who is to take cognizance. So the risk of higher courts taking cognizance does not arise, so far as there is a definite provision how they will try the cases. One of the Hon'ble Members apprehended that it will be open to interpretation. I explained the position there.

श्री पी० के० चौधरी : You accept your mistake At that time......

श्री दामोदरलाल व्यास : No. It is not a mistake. I have no objection to accept your amendment. I think it is more happily worded. There is no reason higher courts taking risk. If he wants to press his amendment......

श्री अध्यक्ष : It is a question of legal version.

श्री पी० के० चौधरी : Last time we found that Report of the Select Committee was different......

श्री अध्यक्ष : He is perfectly willing to accept what you say. Now the question is which is better.

श्री दामोदरलाल व्यास : I entirely agree Sir.

श्री अध्यक्ष : Insert the words. "Take cognizance of or" between the words "shall" and "try".

श्री दामोदरलाल व्यास : It means if his amendment is accepted, so I need not move my amendment.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : There is one more amendment......

श्री अध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्रीभीमसेन ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : [Add the following new sub-clause :-

"(2) Offences under sections 3 and 4 shall be cognizable".] अध्यक्ष महोदय, मेरा सेकिन्ड क्लॉज़ में पुलिस के कॉग्निजेन्स के बनाने का है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Please don't move that.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Because Police will make us foolish.

श्री भीमसेन : इसमें बतलाया गया है.....

श्री अध्यक्ष : आप पेश कर रहे हैं संशोधन ?

Page No.57

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं कर रहे हैं। He is adament.

श्री भीमसेन : सेक्शन ४ में If a court is competent to take cognizance of an offence punishable under sec. 4 is satisfied...... इसमें जो पनिशमेंट दिया गया है उसको पुलिस के कॉग्निजेन्स का बनाने के लिए मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया है। अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ४ में यह प्रोविज़न दिया है, लेकिन यह आशंका हो सकती है कि सरपंच या पंच हो सकता है कि मौका आवे कि सूचना दे दें और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि पंच या सरपंच ने सूचना दी या नहीं और मौसर हो गया, किसी गांव में ऑफेन्स कमिट हो गया है लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। पंच या सरपंच अपनी ड्यूटी अदा नहीं करें इसलिए कि कोई मौसर हो जाय और किसी को सूचना नहीं मिले और सारा काम ठीक ढंग से हो जाय, तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस कॉग्निजेन्स ले सके तो यह ऑफेन्स बहुत कम हो पायेगा। यह कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ में जाने से करप्शन की गुंजाइश रहेगी, मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इस बात की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस के पास कोई शिकायत आवेगी तो उसका कॉग्निजेन्स पुलिस को लेना पड़ेगा, और पुलिस को सरपंच और पंच इत्तला देने वाले हैं। इसमें करप्शन की गुन्जाइश रहना बेईमानी है, क्योंकि पुलिस को चालान पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट के सामने केस जायेगा। इसलिए करप्शन की गुंजाइश पुलिस में नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको पुलिस के कॉग्निजेबल केस बनाया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I am definitly opposed to this Sir. I don't want that the Police should come in any matters relating to the social evils and I don't want to make this law as cognizable. His difficulty is that suppose a Lumberdar or a Panch or a Sarpanch, does not make report, on whom there are responsibility for that. I can only point out that anybody can set the law in motion. That is a general principal that anybody can put that. Anybody can put it in motion. I hope he will withdraw his motion.

श्री अध्यक्ष : साल भर में कोई न कोई खड़ा हो जायगा।

(हंसी)

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : नहीं खड़ा हो तो एम. एल. ए. खड़ा हो जायगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको विड्रॉ करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीमसेन ने रखा है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री भीमसेन : मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.58

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ८ ए को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ८ ए स्वीकार की गई ।

क्लॉज ९

श्री दामोदरलाल व्यास ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I was under the impression that this amendment is being moved only that the period of one year's limit should be reduced to 5 months (substitued six months for one year.) I think I need not press this amendment.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move the amendment that in clause 9 replace the word 'year' by the word 'month'.

It is not the period of prosecution but the period of information.

No court shall take cognizance of an offence under this Act after the expiry of one year from the date on which the offence is allaged to have been committed.

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम पेनल क्लॉज़ रखते हैं कि पंच या सरपंच जाकर अपने गांव में ऑफेन्स होता है उसकी इत्तला उसको देना चाहिये इमीजियेट्ली । अब उसके लिये साल भर का टाइम रखा है कि साल भर में कभी भी जाकर मैजिस्ट्रेट को जाकर इत्तला देगा । साल भर में इत्तला दे । एक तो आप पहले क्लॉज़ रखते हैं । It must be inference of the Magistrate...... उसके लिये साल भर का टाइम रखें तो मैं इसे उचित नहीं समझता हूँ । साल भर बाद जाकर इत्तला देगा तो क्या करेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो मतलब समझे हैं वह ठीक नहीं है । प्रोसिक्यूशन के लिए क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है । प्रोसिक्यूशन १०० वर्ष बाद भी हो सकता है । यह दूसरी बात है कि मैजिस्ट्रेट डिले का फायदा एक्यूज्ड को दे या न दे । It can be tried by any Magistrate whether the offence is Committed. And so far as this clause is concerned, it is not necessary to place some limit so that within that period, if any offence is committed a Magistrate also can take cognizance of it... एक साल तक इत्तला देने का रखा है To inform. That means they have to inform whenever it come their notice that a contravention of this law is being committed. It is for the taking cognizance. Supposing the Panch or Sarpanch don't inform the Magistrate but if any body else has come to know of it, after six months he can approach the Magistrate to take action and e Magistratt will be competent eno-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ugh to take cognizance. It has nothing to do with the Panch or Patwari.

श्री अध्यक्ष : ऐसा माना जाय कि आपने इसको मूव नहीं किया है। प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ स्वीकार की गई।

क्लॉज १०

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : My amendment is for placing all the Rules made under this section on the table of this House.

"All rules made under this Section shall, as soon as may be after they are made, be laid for not less than fourteen days before the House of the State Legislature and shall be subject to such modifications, whether by way of repeal or amendment, as the House may make during the session in which they are so laid."

I think the Hon'ble Minister should have no objection to this.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : But, Sir, this is not at all necessary to insert this provision on account of there being such a provision in our Rules of Business. Rules are made and they have to be laid on the Table of the House. I think no specific provision need to be made here.

श्री पी० के० चौधरी : Provision will be made...

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps my interpretation has been doubted and therefore, I accept his amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज १० स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज १० स्वीकार की गई।

क्लाज ११

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ स्वीकार की गई।

क्लाज १२

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, In clause 12 sub-clause (1) Delete the comma and the words "or under any law notified in this behalf by the State Government."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ के जरिये हम पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं

Page No.60

(श्री पी० के० चौधरी)

और उसमें जो ऑफेन्सेज दिये हुए हैं उनके कारण एक व्यक्ति पंचायत के चुनाव में खड़ा होने के लिये डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है उन्हीं ऑफेन्सेज को हमने इसमें लिया है जैसे मोरल टरपिट्यूड, टीनियस ऑफेन्स अंडर अनटचेबिलिटी आदि ये सब ऑफेन्सेज किये हैं उनमें कन्विक्टेड होता है तो वह पंच नहीं बन सकता। अब amendment of Section 11 Rajasthan Act 21 of 1953 -(1) After clause (i) of section 11 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Rajasthan Act 21 of 1953), the following new clause shall be inserted namely has been convinced of an offence punishable under the Rajasthan Prevention of Mrityu Bhoj Act, 1959, or यह क्लॉज अन्डर any other law notified in this behalf by the State Government. मैं समझता हूँ It is going to give powers beyond the jurisdiction of this Legislature. Why such wide powers are given to the Government. हम और तो क्रिमिनल एक्ट के अन्दर में मंजूर कर देते हैं। कोई भी नोमिनेशन फाइल करने से पहले कनविक्टेड हुआ है, मान लीजिये सेक्शन १४४ में जिसको सज़ा हुई है वह पंच की पोस्ट के लिये खड़ा नहीं हो सकता, मोटर ड्राइव करने में किसी से ऑफेन्स हो गया है तो भी उसे डिबार करेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ मंत्रीजी मेरे अमेंडमेंट को मन्जूर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आज मैं आपके सभी अमेंडमेंटस को मंजूर करूंगा। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि वे बार-बार यह कहें कि आप हमारी विशेज को अकोमोडेट नहीं करते इसलिये उनकी भावना को अकोमोडेट करने के लिये मैं इस अमेंडमेंट को मंजूर करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १२ में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज १२ स्वीकार की जाय।

संशोधित क्लोज १२ स्वीकार की गई।

दीर्घ शीर्षक (Long Title)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : इसमें मेरा अमेंडमेंट इतना है कि फ्यूनरल फीस्ट की जगह मृत्यु भोज कर दें। Substitute the words 'Mrityu Bhoj' for the words "funeral feasts".

PREAMBLE

Substitute the words 'in the State of Rajasthan' for the word, comma and figures, "Act, 1959" occurring in the third line.

I think these are formal changes...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रिएम्बल में जो संशोधन मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रिएम्बल स्वीकार की जाय । -

(स्वीकृत)

संशोधित प्रिएम्बल स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ में जो संशोधन मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज १ स्वीकार की जाय ।

संशोधित क्लॉज १, स्वीकार की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९ को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने कल की तारीख में यहां पर जो विधेयक पारित किया था वह जितना महत्वपूर्ण है उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूं (करतल ध्वनि) क्योंकि कृषक समाज के गरीब होने का मूल कारण और माली हालत खराब होने का प्रमुख कारण यदि कोई है तो मृत्यु भोज की प्रथा है जिसने उनको ऋणी बना रखा है; गरीबी में डुबा रखा है । इस कुप्रथा को हटाने के लिये कानून बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक था । मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल के महत्व को देख कर उन्होंने सहयोग दिया । मुझे पूर्ण आशा है....

श्री मोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): विरोधी दल ने भी काफी सहयोग दिया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे पूरी आशा है कि इस बिल को पास होने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय सदस्य सहयोग देंगे, अपने अपने क्षेत्र में जहां ऐसी बात हो, वहां लोगों को एजुकेट करने में सहयोग देंगे, गावों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में जब कभी सभाओं में जांय, तो इस प्रथा को खतम करने की बात करेंगे । अगर हम यह चाहते है कि किसानों की हालत ठीक हो, तो यह तभी हो सकता है कि इस कुप्रथा के अन्दर जो पैसा बर्बाद कर देते हैं, वह पैसा बचे तब उससे मकान बनायें और इस तरह उनका रहन सहन का तरीका ठीक हो सकता है । इसलिए जो महत्वपूर्ण बिल हम सदन में पास कर रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य मुबारकबाद के हकदार हैं । मैं आशा करता हूं कि इस पर ज्यादा डिबेट न करके इसे पास कर दिया जाय ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, आज हम मृत्यु भोज विधेयक को स्वीकार करके, जैसा कि इस विधेयक के प्रस्तावक राजस्व मन्त्रीजी ने कहा, वास्तव में एक बड़ा क्रांतिकारी मार्च कर रहे हैं । भू-सुधार के सम्बन्ध में कल का जो कदम था, वह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, समाज

Page No.62

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सुधार की दृष्टि से यह कदम भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो सरकार हमारे देश में चल रही है और हमारे प्रदेश में चल रही है, वह पुरानी सरकारों से इस अर्थ में भिन्न है कि इसका केवल शासन करने का कार्य नहीं है, केवल प्रशासनिक कार्य ही नहीं है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य आज के शासन द्वारा चलाया जा रहा है। यह कल्याणकारी राज्य तभी सफल हो सकता है कि जब यह मान लें कि जीवन के हर पहलू में जो सुधार आवश्यक हैं, वह करें, यह मृत्यु भोज, बाल विवाह, जैसे सामाजिक रोग देश में चले आ रहे हैं, जिन्होंने इस देश की जनता को खोखला बनाया है, उसका शोषण किया है, धर्म के नाम पर, सामाजिक रूढ़ियों के नाम, हमारे देश का शोषण होता चला आ रहा है। जिस प्रकार का यह कानून बना है, मैं समझता हूं आज की सरकार के लिए और जनतांत्रिक सरकार के लिए, जनता के प्रतिनिधियों के लिए बहुत आवश्यक है, जहां हम लोगों ने यहां बैठ कर इसमें सहयोग दिया है कि हम इस तरह एक सामाजिक सुधार का कानून बनायें, वहां मैं राजस्व मन्त्री के शब्दों के अनुसार यह समझता हूं कि हम सब पर एक दायित्व आता है, हम सब अपने इस भार को लें, कि यह जो कानून बन रहा है, वह सिर्फ एक कानून के रूप में न रहे, अपने राज्य के अधिकारी इस बात का ध्यान रखे, कि जहाँ ऐसा मौका आये, तो देखें, कि क्योंकि यह कानून तोड़ा जाता है और क्या इसके लिए दण्ड दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इस कानून का कम से कम प्रयोग हो, हम समाज में जाकर, जनता में जाकर इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। मेरी मान्यता है कि जहां कहीं भी इस प्रकार का मृत्युभोज होता है, उसमें करने वाला कम जिम्मेदार है, ज्यादातर उसको दूसरे लोग, जाति बिरादरी के जो चौधरी होते हैं, गांव के बड़े–बड़े लोग होते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम ऐसा करो। जब तक उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं होता, तब तक उनको बड़े–बड़े लोगों की, पंच, सरपंच और चौधरियों की बात माननीय होती है। अब उनके पास एक अस्त्र है, क्या करें, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है। तो इस चीज को लेकर हम लोगों को समझा सकते हैं कि इससे दो प्रकार की अपनी हानि करेंगे। एक तो आर्थिक हानि होती है, बहुत से रुपये, जिनको अच्छे कामों में लगा सकते हैं, किसी सम्बन्धी के मरने पर, उसकी स्मृति में औषधालय बना सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, और दूसरी चीजें कर सकते हैं। इसके बजाय अगर हजारों रुपये लोगों को खिलाने पिलाने में लगाये....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए क्या करें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शांति पहुँचाने के लिए यह होगा कि आत्मा कहीं से देखेगी कि मेरे नाम पर स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें ५० या सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो आत्मा को शांति पहुंचेगी। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर दायित्व आ जाता है। हम अपने क्षेत्र के लोगों को इसका महत्व समझायें, इस बात का पूरा प्रयत्न करें, यह कोई प्रशासनिक कार्य ही नहीं जो पुलिस और रेवेन्यू के दूसरे महकमे हैं, उनका काम ही नहीं है, बल्कि यह समाज सुधार सम्बन्धी

कानून है, इसका अधिक से अधिक जनता पालन करे, ऐसा कोई मौका न आये और इस कानून के द्वारा लोगों को सताया न जाय। मैं समझता हूं कि जो यह विधेयक स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और माननीय सदस्यों ने इसमें सहयोग दिया है, इसको स्वीकार किया है, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अजहद खुशी है कि इस सदन के अन्दर ऐसा विधेयक स्वीकार करने जा रहे हैं, जिसकी हमारे प्रान्त के अन्दर बड़ी भारी आवश्यकता है। मुझे तो खास करके इस बात से और भी ज्यादा खुशी है कि जिस चीज को मैंने काफी वर्षों तक अपना उसूल समझा, मृत्यु भोज के नाम की चीज, जिसको विभिन्न इलाकों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसको वर्षों तक प्रचार के जरिये रुकवाने की कोशिश की है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपका असर काम कर रहा है।

श्री मोहरसिंह : स्वामी दयानन्द द्वारा निर्मित आर्यसमाज की वेदी से मैंने वर्षों तक प्रचार किया कि गरीब को अधिक गरीब बनाने वाली जो कुप्रथा है, जो समाज में फैली हुई है, उसको बन्द जब तक नहीं कर दिया जायेगा तब तक हमारा समाज ऊंचा उठ नहीं सकता। आज उसको कानून का रूप हम दे रहे हैं, इस जगह के ऊपर, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी सामाजिक कुप्रथा हमारे देश के अन्दर फैली हुई है, धार्मिक अन्ध विश्वास के अन्दर समझिये, सामाजिक कुप्रथा के अन्दर समझिये, समाज का ज्यादातर हिस्सा, सारे समाजों के अन्दर खास तौर से हिन्दू कम्युनिटी के अन्दर विशेष करके वर्षों से, पौराणिक काल से एक तबका दबता आ रहा है। यही नहीं बल्कि गरीबों के लिए यह इतनी बुरी चीज सिद्ध हुई है कि गरीब को निहायत गरीब बनाया है। तो यह ऐसी सामाजिक कुप्रथा है जिसने वर्षों तक दलित किया और वर्षों तक गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाया, उसको आज मिटाने के लिए बुनियादी कदम उठा रहे हैं, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। वास्तव में और जितने क्रांतिकारी सुधार थे, जो खाली अर्थ से सम्बन्धित रहते थे, उसको यहां पास करते हैं और उसके साथ में अर्थ तथा सामाजिक सुधार सम्बन्धित कानून को पास करने जा रहे हैं, दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उन इलाकों में जहां सामाजिक सुधार का प्रचार कम हुआ है, उन इलाकों में आज यह बीमारी बुरी तरह फैली हुई है, खास तौर से मेवाड़ के इलाके में मैंने देखा है, यहां मैं वर्ष पहले गया हूं, मैंने वहां पाया है कि सामाजिक सुधार का प्रचार नगण्य और इस बीमारी ने लोगों को तबाह कर दिया है। हां प्रचार के कारण खास तौर से राजस्थान के तीन जिलों में, सीकर, झुंझुनूं, चुरू में यह सामाजिक कुप्रथा जरूर कम पड़ गई है। मैं राजस्थान में घूमा हूं, कई जगहों के ऊपर मैंने पाया है कि यह बीमारी बहुत जोरों से फैली हुई है। वास्तव में एक कानून के रूप में इस चीज को पास करने जा रहे हैं, जिस तरह से इस कानून को एक मत

(श्री मोहरसिंह)

होकर इतनी जल्दी पास कर रहे हैं, यह साबित करता है कि उस चीज को मिटाना चाहते हैं दिल से, इसके साथ ही इनके अन्दर कोई मतभेद की जैसी चीज नहीं आई है। इस तरह ....

श्री मूलचन्द डागा : लोगों को इकट्ठा करने में आसानी नहीं होगी, लेक्चर सुनने के लिए।

श्री मोहरसिंह : इस तरह से इस कानून को कार्य रूप में परिणत करने लिए इस कानून को, लोगों को ढंग से समझायें, तो यह बीमारी रुक जायेगी। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, इसका जो बुरा नतीजा रहा है, और जिस कदर समाज में फैली हुई है, इसका स्पष्टीकरण तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में मैंने इस बात को देखा है मृत्यु होने के बाद लोगों को बाध्य कर दिया जाता हैं कि वह इसके लिए मौसर आदि करें। अभी थोड़े दिनों की बात है कि समाज सुधार का काम चल रहा था, वह प्रचार बंद हो गया, राजनैतिक क्षेत्र में समाज सुधार कार्यकर्ताओं के मशगूल हो जाने से लोगों के अन्दर यह बीमारी दुबारा फैलना शुरू हो गई, मुझे एक किस्सा याद है रतनपुर के पास एक गांव का किस्सा अर्ज करता हूं वहां एक गांव में एक किसान के पिता का देहान्त ५-७ साल पहले हुआ। उसके पिता का देहान्त होने के कोई ७ साल बाद उसकी माता का देहान्त हुआ तो उसको लोगों ने परेशान करना शुरू किया, चिढ़ाना शुरू कर दिया कि तेरा पिता रात में लौटता है, तेरा पिता रात को आवाजें लगाता है और इस तरह बेचारे को तंग आकर इतने साल पहले मरे हुए पिता का भी माता के साथ काज करना पड़ा और इस तरह उसके पांच छः हजार रुपये खर्च हो गये। तो यह एक बहुत बुरी बीमारी है जिसने लोगों को कर्जदार बना रखा है। इस बीमारी को मिटाने के लिये हम यह कानून के रूप में कदम उठा रहे है, इसका मुझे हर्ष, मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रचार के द्वारा इस बीमारी को रुकवाने के लिये मैं ज्यादा से ज्यादा सहयोग दूंगा।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक न केवल समाज सुधार की ओर कदम है बल्कि ग्राम सुधार की ओर भी कदम हो गये कुछ वर्षों में काश्तकार की आमदनी काफी बढ़ी, खेती की पैदावार बढ़ने के कारण काश्तकारों की आमदनी बढ़ी पर गावों में कई घुन ऐसे लगे हुए हैं जिनके कारण गांवों में काश्तकारों की माली हालत अच्छी नहीं हो सकती। उन घुनों में से एक घुन यह भी है, मृत्युभोज का। यह जो कानून पास किया जा रहा है इसके कारण यह बीमारी मिटेगी और वह पैसा ग्रामों के विकास में लगेगा और इस तरह ग्रामों में सुधार होंगे। १९५८ की फरवरी में सरपंचों का सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधान मन्त्री श्री नेहरू पधारे थे तो देहातों में मांग हुई थी कि हमारे यहां मृत्यु भोज को बन्द करने का कानून बनाना चाहिये, उस

(श्री सम्पतराज जैन)

वक्त प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने हमारे मुख्य मन्त्री से कहा था कि राजस्थान में ऐसा कानून बनाना चाहिये। तो इस तरह यह कानून पास करके हम हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू की आकांक्षा को भी पूरा कर रहे हैं। इससे हमारे गांवों में काफी पैसा बचेगा और वह पैसा ग्रामों के विकास और सुधार में काम आयेगा। इस कानून से किसानों की माली हालत में निश्चित रूप से सुधार आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, मौसर प्रथा, नुक्ता प्रथा थी उसमें पंच, सरपंच, मुखिया लोग गरीब आदमियों को उसके किसी रिश्तेदार को, कुटुम्बी की मृत्यु के आठ आठ, दस-दस साल बाद भी नुक्ता करने के लिये मजबूर करते, कहते हैं तेरा बाप रालोड़े में लौट रहा है, जब तक उसका नुकता नहीं कर देगा जाति में बराबर पंगत में नहीं बैठायेंगे और मजबूरी दर्जे से उससे मौसर करवाया जाता था पर आज हमारे पटवारी, पंच, सरपंच नम्बरदार पर जिम्मेदारी पड़ गई है कि यदि किसी मौसर नुक्ते के होने की वह सूचना नहीं देता है, इसके लिये उसको दण्ड देना पड़ेगा। कोई बोहरा किसी काश्तकार को कारज करने के लिये कर्ज देता है तो वह कर्ज वैध नहीं होगा यह व्यवस्था रख कर इस बुराई को मूल रूप से मिटाने का प्रयत्न किया गया है। यह विधेयक यहां पेश हुआ है उसके लिये मैं राजस्व मन्त्रीजी को और सरकार को बधाई देता हूँ कि यह बिल पेश करके हमारे यहां फैली हुई एक भयंकर बीमारी को और सामाजिक कुरीति को मिटाने के लिये बहुत अच्छा कदम उठाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मृत्युभोज निरोधक बिल हमारे सामने है, मैं यह मानता हूं कि बड़ी देर के बाद में हम इस मृत्युभोज प्रथा को मिटाने के लिए कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि हमारी हिन्दू संस्कृति में यह मृत्युभोज एक अभिशाप की परम्परा है जो बराबर चलती चली आ रही है। मुझे अब भी शक है माननीय अध्यक्ष, कि इस बिल को पास करने के बाद और इसको कानून बनाने के बाद हमारा आक्रमण इस बुराई पर कितना प्रभावशाली होगा आज से करीब ९ वर्ष पहले, राजस्थान में इस विषय में जो वातावरण था उसका सबसे बड़ा खामियाजा हम लोगों को उठाना पड़ा है। इस मृत्युभोज के विरोध के नारे को लेकर जो प्रगति के विरोधी हैं, राजस्थान में उन्होंने सन् १९५१ में राजस्थान की राजनैतिक परिस्थिति को मोड़ देने की कोशिश की। उन्होंने इस नारे को लेकर और हमारा जो वातावरण है जो मैं मानता हूं वस्तुतः अब तक पुरानी संकीर्ण मनोवृत्तियों से मुक्त नहीं हुआ है....

१.४६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, उन्होंने न केवल सामाजिक दृष्टि से बल्कि राजनैतिक दृष्टि से दूसरी ओर ले जाने की कार्यवाही की। पर हमारा देश, राजस्थान प्रगति की ओर रहा है, यही कारण है कि वह वातावरण न केवल धीरे-धीरे दूर होता चला गया है, बल्कि आज ऐसी स्थिति राजस्थान में है कि हम साहस के साथ किसान को कह सकते हैं, ग्रामीणों को कह सकते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी

(श्री जनार्दनराय नागर)

इस बुरी प्रथा को निश्चित रूप से समाप्त करना है। इस बिल में इस कुप्रथा को मिटाने का प्रावधान है पर मेरी दृष्टि से इतना सुलभ नहीं है। दुर्भाग्य से पिछले करीब १ हजार वर्ष से अनुकरण करने वाले अत्युत्तम सुधारवादी रहे हैं पर हमारे यहां क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किये। हम धीरे-धीरे, हल्के-हल्के सुधार करने की कोशिश करते हैं और मैं मानता हूं, यह एक सुधार का कदम है, पर जितना कड़े से कड़ा अपराध इसे बनाया जाना चाहिये था उतना कड़ा अपराध इस बिल को भी नहीं बना पाये हैं, इसलिये भय है कि इस प्रकार के सामाजिक सुधार के कानून की अतीत में जो गति हुई है, वही इस बिल की भी नहीं हो।

कानून हम हिम्मत के साथ बना रहे हैं और मेरे माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि समाज के संकीर्ण वर्ग से, अन्य परम्परा मानने वाली श्रेणियों से विरोध भी सहना पड़ेगा पर यह सुधार का कदम है। जहां तक मृत्यु भोज का सवाल है, मैं एक और चीज को मिला कर देखने की कोशिश करता हूँ, वह है शादी विवाह। शादी विवाह और मौसर में हम प्रतिवर्ष ७ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। इतनी बड़ी धनराशि इन सामाजिक परम्पराओं को निभाने में खर्च कर देते हैं जिनमें कोई सार नहीं रहा। मैं विवाह के संस्थान की बात नहीं करता, विवाह के बारे में मेरे माननीय मित्रों की वह दृष्टि हो सकती है पर हमारे भारतवर्ष में इतना फिजूल का खर्चा होता है कि इन मौसरों की प्रथा को कड़ाई से बन्द करना आवश्यक हो गया है। उन्हीं स्थानों पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं धार्मिक रस्मों को पूरा करने के लिए हम फिजूल का खर्चा किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार का खर्च हम किसी के मरने पर हम मृत्यु भोज करके करते हैं। सच तो यह है कि वैज्ञानिक तरक्की से अभी बहुत दूर हैं और हमने वैज्ञानिक उन्नति की तरफ नहीं सोचा है न सोचने वाले हैं। हमने कुछ विज्ञान का उपचार करना थोड़ा बहुत जाना है और वह भी इस तरह का है कि जिससे हमें संतोष नहीं। विज्ञान से हम दूर भागते हैं। विज्ञान से हम दबका करते हैं। विज्ञान के लिए हम अजीब-अजीब बातें कहा करते हैं। लेकिन जहां तक मृत्यु भोज का प्रश्न है जिसके लिए आज हम १९५९ में इस तरह की बातें करते हैं और यह कहते हुए फूले नहीं समाते हैं कि हम राजस्थान में प्रगतिशील और क्रांतिकारी कानून बनाने जा रहे हैं। सच तो यह है कि यह कानून जो आज लाया जा रहा है आज से कई वर्ष पहले आ जाना चाहिये था। यह देर से आया है। इसके लिए राजस्थान के राजनैतिक नेता जिम्मेदार हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनमें हिम्मत नहीं थी इसलिए यह इतने दिन बाद बिल लाया गया और यह देरी हुई। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनमें हिम्मत ही अब आई हैं जबकि उन्होंने यह बिल रखा है और यह बिल आज से बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। सन् १९५१ में जो मृत्यु भोज को लेकर राजनैतिक स्थिति का लोगों ने फायदा उठाया उसका सामना करना पड़ा अगर उसके तुरन्त बाद उत्तरोत्तर परिस्थिति का मुकाबला किया होता तो मैं समझता हूँ कि देरी से होने वाला सुधार है वह बहुत जल्दी कर पाते थे। सच तो यह होगा कि समाज सुधार होना चाहिये

(श्री जनार्दनराय नागर)

और राजनैतिक और सामाजिक प्रश्न अलग है। आधारभूत मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील नीति पर ही आधारित हैं। इसलिए इस बिल पर फूले न समाना, मैं कहूँगा कि उचित नहीं और फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब भी इसमें इतनी हिम्मत के साथ कड़ाई से कड़ाई बरतने का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है जो रहना चाहिये था। सच तो यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : They were expected to be filled up by your amendments.

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे इसमें आपत्ति तो बहुत है, उपाध्यक्ष महोदय, मगर इस समय मैं इतना लेट हो गया हूँ कि मैं केवल अपने विचार ही यहां पर रख सकता हूँ सच तो यह है कि हमें प्रत्येक पहलू पर सामाजिक क्रान्तिकारी दृष्टि से विचार करना होगा। सच तो यह है कि हमारे बहुत से सामाजिक सुधार जो क्रान्तिकारी हैं वे इसलिए रुके हुए हैं कि हम भय खाते हैं कि इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन के लिए उपक्रम करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, लोग हमसे नाराज हो जावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह आस्था जो हमारे में पैदा हो गई है वह हमारे राजनैतिक नेताओं के लिए एक कमजोरी है। यह नहीं चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। हमें कुछ समाज को बदलने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे और उसके लिए चाहे हमें वोट मिले या न मिले, चाहे हमें उसमें अपयश भी मिले और चाहे उससे हमसे लोग नाराज भी हो जावें तो हमें लोगों को नाराज करना पड़ेगा।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें परिवर्तन और क्रान्तिकारी परिवर्तन की ओर जाना होगा अगर मेरा बस पड़े तो मैं न केवल मृत्यु भोज को ही बन्द करूं बल्कि विवाह की भी जो फिजूल खर्ची की परम्परा है उसको भी जल्दी से जल्दी बन्द कर दूं। आज कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की बातों को अच्छी नहीं समझता और कोई भी सभ्य समाज जब हमारी इस प्रकार की फिजूल खर्ची की तरफ देखता है तो यही कहता है कि हिन्दुस्तान तो बड़ा भावुक है। यह तो बड़ा पिछड़ा हुआ है जिन्होंने विवाह और मृत्यु भोज के लिए इतनी बड़ी बात बना रखी है। ठीक है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह ब्राह्मणों के लिए है उन्होंने ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया है। मैं यह समझता हूँ कि ब्राह्मण शब्द के बजाय अगर वे 'बामण' शब्द का उपयोग करते तो उनके लिए ज्यादा उपयुक्त था।

श्री उपाध्यक्ष : बामन means dwarf.

श्री जनार्दनराय नागर : इसके विरोध में हम यहां पर यह कानून ला रहे हैं। यह बहुत सारे सामाजिक ब्राह्मणों की मनोवृत्ति है उसको हमें सुधारना है। उसको हमें हिन्दुस्तान से निश्चित रूप से दूर करना होगा। चूंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ इसलिए इसका इशारा मेरी तरफ भी किया गया है।

(हंसी)

मैं उनके इशारों का अर्थ समझता हूँ। यह ब्राह्मणों का काम नहीं है। अगर कोई ऐसा मत है तो मैं मानता हूँ कि वह पुराने ढांचे के लोग हैं। अगर इस प्रकार के लोग हैं तो मैं उनको पुराने समाज के मूर्ख मात्र मानता हूँ। मौसर का प्रश्न ब्राह्मण वर्ग से संबन्धित हो सकता है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह सब हिन्दू समाज

Page No.68

(श्री जनार्दनराय नागर)

के साथ लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सुधार की तरफ आपका और हमारा ध्यान होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कमजोर है। सरकार में आक्षेप सहने की कमी है। आज भी इस बिल में ऐसी खामियां हैं जो मैं यह कहूँगा कि कानून बन जाने के बाद भी पूरी नहीं होंगी। सरकार को इस बात का मालूम होना चाहिये कि इस बात का विरोध होगा। राजस्थान में इस बात पर कितना वातावरण तैयार है। जब आप कानून बनाते हैं तो आपको इससे कितनी मदद मिलती है। आप चुन लें कौन सा तरीका काम में लाना है। एक तरीका जनतान्त्रिक सामाजिक प्रगति करने का है, दूसरा जनवादी अर्थ नीति का और तीसरा समाज में फैली हुई संकीर्णता का विकास करना है। हम परम्परावादी हैं। केवल सिद्धान्तवाद से काम नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा दर्द होता है जब हम सामाजिक क्रान्ति करने का आधारभूत केवल कानून को मानते हैं और समाज सुधार के लिए क्रान्तिकारी कदम समाज की तरफ से समाज सुधारकों द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। इसका एक ही कारण है और वह है हमारी शिक्षा पद्धति। हमें हमारी शिक्षा पद्धति को समाज सुधार की दृष्टि से ठीक बनाना चाहिये। हमको नया समाज बनाना चाहिये। राजनैतिक नेता और सुधारक हैं वे स्वयं में बुजदिल लोग हैं। वे बुजदिल प्रकृति के लोग हैं, कमजोर हैं और पुराने जमाने के हैं। आज हमें नये हिन्दुस्तान को बनाना है। हमें नये जीवन की शिक्षा देनी चाहिये। यदि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होती जो समाज को नया बनानेवालों के हाथ में होती तो हमारी शिक्षा में सजीवता होती, अन्तरदृष्टि होती जिससे हम नये समाज को ला सकते और हमारे जीवन को नई प्रेरणा दे सकते थे। अगर ऐसा होता तो आज हमारे सदन को इस प्रकार के मौसर जैसे कानून को यहां पर लाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सच तो यह है कि एक प्रगतिशील राज्य व्यवस्था ही जनता के राज्य की एक कसौटी है। वह समाज में जैसा चाहे वातावरण बना सकती है। यह वातावरण हमारी शिक्षा द्वारा बनता है और मैं समझता हूँ कि हमारे यहां पर जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वे इस प्रकार का वातावरण सरकार के लिए पैदा कर सकते थे। कानून के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करना इस बात का बायस होगा कि मूल रूप से हम सामाजिक गतिविधि लाने में कमजोर और बुजदिल हैं। जो बुजदिल समाज होता है। उसमें हिम्मत नहीं होती और वह समाज में क्रान्ति करने के लिए आगे नहीं आ सकता और क्रान्ति करने के लिए आग पैदा नहीं कर सकता। जिनका प्रभाव कम होता है वही कानून की शरण लेकर इस प्रकार का बिल बनाते हैं और यह स्थिति है जिसमें से होकर हम गुजर रहे हैं। इसलिए जैसा कहा गया है कि कुछ नहीं होने से कुछ होना तो अच्छा ही है लेकिन आज हम सामाजिक सुधार सब मिल कर करें तो ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। हमने बाल-विवाह को रोकने के लिए कई वर्ष पहले कानून बनाया और एक राजस्थानी महोदय के नाम के पीछे यह कानून बना। सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि उस कानून का क्या अन्त हुआ है। वह कानून किताबों में ही रह गया और बाल-विवाह राजस्थान में धड़ाधड़ होते जा रहे हैं।

(श्री जनार्दनराय नागर)

मेरी आशंका है, उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के बन जाने के बाद में कहीं मौसर चालू न रहे। अभी कहा गया कि मौसर के लिए कर्जा देने की भी मुमानियत है। मैं कहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसी मुमानियत नहीं है कि जिससे किसान को कर्जा नहीं मिलेगा। और दूसरे कर्जा लेकर मौसर करेंगे। हमें यह विचारना पड़ेगा कि क्या हमने इसमें ऐसा कोई प्रावधान किया है जिससे समाज में परम्परागत फैली हुई कुरीतियों को बदल दिया जाय ? हम कहां तक उस गन्दगी को बदल पाये हैं ? नहीं बदल पाये हैं। यदि हमको इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनाना है तो वह कानून इतना सख्त होना चाहिये, इतना निर्दय होना चाहिये कि जिससे उस कुप्रथा के लिए सोच न सके।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु.) : डिक्टेटर।

(हंसी)

२. १. म. ९,

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय मित्र को डिक्टेटर का पता ही नहीं। डिक्टेटर क्या होता है यह भी पता नहीं है। सच बात है, उपाध्यक्ष महोदय, अन्धेरे में तो मेरे माननीय मित्र ने बहुत से भूत देखे होंगे लेकिन जब भूत सामने आयेगा तो उनको पता चलेगा कि भूत कैसा होता है। इस कानून के द्वारा डिक्टेटर बनाने के लिए आत्मा नहीं बना रहे हैं, जन मानस में कोई जागृति नहीं ला रहे हैं, समाज में क्रान्ति पैदा नहीं कर रहे हैं जिससे कि समाज में रही हुई कुप्रथा दूर हो किन्तु माननीय मित्र एक लाचारी पैदा करने की चीज बना रहे हैं। यदि आप समाज के लिए कोई कानून बनाते हैं तो एक बुजदिल की तरह बनाते हैं, कांपते हुए हाथों से कानून बनाते हैं। आप मानते हैं कि समाज में यह बुराई घुसी हुई है, आप यह भी जानते हैं कि यह घुन की तरह आदमी को खा रहा है। यह खयाल करते हैं और ईमानदारी से इसको मानते हैं तो क्यों नहीं समाज की उन शृंखलाओं पर प्रहार करते हैं जिससे वे शृंखलायें टूट जांय, जो समाज में फैली हुई हैं ? परम्परागत कुरीतियों से जन-मानस जकड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा कुंठित हो चुकी है उस पर क्यों नहीं सख्ती से प्रहार करते जिससे कि ये कुरीतियां नष्ट हो जांय, क्यों नहीं इसको सख्ती से कुचल देते ताकि यह कहा जा सके कि आपने सख्त कानून पास किया जिससे यह समाज की बुराई नष्ट हो गई ? लेकिन नहीं धीरे-धीरे चलना चाहते हैं। यदि आपने टर्की के इतिहास को पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिये कि टर्की के कमाल पाशा ने अपने यहां रही हुई सामाजिक बुराई को किस प्रकार कुचल दिया। उनने टर्की की महिलाओं के घूंघट हटाने के लिए कदम उठाया। उसने कोई दिल-मिला कदम नहीं उठाया, कोई बुजदिल कदम नहीं उठाया किन्तु उसने वह कदम उठाया कि यदि टर्की की महिला घूंघट निकाल कर आयेगी तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जायगी और यही नहीं वह सजा मृत्यु तक होगी। राजनैतिक लड़ाइयां चली हैं लेकिन सामाजिक लड़ाई बड़ी भयंकर होती है। हम हरिजनोद्धार की बातें बहुत किया करते हैं। मैं माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी कोई हरिजन

Page No.70

(श्री जनार्दनराय नागर)

आपके घर में आ सकता है ? क्या वह मां बहिनों, के साथ बैठ कर भोजन कर सकता है ? हम आरामकुर्सी के समाज विचारक हैं। बातें तो समाज में क्रान्ति पैदा करने की खूब किया करते हैं, बातें तो खूब करते हैं कि हम हरिजनों के उपासक हैं, कई हरिजनोद्धार के मंडल कायम कर के बैठते हैं लेकिन घरों में तो हरिजन उनके आज भी नहीं जा सकते, दूर से ही उसको रोटी दे देते हैं। अपनी अन्तरात्माओं को टटोलिए। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिसमें कुरीतियों की घिनौनी गंदगी पैदा हो गई है उनको दूर फैंकना ही सच्ची समाज की सेवा हो सकती है, सच्चे माने में समाज में क्रान्ति तब ही पैदा हो सकती है। कोई यह न कहे कि मैं हिन्दू संस्कृति का विरोधी हूँ, मैं सच्चा हिन्दू हूँ। मैं वह हिन्दू हूँ जो विश्व नागरिक होने की बात करते है।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Is the Hon'ble Member reading his autobiography in the House ?

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : I am reading the autobiography of the Hon'ble Member also.

(हंसी)

यह समाज की बात है, इस सदन के प्रत्येक माननीय मित्र की यह बात है। चाहे कुछ कहें उनकी पत्नी तक उनकी बात नहीं मानेगी हरिजनों के लिए।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : How does the Hon'ble Member know about his Patni.

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : I imagine that he has a very charming and good wife, Sir.

(हंसी)

हमारे मित्र की बात करते हैं, हमारी भाभी....

(हंसी)

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): Does the Hon'ble Member know that the Hon'ble Member is married or not ?

श्री जनार्दनराय नागर : Whether he is married or not, I don't know, but I know that he has a wife.

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने सुन्दर कल्पना कर रखी है शादी की....

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : यदि उस रणभूमि के संघर्ष का कोई स्थान है तो वह घर ही होता है। हमने बहुत घरों में लड़ाइयां लड़ी हैं। शादी विवाह में बंधन हैं। मरने पर मौसर करना पड़ता है। जब मेरे पिताजी का देहान्त हुआ मैंने मौसर नहीं किया, मेरे भाई का देहान्त हुआ मैंने मौसर नहीं किया....

(करतलध्वनि)

जो सामाजिक लड़ाई है, जो सामाजिक सुधार का संघर्ष है वह राजनैतिक संघर्ष से कहीं भयंकर है। राजनैतिक संघर्ष तो दस बीस साल में समाप्त हो सकता है लेकिन यह जो सामाजिक संघर्ष है वह अर्ध शताब्दी तक भी समाप्त नहीं होगा। यदि समाज सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए खून

(श्री जनार्दनराय नागर)

देना होगा। मैं वह दिन देखना चाहता हूँ जब हिन्दुस्तान में संस्कृति और परम्पराओं का जो यह मलवा इकट्ठा हो गया है, जो कुरीतियों की गंदगी का ढेर लगा हुआ है, मेरी तो इतनी जिन्दगी लम्बी नहीं है कि मैं उसको देख सकूं लेकिन उस मलवे को साफ करना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप विदेश से लौट कर आये हैं और आप मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि दुनियां के प्रगतिशील देशों की प्रगति का एक दिन हमारे लिए एक वर्ष के बराबर है। मैं तो यह कहता हूँ कि हमारे समाज के सुधार के लिए हमारा एक घंटा भी विलम्ब हमको दूसरे देशों की प्रगति से, संसार की प्रगति से एक वर्ष पीछे धकेल देगा। हमने आज तक पुनर्भव दृष्टि से विचार किया था। हमें सन् '५९ से यह बात अनुभव हो रही है। अच्छे विचार थे, बाप-दादों से प्रेम करते आ रहे थे वे अनायास छूटते जा रहे हैं। विवाह के लिए, मौसर के लिए फिजूल खर्चा कर लेते हैं। अच्छे से अच्छा विवाह करने आते हैं तो फिजूल खर्ची की बात करते हैं। हमारे यहां डावरी बिल आया था, पता नहीं मुझे उसका क्या हुआ ?

एक माननीय सदस्य : वह हो गया।

श्री जनार्दनराय नागर : हम राजनैतिक दृष्टि से बड़े क्रान्तिकारी हो सकते हैं, हमने ऐतिहासिक बातों को सिद्ध किया है। आप खयाल कीजिये कि जागीरदारी प्रथा से लेकर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया, ऐसे कानून बनाये जिससे हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परम्पराओं से जुड़े हुए हैं। यह एक मंगल प्रारम्भ है कि हम समाज सुधार के लिए अपना श्रम लगा रहे हैं। लेकिन मेरी इल्तिजा यह है, आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस मामले में सरकार कोई आधे मन से काम न करे। इससे सन्तोष होता नहीं, मुझे मजा आता नहीं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : किसमें मजा आता है आपको फिर ?

श्री जनार्दनराय नागर : बड़ा मजा तो मुझे किस्मत को रोने में आता है जो आप भी रो रहे हैं और हम भी रो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप रो रहे हैं, यह बात अलग है पर माननीय सदस्य के लिए यह शब्द प्रयोग करना गलत है।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, उनको भी मौसर करने का अवसर आया होगा।

श्री मोतीलाल : मेरे तो सात पीढ़ी में मौसर नहीं हुआ होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से कहने वाला हूँ कि कहीं इस कानून का हाल ऐसा न हो जावे जैसा दूसरे ऐसे कानूनों का हुआ है जैसे शारदा कानून है। तो हमारे ऐसे कानूनों में ऐसे चूहे रहते हैं जो अन्दर से बारीक नसों को काटा करते हैं। ऊपर से मोटा ताजा मालूम होता है। अभी ऐसा लगता है कि इस कानून के लागू होने पर तो मौसर कहीं होगा ही नहीं, पर अन्दर से ऐसा मालूम होता है कि नीचे नीचे कोई गुंजाइश छोड़ी जा रही है, कोई ढिलाई

(श्री जनार्दनराय नागर)

रखी गई है, और सच बात तो यह है और हम सब इसे जानते हैं कि हम लोग जनमत का पूर्व विरोध नहीं सह सकते। हमारी नीति है धीरे धीरे बदला जाय। कुछ धीरे धीरे बदला जा रहा है और कुछ बातें धीरे धीरे बदले जाने की हैं भी, मैं इससे इन्कार नहीं करता, पर कुछ तो क्रान्तिकारी बातों से ही बदलनी पड़ेगी, कुछ को दण्ड देकर बदलनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि वास्तविक सामाजिक जीवन की हमारी कमजोरियां हैं, हमारा इसमें समझौतावादी समझौतापरस्त का स्वभाव है और इसकी वजह से आज हमें कानून की शरण लेकर इन मामलों को, इन सामाजिक सुधारों को, सिद्ध करना पड़ रहा है।

हमारे देश में घूंघट उठाने का आन्दोलन चला....

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह कहां चला था ? कब चला ?

श्री जनार्दनराय नागर : आपके घरों में चला और चल रहा है। माननीय सदस्य के घर में चल रहा है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा मालूम पड़ता है कि उससे प्रेरित होकर आपने घूंघट उठाया है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : आपको तो मैंने सजोड़े देखा नहीं।

(हंसी, तुमुल हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : He is Supporting it or opposing !

श्री उपाध्यक्ष : आपने आपत्ति भी बड़ी देर के बाद उठाई है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। पर जो समझौतावादी नीति है आज हमारी सरकार की उसके प्रति भी मेरे विचार हैं। मैं जानता हूँ माननीय सदस्य ज्यादा आतुर हैं। मालूम नहीं उन्होंने वातावरण अपने आसपास ऐसा कर लिया होगा।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह से होता नहीं। मौसर मैं स्वयं खाता नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : आप क्या खाते हैं, क्या नहीं, यह मुझे पता है। पर आप यह सोचते हैं कि मौसर के मामले में अगर हमने समझौतावादी रुख नहीं अपनाया तो निर्वाचन क्षेत्र में वोट मिलेंगे या नहीं। मेरे सामने भी यह प्रश्न है।

(हंसी)

क्योंकि मैं मानता हूँ यदि हम इस मामले में स्वयं ठीक तरह न चल सके तो राजस्थान की सरकार के जरिये चल सकेंगे, यह हमारा सोचना सही नहीं होगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि शक्ति रूप इसको हम दें। सरकार के हाथ में तो, सुना है, शक्ति हुआ करती है पर अफसोस है कि कैड़ियां आ गई हैं सरकार के हाथों में। खुद चूस रही है और वह हमें भी कहती है तुम भी चूसो।

Page No.73

(श्री जनार्दनराय नागर)

अगर आपको चूसने का चसका न हो और वास्तव में कुछ क्रान्तिकारी समाज सुधार करने की मन्शा है तो इसे कॉग्निजेबल ऑफेन्स बनाइये जिसकी वजह से न तो कोई जा सके खाना खाने के लिये, न कर सके। नहीं तो, हमारे वकील लोग कई तरह के तरीके निकालेंगे। इसमें कई पैंच में पैंच पैदा करेंगे कई तरह के। क्योंकि आज देश में एक बड़ा तबका इसी बात में मशगूल है। इधर कानून बनाया उधर कानून की गुत्थियों को खोजने में लग गए। यहां बुद्धिमान लोग ज्यादा हैं। इसलिए मुझे अन्देशा है कि सरकार ने भी इसमें गलियां की जानबूझ कर छूट रखी है।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसे बनाने वाले भी वकील हैं।

श्री शंकरलाल : वे गलियां खोल दीजिये।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मैं सम्पूर्ण रूप से सामाजिक क्रान्ति का पक्षपाती हूँ। मैं चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। सामाजिक क्षेत्र में क्रान्ति हो। कानून से हो तो उससे, नहीं तो दूसरे तरीकों से। इतना ढोल पीटने की क्या जरूरत है? (हीयर, हीयर) कोई मर गया है तो उसको वैतरणी तिराने के लिये गाय दिलाने को ब्राह्मण को जरूरत नहीं। यह निश्चित रूप से मूर्ख लोग किया करते हैं। तीन तरह के मूर्ख लोग हुआ करते हैं (तालियां तथा तुमुल हंसी) यह देखिये न। एक होते हैं असंढ़ मूर्ख, दूसरे वज्र मूर्ख और तीसरे सांस्कृतिक मूर्ख। तो यह जो समझौतावादी ढंग हमारा है उसमें सामाजिक दृष्टि से सांस्कृतिक मूर्खों में हम हो सकते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ

(हंसी)

पर सन्तोष है मेरे साथ और भी हैं। वज्र मूर्ख और असंढ़ मूर्ख तो यहां दीखते नहीं। तो मैं कहना चाहता था कि केवल अपनी समझौतावादी परिस्थितियों को बनाये रखने से काम नहीं चलेगा। हम आज हिन्दुस्तान की नसों में अच्छा रक्त चाहते हैं, अच्छा खून चाहते हैं। अगर यह चाहते हैं तो इसे हमें क्रान्तिकारी तरीकों से ही भरना होगा। इतिहास हमें भूलेगा नहीं, इतिहास में गर्व से नाम नहीं लिखा जाने वाला है अगर हमने सामाजिक क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया तो। हमने देश में राजनैतिक क्रान्ति की है। हमारे पुराने राजनैतिक क्रान्तिकारों ने सामाजिक क्रान्ति की दिशा में भी प्रयत्न किये हैं, नहीं किये हैं ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने सदियों से सोई जनता को सामाजिक पाशों से सहसा मुक्त कर दिया। इस सन्दर्भ में मैं कमाल पाशा का नाम लेना चाहता हूँ। उसने वह सामाजिक क्रान्ति की, राजनैतिक क्रान्ति के साथ साथ कि उसने सारे देश की स्थिति को ही बदल कर रख दिया। लिबरल लोगों ने उसके विचारों का विरोध किया। कहते हैं कि आगे जाकर इसका परिणाम बुरा निकलेगा पर कोई खराब परिणाम नहीं निकला। उसने धर्म को राजनीति से अलग किया। बुर्कों में फंसी स्त्रियों को पर्दे से मुक्ति दिलाई और टर्की को निश्चित रूप से आधुनिक महिला और धर्म में बदल दिया।

(श्री जनार्दनराय नागर)

पर हिन्दुस्तान में उस तेजी से सामाजिक परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा समाज इन बुराइयों से घिरा हुआ है। जीर्ण-शीर्ण परम्पराओं के बोझ से दबा चला जा रहा है। हम इस कारण हमारी मंजिल जो हमने तय की है पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ यह सब देख कर कि अगर वास्तविक क्रान्ति हमें करनी है, चाहे वह राजनैतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में, तो इस घर को, इन तौर तरीकों को, हमें झटके के साथ, क्रान्तिकारी कदम के साथ बदलना पड़ेगा। घरेलू कुटुम्ब की जो बुराइयां हैं जिसकी वजह से आज हमारे ये संयुक्त परिवार लड़खड़ा रहे हैं—बाकायदा बदल देना चाहते हैं हम इन्हें। पर क्या करें, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास हथियार नहीं है इसलिए मुझे मजबूरन समझौतावादी कानूनों का समर्थन करना पड़ता है। अगर क्रान्तिकारी बात सरकार की ओर से आती तो बहुत सन्तोष होता हमें।

आर्थिक आधार है। हमारे ये समझौतावादी इस आर्थिक तन्त्र को जो सामाजिक बुराइयों पर निर्भर है, क्रान्तिकारी दृष्टि से परिवर्तित करने की बात क्यों नहीं सोचते? हमारी सरकार सामाजिक दृष्टि से क्रान्तिकारी होने का दावा करती रही है, अत्यन्त क्रान्तिकारी भावना उसकी रही है। उसने भूमि के सम्बन्ध में अत्यन्त क्रान्तिकारी कानून बनाने की बात कही उसके नेतृत्व में इस तरह के समझौतावादी कानून आवें तो दिल छलनी हो जाता है नाराजगी से नहीं, प्यार से।

(हंसी)

उन लोगों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनैतिक जीवन को बदलने के लिए क्रान्तिकारी परिस्थितियां पैदा की। मैं चाहता हूँ वैसी क्रान्तिकारी परिस्थितियां वे इस क्षेत्र में भी पैदा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना समर्थन इसको देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव : (वल्लभनगर-सु.) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमने सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण बिल को इस राजस्थान विधान सभा में बड़े हर्ष के साथ हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर श्री दामोदरलालजी के सद्प्रयत्नों से पास करने में सफलता प्राप्त की है।

इसके बाद, आज यह दूसरा मृत्यु भोज का बिल जो आज आया है उसका मैं स्वागत करता हूँ।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आज सदन के बारहवें दिन इसे पेश कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : ३१ में मैं जब आर्यसमाज का सदस्य था तो अजमेर के कंवर चांदकरणजी शारदा और उनके पिता हरिबिलासजी शारदा के मैं सम्पर्क में रहा, उनकी याद भी आज आ गई। उन्होंने भी इसी तरह का एक शारदा एक्ट, कानून भारत सरकार से पास करवाया। इस बिल को बनानेवाले माननीय सदस्य श्री दामोदरलालजी व्यास, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद के साथ

(श्री हरिप्रसाद यादव)

साथ माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेतावनी देना चाहता हूं

हंसी

कि रात को १०॥ बजे एक स्पेशल ट्रेन भारत दर्शन यात्रा को किसानों की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्पेशल ट्रेन मृत्यु-भोज सम्बन्ध में थी क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव : जिसमें हमारे राजस्थान के कृषक लोग और उन पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्य रात को ५०० कृषक भाइयों के स्वागत करने का सुअवसर भी हमारे माननीय उपाध्यक्ष की अनुपम कृपा से मुझे सुअवसर रात को प्राप्त हुआ।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसका यहां क्या ताल्लुक है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : कई मेरे पूर्व वक्ताओं के जो जोशीले और रंग-बिरंगे भाषण चल रहे हैं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप किनकी वकालत कर रहे है। जब कि हमारे २५ जिलों के किसान मुखिया रात को रात को जयपुर स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन लेकर पधारे और हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी उनका स्वागत करने आये और उनकी सभा में आपने हमारे सीलिंग के कानून को बताया और कल....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। प्रश्न दूसरा है हमारे सामने। स्पेशल ट्रेन का नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी पर आ रहा हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने अपने जोशीले भाषण में यह कहा कि कहीं किसान नाराज न हो जायें, जो हमें वोट देनेवाली जनता है वह इस बिल से कहीं नाखुश नहीं हो जाये, तो जो हमारे इस बिल को बनानेवाले हैं माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, उन्होंने कल रात स्टेशन पर किसानों के सामने भाषण दिया और उनसे राय ली....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, रात को क्या भाषण हुआ है यह सदन का प्रश्न नहीं है। आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : राजस्थान के किसान भाइयों ने एक मत से कहा कि हम मृत्यु भोज करने के लिए तैयार नहीं हैं तो सभी लोगों ने इस बिल का स्वागत किया। तो माननीय सदस्य अभी यह कह रहे थे कि इस बिल से कहीं ऐसा न हो कि वोट नहीं मिले। पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमने किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के बारे में सोचा है, हमें हमारे राजस्थान को खुशहाल बनाना है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल से अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भाई नहीं आये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है...........

(हंसी)

लेकिन आज हमारी विधान सभा में बिल आया है यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सन् १९३१ से इसका इन्तजार कर रहा था

(हंसी)

और यह अब आ गया है और इसको देख कर मैं बहुत खुश हुआ और मैं अभी सेक्रेटेरियट से आया.......

(श्री हरिप्रसाद यादव)

(हंसी)

तो मैंने सोचा कि इस पर मुझे अवसर मिलेगा या नहीं बोलने का। तो मैं निवेदन करूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं इसका समर्थन करता हूँ और इसके साथ ही साथ एक निवेदन और करूंगा कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे राजस्थान के कृषक भाई दिल्ली भारत दर्शन यात्रा के लिए जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। फिर आप उसी स्पेशल ट्रेन पर आ गये हैं।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह बिल किस के लिए पास कर रहे हैं? राजस्थान के निवासियों के लिए कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे कि मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब कि हमारे माननीय सदस्य अपने दिलों में हिचकिचाहट कर रहे हैं कि इस बिल से न जाने क्या खराबी हो जाये, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। किसानों की आर्थिक हालत सुधारने का आप प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए हमें खुशी हो रही है। इसलिए इसके अन्दर मैं कोई उदाहरण पेश करूं तो मुझे माफ करेंगे।

(हंसी)

एक उदाहरण पेश करूं कि रात को जयपुर स्टेशन पर मैं गया तो मेरे विधान सभाई वहां नजर नहीं आये तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उनको १५-२० रुपये रोजाना मिलते हैं.... ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। सदन के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में १५-२० रुपये पाते हैं कहना उचित नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि स्पेशल ट्रेन दिल्ली से आगे बढ़ चुकी है।

(हंसी)

उसके बारे में बात नहीं करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : माननीय सदस्य को भी स्पेशल ट्रेन में भेज दिया जाता तो अच्छा रहता।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : आप जब उप-मन्त्री थे तब भी आपकी बातें सुनी थी। मैं तो उन गरीबों में से आता हूँ और मेरी आर्थिक हालत भी बहुत खराब है।

(हंसी)

मेरे पास आपके जैसा बंगला नहीं है।

अब मैं इस बिल पर आता हूँ।

(हंसी)

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे हिन्दुस्तान के इतिहास पर जब आंख उठा कर देखता हूँ तो देखता हूँ कि सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवार इस कुरीति से बरबाद होते आये हैं। इसके बारे में जो हमारी विधान सभा में महत्वपूर्ण बिल आया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि आप सब एक मत से इस बिल को पास करें जिससे हमारा राजस्थान प्रदेश खुशहाल हो। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री रामधन पटेल (दौसा): उपाध्यक्ष, महोदय, आज यह जो मृत्यु भोज बिल पेश हुआ है मुझे दिल में बहुत खुशी हुई और यह हाल देखते हुए मैं दो ही लफ्जों में कहना चाहता हूं। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब

(श्री रामचन्द्र)

और यहां के सब मेम्बरों ने जो किया है उन सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अपने मुल्क में हाल देखते हुए क्या देखने में आता था कि कृषक इससे बरबाद होता था और इस साल बहुत बाजरा हुआ और मृत्युभोज बन्द होना चाहिए इसकी सब लोग बहुत दिनों से आशा कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी अपने जिला में भेज देंगे तो बहुत ही इससे उपकार होगा और दुनियां का भला होगा इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता कि इस बिल के पास होने के बाद राजस्थान में जो एक कुप्रथा, मौसर नाम की चल रही है उसका मूलतः नाश हो जायेगा। अगर हम किसी भी बुराई का या बीमारी का नाश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रथा के पीछे दो कारण हैं। एक तो यह है कि लोग अपने समाज के डर से इस प्रकार के जो मौसर हैं वह करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो कि स्वर्ग में विश्वास करते हैं या परलोक में विश्वास करते हैं, इस प्रकार के लोग मौसर करते हैं। जो लोग परलोक में विश्वास करते हैं और स्वर्ग में विश्वास करनेवाले लोग हैं उनकी संख्या १०० में से ७५ होगी और बाकी के २५ लोग ऐसे हैं कि जो समाज के डर से मौसर करते हैं, हालांकि वह ऐसा करना नहीं चाहते। तो उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि इस कानून के पास होने के बाद में जो उन ७५ लोगों की भावना है कि मौसर के करने से उनके माता-पिता स्वर्ग में पहुंचेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्या उस भावना का हम समूल नाश कर सकते हैं ? मैं समझता हूं उस भावना का हम नाश नहीं कर सकते। कानून से इतना ही होता है कि आप मजबूरन कोई चीज करवा लें तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं लेकिन भावना का नाश नहीं हो सकता और वह उनके अन्दर रहेगी। एक दिन जब भी मौका मिलेगा वह भड़क उठेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा यही सुझाव है कि यह जो मौसर की प्रथा है उसको हम पूर्णतः यहां से हटाना चाहते हैं तो इसमें काफी टाइम लगेगा। इसके लिये सबसे पहले मनुष्य जिस धरती पर रहता है और जिसके ऊपर वह पैदा होता है उसके ऊपर विश्वास करें और मानव मानव से प्रेम करें। अगर इस प्रकार की भावना आप लोगों के दिलों में भर देते हैं तो इस कुप्रथा का नाश हो जायेगा। आज आदमी क्या चाहता है ? आज लोग भूखे हैं और भूखा इन्सान आज नहीं तो कल मुझे खुशी मिले; वह यह चाहता है। वह चाहता है कि अगर मुझे खुशी मिल जाती है तो मेरे मरने के बाद मेरी धार्मिक क्रिया अच्छी तरह कर दें ताकि मेरी आत्मा को आगे शांति मिले। मैं कहता हूँ कि यह व्यक्ति के अन्दर भावना है और हमें इस भावना का नाश करना पड़ेगा। सबसे पहले यह काम सरकार का है और जो सामाजिक वर्कर हैं उनका है। उनका काम है कि प्रचार करें और यह काम सरकार का इसलिए हो जाता है कि जो

(श्री गिरधारीलाल)

आज जनता की आर्थिक हालत खराब है उसको ठीक करें, लोगों के अन्दर विश्वास भरें और निराशा की प्रवृत्ति का नाश करें तभी जाकर इन कुप्रथाओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

दूसरे जो लोग समाज के डर से और जाति के डर से उसका अनुकरण करते हैं वे भी इसको छोड़ देंगे। लेकिन आज दिन कोई भी कानून से कुरीति मिट नहीं सकी है। डाका नहीं डालने का कानून आज सदियों से बनाया हुआ है पर डाका बन्द नहीं हुआ। क्या और भी बुरे कर्म सदियों से नहीं हो रहे हैं जो कि समाज के लिये घातक हैं? मैं समझता हूँ कि कानून का वही रास्ता अच्छा गिना जाता है जिसमें कानून का कम से कम प्रयोग हो। आप जनता की आर्थिक स्थिति ठीक करिये जिससे अन्ध विश्वासों का नाश होगा और आर्थिक स्थिति ठीक होने से मनुष्य इस जगत से प्रेम करने लगेगा। फिर मेरा ख्याल है कि ऐसा दुनियां में कोई आदमी नहीं होगा जो कि इस कुप्रथा का नाश करने के फेवर में न हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सरकार को चूंकि इस बात में कुछ लोगों को फायदा होगा, इस प्रकार के बिल को पास करने पर बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मृत्युभोज पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आज मृत्यु भोज विधेयक इस सदन में पास किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में कृषक समाज में मृत्यु भोज की कुप्रथा बहुत बुरी थी और यह कुप्रथा हमारे समाज के लिए बड़ी हानिकारक थी। इस कुप्रथा को बन्द करने हेतु आज हमने यह कानून बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून बनाना एक बात है और इस कानून को क्रियान्वित करना दूसरी बात है। यह एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हमें अपने अपने क्षेत्रों में, राजस्थान में या कृषक समाज में ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिससे लोग स्वयं ही इस बुराई को अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से त्यागने को तैयार हो जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सामाजिक कानून बनाये जाते हैं उन सामाजिक कानूनों को क्रियान्वित करने में, उनको कार्य रूप में परिणत करने की बात आती है। हर सामाजिक कानून के पीछे यही हाल होता है। तो हम जो कानून आज बनाने जा रहे हैं हमारा फर्ज है, प्रत्येक सदस्य का यह फर्ज हो जाता है कि हम समाज में ऐसा वातावरण तैयार करें कि जिससे लोग स्वेच्छा से इस कुप्रथा को त्याग दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस कानून में एक संशोधन पेश किया था कि इस कानून की दफा ४ के अन्तर्गत जो भी ऑफेन्स कमिट किया जाय, उस ऑफेन्स को पुलिस की दस्तान्दाजी के काबिल बनाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि हमने कानून में प्रावधान रखा है कि किसी भी एरिया में अगर इस तरह का जुर्म होता है, किसी भी एरिया में मृत्यु भोज होता है तो वहां के पंच, वहां के सरपंच, वहां के पटवारी और वहां के नम्बरदार इन चारों आदमियों का फर्ज होगा कि वे मजिस्ट्रेट को सूचना दें और मजिस्ट्रेट उनकी सूचना के आधार पर इन्जेक्शन जारी करे। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान हमने रखा है लेकिन इसमें कहां तक सफ-

Page No.79

(श्री भीमसेन)

लता मिलेगी, इसमें सन्देह मालूम होता है। इसलिए मैंने खास तौर से यह अमेंडमेंट मूव किया था कि अगर ऐसा ऑफेन्स कहीं होता है तो पुलिस के काबिल दस्तान्दाजी बन जाता, तो पुलिस मौके पर पहुंचती और फौरन एक्शन लिया जाता, और उससे, मैं समझता हूँ, जहां भी लोगों को पुलिस का नाम आता है, जहां भी पुलिस के हाथ में चीज आती है तो तुरन्त कारगर होकर समाज पर असर पड़ता है, और उससे यह प्रथा कम होने में या बन्द होने में काफी सहायता मिलती। अब हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि चारों आदमी जिन पर जिम्मेवारी रखी है कि सूचना दें, मान लें कि चारों आदमी सूचना न दें तो क्या स्थिति होगी ? तो इसी तरह से दूसरे सामाजिक कानून बनाये गए आज तक। हमने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन्ट एक्ट हिन्दुस्तान में लागू किया है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि कितने ही छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती हैं हमारे यहां हिन्दुस्तान में। कानून बना हुआ है लेकिन कानून में हरेक आदमी का फर्ज होता है, कोई भी इत्तला दे सकता है उस कानून का जहां भी ब्रीच होता है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कितने आदमी हम में से ऐसे हैं जो कि इस बुराई की तरफ संकेत करते हैं ? इसलिए यह जो कानून बनाया जा रहा है जिसमें चार आदमियों पर बोझ रखा है कि वे सूचना दें, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जैसी दूसरे सामाजिक कानूनों की हालत होती है हो सकता है कि इस तरह से इस कानून की भी हालत हो। इसलिए यह जो कानून बनाया जा रहा है मुझे खुशी है कि जैसा भी वह कानून बन पाया है यह क्रान्तिक समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी कदम है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जिस भावना से कानून बनाया है इस कानून को उसी तरह से क्रियान्वित करें और इसमें सब सदस्य सहयोग दें, यही मेरी कामना है।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान के अन्दर समाज सुधार सम्बन्धी प्रथम समाज सुधार का कानून हम पास करने जा रहे हैं। हालांकि इसको मैं क्रान्तिकारी कदम नहीं कह सकता हूँ, सिर्फ समाज सुधार कहता हूँ, क्योंकि इससे हम क्रान्ति नहीं कर रहे हैं, सुधार ही कर रहे हैं। राजस्थान के अन्दर ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति है कि किसी भी जन-कल्याणकारी राज्य को, किसी भी जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था को देश में सही रूप से जन-कल्याणकारी राज्य कायम करना है, जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था कायम करनी है तो वहां की समाज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने पड़ेंगे। पिछले १२ साल के अन्दर जितने भी कानून पास किये हैं इस देश की शासन व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सुधारने के लिए तो समाज सुधार के कानून बनाने में राजस्थान में सबसे प्रथम कदम उठाया गया है।

अभी कुछ साथियों ने कहा कि इससे समाज सुधार में क्रान्ति होगी, तो सुधार और क्रान्ति में क्या फर्क है ? मेरे खयाल से, स्पष्ट है। किसी भी रूप में विद्यमान मूल बुराई को उखाड़ कर फेंकना होता है उसको क्रान्ति कहते हैं, और किसी बुराई को छोड़ देते हैं उसको सुधार कहते हैं। इस कानून के अन्दर

(श्री मोतीलाल)
मौसर बन्द करने लिए उसको सम्पूर्ण रूप से उठा दिया हो कि कोई मौसर नहीं हो सकता तो हम मान सकते हैं कि क्रान्तिकारी कदम होता है। लेकिन अभी हम १०० आदमियों तक खिला सकते हैं। ऐसे मौसर को छोड़ दिया है। ऐसे मौसर राजस्थान के अन्दर कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं।

इस कानून से हम सुधार करते हैं कि १०० आदमियों तक को खिलाने के लिए वह मौसर कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, उसको मौसर कहें या नहीं? आप कुछ भी कहें, मैं तो कहता हूं कि वह मौसर है। गरीब आदमी १०० आदमी ही खिला सकता है। उसके लिए यह कानून किसी काम का नहीं है। हमारे समाज में ५०० आदमियों की संख्या को खिलानेवाले बहुत कम हैं। १०० आदमियों को खिलानेवाले आदमियों की संख्या ज्यादा है। वह गरीब जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी थोड़ी है कि १०० आदमियों को भी मुश्किल से खिला सकता है उसके लिए यह कानून लागू हो या नहीं कोई मतलब नहीं। गरीबी के दृष्टिकोण से, उसके सुधारने के दृष्टिकोण से यह कोई खास कानून नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो सामाजिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से बिना अंकुश के ज्यादा खर्च कर लेता है तो उसकी सीमा निर्धारित होगी। वह उस सीमा में खर्च करेगा, उसके ऊपर कानूनी दृष्टिकोण से कदम उठा सकेंगे। इसमें लेकुना रह जाता है। इसलिए मैं इसको सुधारक कहता हूँ, क्रांतिकारी नहीं कहता।

क्रान्तिकारी कदम वह होता है जिससे दुनियां में सामाजिक क्रान्ति आती है। मावलों से आनेवाले माननीय सदस्य ने अभी बतलाया था कि टर्की के अतातुर्क कमाल पाशा ने टर्की में एलान किया था कि चाहे मुझे राज्य छोड़ना पड़े लेकिन पर्दा बन्द करूंगा। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के शाह ने अपना राज्य खो दिया था। उन्होंने कदम उठाया था, पर्दा तोड़ने के लिए कानून लाये थे। उनको देश छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने वह कदम उठाया और उसके बाद में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में उसी शाह की तीसरी पीढ़ी ने पर्दा तोड़ने का कानून पास किया। उसको कहते हैं क्रान्ति से एक बात को बदलना। हम इसको क्रान्तिकारी कदम नहीं कह सकते सुधार करते हैं तो भी ठीक है। कम से कम मौसर को बन्द करने के लिए सुधार का कानून लाया जाय। यह हम स्थिति कर रहे हैं कि १०० आदमियों के ऊपर खिलायेगा तो उसको बन्द किया गया है।

हम कहते हैं कि इसको आमूल बन्द कराया जाय। कई माननीय सदस्यों ने मांग की है कि इसको आमूल बन्द कर दिया जाय। हमारे इलाके में, जिससे कि मैं आया हूँ और भी कई माननीय सदस्य आये हैं, वे वहां के लोगों को इतना ही कह सकते हैं कि हमने सुधार किया है। मैं जिस परिवार से आया हूँ उस परिवार में सात पीढ़ी से मौसर नहीं होता है। हमारे यहां एक सज्जन हैं जिनकी उम्र ८३ साल की है वे मुझसे जबाब पूछते हैं कि हमारे पर-दादाओं ने मौसर सात पीढ़ी से बन्द कर दिया है और तुम कानून से उसको बन्द नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कोई जबाब नहीं है। मेरे बहुत से साथी हैं वे जाते हैं इलाके में तो उनके लिए कोई जबाब नहीं है। तीन तीन पीढ़ी से मौसर बन्द

(श्री मोतीलाल)

है, हजारों परिवार ऐसे मिलेंगे। इन सुधारों को हम समाज सुधार नहीं कह सकते, हम इतना ही कहेंगे कि हमने कुछ कदम उठाया है कि १०० से ऊपर आदमियों का मृत्युभोज नहीं कर सकते। फिर भी राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाया है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए जो कड़ा कदम उठाया है वह सराहनीय है। इसमें, पंच, सरपंच, पटवारी और नम्बरदार आदि को सूचना न देने पर दंड देने का जो प्रावधान रखा है उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह पहला ही कानून है जिसमें इस तरह का प्रावधान रखा है। क्रिमिनल लॉ को छोड़ दीजिये जिसके अनुसार यदि किसी गांव में कोई एक्सीडेन्ट होता है तो उसकी इत्तला देने की जिम्मेदारी इन लोगों पर है। उस कानून के बाद यह पहला कानून है जिसमें इन लोगों पर जिम्मेदारी रखी है कि यदि ये इत्तला नहीं देंगे तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमारे यहां की शिक्षा पद्धति ही गलत है, शिक्षित लोगों को समाज सुधार की उन बातों का प्रचार करना चाहिये जिनका इफेक्ट या असर लोगों पर होता हो। हिन्दुस्तान में या राजस्थान में एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां समाज सुधार की शिक्षा दी जाती हो। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का भी कर्तव्य है कि इस तरह की चीजों का प्रचार करें मसलन अनटचेबिलिटी। अभी बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी की। परन्तु समाज सुधार करने का पहला कदम है तो यह है कि हम मौसर की प्रथा को बन्द करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में १२ साल तक जनतांत्रिक शासन चलने के बाद भी यह बात हो कि धार्मिक दृष्टिकोण के कारण या और किसी कारण कुछ नहीं कर सकें, मैं स्ट्रे कैटल का उदाहरण पेश करूंगा कि इसका हिसाब लगाते हैं तो १/६ जानवरों को खत्म करते हैं लेकिन धार्मिक हिसाब से बन्द नहीं करते हैं। इसी तरह से इस समाज में छुआ-छूत, जाति भेद आदि का जाल बिछा हुआ है। हमारे यहां असमानता का जाल बिछा हुआ है और ऐसा वातावरण जमा हुआ है।

इस कानून में जो प्रावधान रखे हैं उसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं। इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने रेवेन्यू देने वाले गांवों का ही दायरा रखा है और वहां पर पंच, सरपंच, पटवारी आदि पर जिम्मेदारी रखी है, लेकिन म्युनिसिपल एरिया में किसी की जिम्मेदारी नहीं है, न चैयरमैन की न वार्ड मेम्बर की, न किसी नौकर की और न पुलिस ही की जिम्मेदारी रखी है। इसलिए वहां की छूट दे रखी है कि मर्जी आवे जैसा शहरों में करते रहें। हालांकि वहां की जनता पर इसकी जिम्मेदारी है, शिक्षित नागरिक या सामाजिक संस्थायें अपने आप जिम्मेदारी लें तो ठीक है वरना इसके लिए वहां कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जहां पर पंच, पटवारी या नम्बरदार नहीं हैं वहां इसकी सूचना देने वाला कोई अधिकारी नहीं रखा है, किसी की जिम्मेदारी नहीं रखी है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो सुधार का कानून पास करने जा रहे हैं वह राहत देने वाला है लेकिन इतना क्रान्तिकारी कदम नहीं है। लेकिन सामाजिक सुधार का यह पहला कानून है इसलिए हर एक इसके लिए बधाई देता है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी समस्या हो कि मैं वहां क्या जवाब

(श्री मोतीलाल)

दूंगा लेकिन क्योंकि यह पहला कदम है इसलिए मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसा नया कदम आगे भी उठायेंगे। जैसे हमने लैंड सुधार का कानून बनाकर सूत्रपात किया था उसी तरह से समाज सुधार का सूत्रपात हमने इसके द्वारा किया है। इसके बाद में पर्दा प्रथा हटाने का कानून आयेगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूँ कि प्रगतिवादी सरकार इसे लायेगी। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि यह कानून शीघ्रातिशीघ्र लागू होने के बाद सरकार की तरफ से इतना होना चाहिये कि पंचों, सरपंचों, पटवारियों आदि को इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिये कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं होती है। हमने टिनेन्सी एक्ट पास किया था उसमें शिकमी काश्तकारों को खातेदारी राइट्स दिये थे लेकिन वहां के कर्मचारियों ने जानबूझ कर उन लोगों का नाम शिकमी काश्तकारों में नहीं रखा। जो बरसों से शिकमी काश्तकार हैं उनको भी भूल गये और उन लोगों को इसके लिए अब अपील करनी पड़ती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो सुधार कर रहे हैं उस पर अमल करने के लिए जितना प्रचार हो सके, तहसील पंचायत या पंचायत के पंचों की मार्फत या जिला परिषद् की मार्फत या किसी भी महकमें की तरफ से जिनका ताल्लुक हो उनको चाहिये कि इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कदम उठावें। यदि इतना हो सकेगा तब तो माना जायेगा कि वास्तव में क्रान्ति आई। एक उदाहरण मुझे याद आता है जिसमें क्रान्तिकारी कदम उठाया था। छठे बांटे का जो कानून हमने पास किया था वह बहुत क्रान्तिकारी कानून था, इसके लिए काफी प्रचार किया गया था, यहां तक कि शेखावाटी में दो आदमियों की जानें गोलियों से गई। जिस तरह से वह क्रान्तिकारी कदम उठाया था उसी तरह से इसके लिये भी मंत्री जी और हम सभी पूरा ध्यान देंगे तो वास्तव में इसका अमल हो सकेगा। साथ ही मैं यह भी आशा करता हूँ कि इससे भी आगे समाज सुधार के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाये जायेंगे। पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भी कदम उठाया जायेगा और इसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए और देश में सही रूप में जनतांत्रिक प्रणाली को बढ़ाने के लिए और कल्याणकारी राज्य बनाने का नक्शा सफल करने के लिये कदम उठाया जायेगा, ऐसी मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूं। सरकार ऐसा कदम उठाती रहेगी और एक दो साल में सारे कानून पास कर देगी। कुछ माननीय सदस्यों ने वोट के बारे में कहा था। मैं यह मानकर चलता हूँ कि समाज खुद एक चीज है जो परीक्षा करती है। आप यदि कितने ही मजबूत और समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन अगर जनता आपको चाहेगी तो वोट देगी और यदि आप समाज सेवी व्यक्ति हैं तो १०० में से ८० व्यक्ति आपको चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ें। इस कानून के बारे में मैं इतना ही कहूँगा और आप को पुनः बधाई दूंगा।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात की खुशी है कि राजस्थान विधान सभा एक ऐसा विधेयक पास करने जा रही है, जो समाज में नाना प्रकार की

(श्री बालमुकन्द)

कुरीतियां थीं जिनमें मृत्युभोज मुख्य कुरीति थी, उस मृत्युभोज के संबंध में हम यह विधेयक पास करने जा रहे हैं। इसका समाज पर कितना असर होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि मृत्युभोज विधेयक हम पास करके राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत देंगे। राजस्थान के गरीबों में और अमीरों में सब में ऐसा झमेला था जिसका अंत होना बहुत जरूरी था। यह नाना प्रकार से गरीब जनता को कष्ट देता था और उनकी गरीबी बढ़ाने में सहयोग देता था। आज इसको कानूनी रूप देकर खत्म कर रहे है इसके लिए हम सब को खुशी है। लेकिन मैं साथ ही साथ दो शब्द इस विषय में जाहिर करना चाहता हूं। वे ये हैं कि जितने गरीब लोग हैं उन में सबसे ज्यादा आशा करता हूं कि शराब जैसी चीज को भी बंद करें। मृत्युभोज निवारण के साथ-साथ शराब बंदी के लिये भी एक विधेयक विधान सभा में लाया जाय ताकि वह राजस्थान की गरीब जनता के लिये लाभकारी सिद्ध हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-मु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १०, १५ साल के लगातार प्रयत्न के पश्चात् यह शुभ घड़ी आई है कि राजस्थान सरकार ने मृत्युभोज निवारण विधेयक सदन में पेश किया है, उसके लिए राजस्थान सरकार और माननीय राजस्व मन्त्री, जिन्होंने यह बिल पेश किया है, बधाई के पात्र हैं और मैं Other backwordclass और खास तौर पर शिड्यूल्ड कास्ट्स की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो समझ रहा था कि आप यहीं समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : नहीं, नहीं, यह तो मैंने पहले पहल कह दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन में पेश किया गया है, उसमें १०० आदमियों के लिए छूट दी गई है। वास्तव में देखा जाय तो ब्राह्मण का रास्ता तो खुला ही रखा है, (उनको जिमाने के लिए,) उनको तो कोई रोक है ही नहीं लेकिन धन्यवाद उनकी तरफ से है जो ब्राह्मण को जीमने के लिए बुलाते। नुक्ता प्रथा से हमारी अदर बैक वर्ड क्लास और शिड्यूल्ड कास्ट्स इसमें ज्यादा शिकार होते हैं। अगर शिड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी मर जाता है तो लोग उसको उकसाते हैं और कहते है १० मन के लड्डू करने पड़ेंगे। इसके साथ ही लोग कहते हैं हम शक्कर देते हैं, गुड़ देते हैं, घी देते हैं। महोदय, हमने बड़ी बड़ी सभाएं करके १०, १५ साल तक पब्लिक को जाग्रत किया और प्रस्ताव पास करके भेजे कि एक नुक्ताबन्दी का कानून बनाया जाय। आज हमारी पुकार सुनी गई है, हमारी आशा पूर्ण हुई है। मैं एक गीत जो सभाओं में सुनाया करता था सुनाता हूँ। वह यह था कि :--

पापी पंचो ने किया बरबाद
अरे निर्धन हमें बना दिया,
एक भाई का प्राण छूट गया,
बाल बच्चा बिल्लाई
कांधो लगावो छोड़ दियो
पर नुक्ता की बतलाई ॥१॥
पापी पंचो ने........

Page No.84

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मुझे याद आता है वह दिन, जब मैं सभाओं में यह सुनाया करता था । हमें खुशी है कि हमारी प्रार्थना पर गौर किया है । इस कुप्रथा के कारण हजारों हरिजनों का सत्यानाश होता चला जा रहा था और इस कारण बहुत से हरिजन राजस्थान छोड़ कर चले गये और दूसरे प्रान्तों में जाकर बस गये । क्या करें, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई धन्धा नहीं है, और यहां पर नुकते ने बुरी तरह जकड़ रखा था । अगर नुकता नहीं करें तो जाति में नहीं बैठने देते थे और जो लोग उधार दिया करते थे वे ब्याज चढ़ा चढ़ा कर परेशान करते रहते थे । खास तौर पर यह प्रथा जयपुर में ज्यादा थी, रास्तों में नुकते हुआ करते थे । अब मैं राजस्थान सरकार को और राजस्व मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आज इस प्रकार का कानून बनाया और सबसे बड़ा भलाई का कार्य किया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल । सिद्धान्त शास्त्रीजी की तरह संक्षिप्त भाषण हो तो अच्छा है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मृत्युभोज विधेयक जो सदन में विचाराधीन है, और शीघ्र ही जिसकी स्वीकृति सदन से होगी, मैं समझता हूँ यह राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन साथ ही यह भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज सुधार के कार्य, जिनके लिए मेरी, दूसरों की और बहुत से अच्छे-अच्छे विद्वानों की और हमारे सिद्धान्तों की यह मान्यता है कि समाज सुधार के कार्य हैं, वे कानून के जरिये, जहां तक हो, कम किये जाने चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम कानून के जरिये समाज का कार्य हाथ में लेंगे तो हमें पहले उसके पीछे की ऐतिहासिक भूमि देखनी पड़ेगी । जहां सरकार ने समाज सुधार का कार्य कानून के जरिये किया, तो उसका क्या नतीजा रहा और उसका कुछ हमें भी अनुभव है या नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ने कमाल पाशा का हवाला देते हुए कहा कि टर्की में घूंघट प्रथा हटाई । जहां तक मेरी जानकारी है, कमाल पाशा के जाने के बाद टर्की की क्या दशा हुई और प्रथा का क्या हुआ । मैं समझता हूँ कि कानून से हटाई प्रथा, कानून की सफलता कमाल पाशा के जाने के बाद नहीं रही । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मृत्यु भोज कानून का विरोध नहीं कर रहा हूँ । मैं जानता हूँ कि राजस्थान की मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा आर्थिक स्थिति में इस कानून की आवश्यकता समझी जा सकती है, यह अनिवार्य है लेकिन इस बात को हमें अवश्य मानना पड़ेगा कि यह समाज सुधार का कार्य है, इसके लिए समाज में वास्तविक क्रान्ति लाकर, समाज के अन्दर, लोगों के अन्दर, जनता के अन्दर इस बात की जागृति लाकर, कि वास्तव में मृत्युभोज एक कुरीति है, खराब चीज है, इसको छोड़ना चाहिए, इस प्रकार अगर यह मृत्यु भोज की प्रथा को समाज से दूर हटाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के लिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए वास्तव में सफलता की बात कही जा सकती है । आज मृत्युभोज विधेयक पास करना इस बात का द्योतक है कि सिवाय कानून के कुरीति को नहीं मिटा सकते हैं, इसलिए कानून बनाना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री शंकरलाल)

कि जहां तक मुझे स्मरण है, राजस्थान में जब फूड प्रोब्लम थी, जिस समय सप्लाइज की दिक्कत थी, उस समय एक कानून था कि कोई आदमी ५० आदमियों से ज्यादा को भोजन नहीं करवा सकता, वह मृत्यु भोज के लिए ही नहीं था, हर प्रकार के भोज के लिए लागू था। उसकी क्या दशा हुई ? उसके बाद भी भोज होते थे, यह होता था कि तहकीकात होती थी, लेकिन उससे उल्टा भ्रष्टाचार होता था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक के द्वारा पुलिस को यह कार्य सुपुर्द करना चाहिए और यह अधिकार देना चाहिए कि पुलिस ऐसे मामलों की जांच करे। मैं समझता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह एक और बुरी चीज होती, अगर उसे माना जाता तो मैं उसकी कभी मान्यता नहीं देता। जहां पर आप बल की ताकत पर, डंडे की ताकत पर समाज सुधार का कार्य करेंगे, तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कानून में गलियां निकल जाती हैं, तो कानून से बचने के लिए गलियां निकालने की कोशिश करें। मेरी मान्यता है कि इस विधेयक को जितने उत्साह से और जिस प्रकार के एनथूजियाज्म से पास किया है, उसमें जल्दी हुई है, इस विधेयक पर खंडशः विचार करते हुए जो जल्दी हुई और जल्दी विचार किया, उससे कई खामियां रह गई हैं। मैं समझता हूँ कि उसका बाद में असर मालूम पड़ेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि शहर के अन्दर इस मृत्युभोज को रोकने के लिए, जिस प्रकार गांव में पंच या सरपंच, लम्बरदार और पटवारी पर दायित्व रखा गया है, उसी तरह कानून के जरिये शहर में मृत्युभोज को रोकने के लिए म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और मेम्बर के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं रखा गया है। इससे यह होगा कि गांव वाले शहर में आकर मृत्युभोज करेंगे.......

श्री उपाध्यक्ष : This point has been enough beaten by the other Hon'ble Members.

श्री शंकरलाल : मैं कह रहा था, यह कानून गांवों में लागू होगा तो गांव के लोग शहर में आकर मृत्यु भोज करेंगे। इस कानून के अन्दर जो कमी रह गई है, उसके अलावा भी, मैं समझता हूँ कि यह जो विधेयक हम पास कर रहे हैं, इसका असर पड़ेगा ही इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर समाज सुधार के कानून बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अन्दर इतनी कुरीतियां फैली हुई हैं, जिनको अगर इस प्रकार कानून के जरिये दूर करना चाहेंगे तो क्यों नहीं उनके लिए कानून बनाया जाता है। गांवों के अन्दर एक चूड़ा प्रथा है, आपको मालूम है कि स्त्रियां चूड़ा पहनती हैं, उसमें २००, ३०० रुपये खर्च हो जाते हैं, शादी के टाइम पर अनिवार्य रूप से पहना जाता है, समाज में हम देखते हैं कि विवाह के समय २००, ४०० रुपये से लेकर री मेरिज के समय दो हजार और चार हजार तक शादी के लिये देने पड़ते हैं। अगर आप उनकी सामाजिक कुरीतियों पर जायेंगे तो देखेंगे उनकी इकानोमिक स्थिति खराब है और वे तम्बाकू के जरिये, और व्यसन के जरिये अपने समाज का स्तर गिराते जा रहे हैं।

३ म० प०

(श्री शंकरलाल)

तो ये जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, उनमें यह मृत्युभोज की प्रथा मिश्रित रूप से धार्मिक और सामाजिक प्रथा कही जा सकती है। मृत्युभोज के पीछे पृष्ठभूमि थी कि जब मृत्युभोज होता था तो उस जाति के लोग इकट्ठे होते थे। हो सकता है आज इकट्ठे होने में उस आदमी की कमर टूटती है, पर आज समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो समृद्धिशाली हैं जो सबको इकट्ठा करके खिलाना चाहें, जो उनके पास धन है, उसको जाति वालों में दूसरे लोगों में, व्यय करें वो भी इसके जरिये बन्द हो जायेगा। उनके लिये भी इस कानून में कोई रास्ता खुला नहीं। १०० आदमियों तक को मौसर में खिलाने की छूट है इस तरह के ख्यालात गलत हैं, इसमें यह रखा गया है कि मौसर तो हर तरह की बात का बन्द है, पर रिलिजियस राइट है उसके लिये प्रीस्ट और फेमिली मेम्बर्स को खिलाने के लिये छूट रखी है। इसके लिये राजस्थान सरकार को इस बात का प्रचार करना चाहिये कि १०० आदमियों तक को खिला कर मौसर करने की कोई छूट नहीं रखी गई है। जो पंडित हैं, प्रीस्ट फकीर हैं हैं, उनको भिक्षा के रूप में व अपने कुटुम्बियों को, फेमिली मेम्बर्स को खिलाने के लिये रखा है। तो इस तरह इस कानून में मृत्यु भोज में जो धार्मिक भावना थी उसको तो कायम रखा गया है और जो सामाजिक कुरीति थी उसको मिटाया है। यह इस कानून के श्रेय की बात है कि जहां पर सामाजिक कुरीति को हटाया है वहां धार्मिक भावना को कायम रखा है ताकि लोगों की धार्मिक भावना को ठेस न लगे। इस कानून के बनाने से किसानों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी वह आर्थिक स्थिति अवश्य सुधरेगी। पर ये सामाजिक बुराइयां केवल कानूनों के जरिये नहीं सुधार सकती, जैसे कि पिछला इतिहास बताता है। अतः सामाजिक सुधार के प्रचार और प्रसार के कार्य को सरकार अपने हाथ में ले........

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Shankarlal, I think this issue has been enough pressed by other members.

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि इस कानून को सफल बनाना है तो इस कानून के साथ साथ समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी काम है कि इस चीज को रोके और साथ ही साथ सरकार का भी उत्तरदायित्व है। वह केवल कानून बनाने से पूरा नहीं हो गया। सरकार के पास प्रचार के साधन हैं, उन साधनों के जरिये प्रचार करना चाहिये और इस बुराई के साथ साथ जो दूसरी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको मिटाने का प्रयास करे।

(श्री गोवर्धनसिंह केन तथा श्री पी० के० चौधरी के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : No., Mr. P. K. Chaudhary.

श्री गोरधनसिंह केन (बयाना—सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष मृत्युभोज बिल पर आज चर्चा हो रही है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि बिल बहुत महत्वपूर्ण है। पर हमारे माननीय सदस्यों ने सर-

(श्री गोरधनसिंह)

कार को बार-बार धन्यवाद दिया है, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने ऐसा कौनसा कार्य किया है, जिससे सरकार को धन्यवाद दिया जाय। जिस बिल को हम गरीबों के लाभ के लिये बना रहे हैं, उसमें गरीबों को लाभ एक पैसे का भी नहीं है बल्कि जो यह बिल बना रहे हैं उससे विधान सभा और सरकार द्वारा उस पर मोहर लगाई जा रही है कि जो गरीब लोग मृत्युभोज में चालीस, पचास आदमी बुलाते थे वहां १०० किया जा रहा है। जो ग्रामों के अशिक्षित व्यक्ति हैं वे समझेंगे कि १०० आदमियों को खिलाने की बात तो सरकार ने ही रखी है तो १०० आदमी क्यों नहीं करता। इस प्रकार जो गरीब आदमी १२ ब्राह्मण करके इस काम को कर देता तो अब वैधानिक, कानूनी रूप उनके सामने आयेगा कि १०० आदमियों तक तो सरकार की तरफ से छूट है तो १०० आदमियों के लिये उसे बाध्य किया जायेगा। हां, इस कानून से सरकार ने धनिकों के लिये जरूर फायदा किया है कि १०० आदमियों में १०० रुपयों का खर्चा करके अपनी मुक्ति पा लेंगे पर जो गरीब चालीस, पचास रुपया खर्च नहीं कर पाता, उसको १०० आदमियों के लिये खाना खिलाने को बाध्य किया जायेगा। अशिक्षित समाज, मजदूर समाज यह समझेगा कि १०० आदमियों के लिये तो सरकार ने ही मन्जूर कर लिया है तो तुम क्यों थोड़े आदमी करते हो, तो जिस बोझ को हम कम करना चाहते थे वह कम नहीं हो रहा है उल्टे सरकार उस पर मोहर लगा रही है। जो गरीब पिछड़ा हुआ समाज है उसके लिये हित की बात हमें करनी चाहिये थी पर इससे उसके अहित की बात हो रही है।

सरकार ने अब तक कानून बनाये उनमें से कौन से कहां तक काम में आये हैं, हमारे यहां बाल-विवाह निषेध का कानून है कि १४ साल की लड़की और १८ साल का लड़का हो तो विवाह होना चाहिये पर हम रोजाना देखते हैं कि दस-दस, बारह-बारह साल के लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती है, पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ठीक उसी तरह इसमें भी होगा। एक बाप के चार बेटे हैं और वे अलग अलग रहते हैं तो चारों बेटे अलग-अलग अपने बाप का कारज करना चाहते हैं तो क्या सरकार इसको रोक सकती है। इस प्रकार वे लोग ४०० आदमियों को जिमा सकते हैं, खिला सकते हैं। उसकी विधवा औरत है वह कहेगी कि मैं अपने पति का कारज करना चाहती हूं, लड़का भी कह सकता है कि मैं अपने बाप का कारज करूंगा और उसकी लड़की भी कह सकती है कि मैं अपने बाप का कारज करूंगी तो इस प्रकार की जो खराबी है, उसको इसमें से निकालना पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि गरीबों के लाभ की बात करते हैं पर इसमें गरीबों के लाभ की कोई बात नहीं आई है। कुछ समय पहले अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि मृत्युभोज बन्द हो जायगा तो गरीब समझते थे कि हमें फायदा होगा पर जब वे सुनेंगे कि १०० आदमियों के लिये सरकार द्वारा बिल पास कर दिया गया है तो उन गरीबों के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ेगा। तो राजस्व मन्त्रीजी को और सरकार को धन्यवाद दिया है, उन्हें मेरी समझ में धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है।

Page No.88

(श्री गोरधन सिंह)

श्री उपाध्यक्ष : You are indulging in repetitions. Please refrain from it.

श्री गोरधन सिंह केन : इसलिये श्रीमान्जी मैं यह निवेदन करूंगा कि मजदूरों को, गरीबों को राहत देने के लिये इसमें कुछ भी नहीं है, ४० पचास रुपया माहवार पाने वाले समाज के लिये इसमें कुछ करना चाहिये ।

(श्री पी. के. चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary can't we do away with the speeches now and allow the Government to reply.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Within five minutes I will finish.

श्री उपाध्यक्ष : Thank You. I think Mr. Chaudhary is the last Speaker.

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो पास होने जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और इस बिल को पायलट करने के लिए मिनिस्टर इन्चार्ज हैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । यह खुशी की बात है कि हम इस कानून को पास कर रहे हैं पर दुःख इस बात का भी है कि हमें एक सोशियल रिफोर्म समाज की अन्दरूनी व्यवस्था से करना चाहिये था, उसको हम कानून से ला रहे हैं। सोशियल रिफोर्म समाज की अन्दरूनी व्यवस्था है इसलिये सामाजिक सुधार समाज की अन्दरूनी व्यवस्था से होना चाहिये था, वह ज्यादा उपयुक्त रहता, किसी कानून के जरिये वह रिफोर्म लायें तो उतना असरकारक नहीं होता, इसकी मिसाल के रूप में शारदा एक्ट की बात मेरे पूर्व वक्ता ने रखी है।

हमने शारदा एक्ट पास किया लेकिन समाज इसके लिये इतना तैयार नहीं था। वह एक्ट पास हो गया मगर उसके पास होने के बाद भी हम देखते हैं कि लोग उसके प्रोविजन के खिलाफ जाते हैं । जहां तक मृत्यु भोज का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि इसके हक में एक वातावरण राजस्थान में कम से कम मौजूद है और इस प्रकार के लेजिस्लेशन के लिये जनता की तरफ से परसिस्टेन्ट डिमान्ड है । यानि समाज इस कानून को अपनाने के लिये तैयार है । आज तक जितने सोशियल लेजिस्लेशन आपने पास किये उसमें सबसे ज्यादा इसकी लोगों में मांग है । हमने प्रोहिबिशन का कानून पास किया और जहां जहां पर यह किया है वह फेल हुआ है और इसका कारण यह है कि वहां के जन मानस को हमने तैयार नहीं किया । लोग उसको बाईकाट करने को तैयार हैं । शारदा एक्ट में यही हुआ । जहां तक मैं समझता हूं कि आज मृत्यु भोज के लिये समाज ग्रहण करने के लिये तैयार है । मैं उम्मीद करता हूं कि यह कागजों पर हीं नहीं रहेगा बल्कि इम्पलीमेंट होगा और इसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह इसलिये होगा कि समाज में आज इसके फेवर में वातावरण तैयार हो गया है । मैं मानता हूं कि यह कानून इफेक्टिव रहेगा ।

अन्त में मुझे इस बात का अफसोस है कि यदि सब के सब माननीय सदस्य और जनसंघ और दूसरी पार्टी के लोग इन्ट्रेस्टेड हैं वे सब के सब इसमें भाग लेते तो ज्यादा

(श्री पी० के० चौधरी)

अच्छा रहता। इस बिल में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हो सकता है कि उनके कोई अर्जेन्ट वर्क हो और उस वजह से वे उसमें हिस्सा नहीं ले सकें। अच्छा होता वे हमारे साथ आवाज मिलाते और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देते।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the compliments that the Government has received need not any reply and so let there be a formal reply.

श्री नाथूराम मिर्धा : (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री—राजस्व मन्त्री की ओर से) : माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में आज आये हुए विधेयक को पास करने के प्रस्ताव के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया उनमें ज्यादातर सदस्य इस बिल के सपोर्ट में ही बोले और उन्होंने इस बिल की सराहना ही की है। कुछ माननीय सदस्यों ने दो तीन बातें कही हैं और खास तौर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फिर भी १०० आदमियों के खाने-खिलाने की बात रखी है उसमें सरकार ने एक प्रकार से छाप लगा दी। मैं माननीय उपाध्यक्ष, कहूंगा कि कुछ लोगों की भावना होती है कि ऐसे अवसर पर कुछ लोगों को खाना खिलाया जाए। इसके अलावा जिस समय किसी की मृत्यु होती है तो उसके पीछे मिलने के लिये भी लोग आते हैं और ठहरते हैं उनको खाना खिलाते हैं। उसके बाद कुछ धार्मिक सेरिमनीज होती हैं उनको लोग करते हैं। ऐसी सूरत में घर के और सारे रिश्तेदार मिलकर १००, ५० हो ही जाते हैं। उनको इस कानून में प्रोटेक्शन दिया गया है। इसकी मंशा यह है कि लोग जितना करना चाहें करें और बेकार का कोई खर्च न किया जावे तो मैं यह कहूँगा कि इसमें छाप लगाने की कोई बात नहीं है। अगर वह चाहे तो कम कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। जो प्रैक्टिकेबल उसके लिये हो सकता हो वह करे बाकी यह कोई कम्पलशन नहीं है कि वह १०० आदमियों को ही भोजन कराए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कुछ भी खर्च नहीं करते और बहुत से ऐसे भी हैं जो करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन इस हद तक लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक पहले भी आ सकता था। पिछले ५ या ७ वर्षों में हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों ने मिलकर वातावरण तैयार किया कि मौसर की प्रथा खराब है और इससे किसानों को और दूसरे लोगों को बहुत नुकसान होता है। यह उपयुक्त समय है और यह बिल आवश्यक था और वह आज पास भी होगा। इसके प्रचार के बारे में सरकार अपने तरीकों से जितना प्रचार और लोगों को ज्ञान करा सकेगी करायेगी और दूसरे जो भी सदन के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी जितना किया जा सकता है किया जायेगा और दूसरे लोग भी इसमें पूरा सहयोग देंगे। इससे राजस्थान की गरीब जनता और लोगों को बहुत लाभ होगा और उन लोगों का बहुत सा पैसा है वह इस काम में न लगकर उपयोगी काम में लगेगा। ऐसी स्थिति में जो कुछ बातें इस बिल के विषय में कही गई हैं वे चारों तरफ से सराहनीय हैं। मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता और इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसका इम्पलीकेशन सब की सहायता और सहयोग से अच्छा होगा।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९" को संशोधित रूप से पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक १४ दिसम्बर १९५९ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ३ बजकर १७ मिनट पर सोमवार दिनांक १४ दिसम्बर १९५९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, दिनांक ११ दिसम्बर, १९५९)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के उत्तर	२३७५	ग्राम आमेसर (भीलवाड़ा) के काश्तकारों की गिरफ्तारी एवं उनके साथ ज्यादतियां।	
तहसील चाकसू के अध्यापकों को यात्रा बिल पास करके पेमेन्ट किया जाना।		झुंझुनूं में लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने में गड़बड़ी।	
लालसोट में मांवले कुए के पास के क्षेत्र के पानी को रोक कर बांध बनाना।		कोटा जिले के वैल मैकेनाइज्ड कृषि फार्म।	
बीकानेर-डूंगरगढ़ सड़क का निर्माण कार्य।		खटीक सम्मेलन, सांभर।	
सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गये पेड़।		आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, जयपुर।	
टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में प्राइवेट विद्यार्थियों का प्रवेश।		भूतपूर्व कोटा स्टेट के वाटर वर्क्स विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन।	
कठपुतली नृत्य सम्मेलन, उदयपुर।		जयपुर-देहली रूट पर काम में ली गई सरकारी बसेज।	
रिश्वतखोरी पर नियन्त्रण हेतु अधिकारी की नियुक्ति की मांग।		तहसील बड़ौद (कोटा) में नहर खुदाई करनेवाले मजदूरों की बकाया मजदूरी।	
जहाजपुर में ब्लॉक, तहसील तथा बीज गोदाम के लिये बनाए जा रहे भवन।		अलसीसर (झुंझुनूं) में एन० ई० एस० ब्लॉक खोलने की मांग।	
धौलपुर सब-डिविजन में डकैती की घटनाएं।		झुंझुनूं जिले को भाखरा से मिलनेवाली बिजली।	
कोटा जिले में खरीफ अभियान की दृष्टि से उठाये गये कदम।			

Page No.92

पुलिस थानों के रोजनामचों में नोट की जानेवाली खतरनाक व्यक्तियों की गतिविधियां।

अलसीसर ब्लॉक (झुंझुनू) के गांवों में उपलब्ध खारे पानी की समस्या को सुलझाया जाना।

अलसीसर झुंझुनू में जानवरों के अस्पताल की मांग।

सिरोही जिले के लिये इर्रिगेशन डिविजन।

संचालक, पशु पालन व प्रिंसिपल, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना।

धौलपुर कोर्ट बिल्डिंग के सामने स्थित बाग की व्यवस्था।

मैट्रिक या उससे अधिक योग्यतावाले अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड देने की व्यवस्था।

विभिन्न कार्य (activities) शुल्क।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। २३५७

श्री भोलानाथ, सभापति ने वन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

विधायी कार्य

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९ २३५७

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव जो दिनाङ्क २२ अगस्त, १९५९ को प्रस्तुत किया गया था, आज स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ व ३—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।
खण्ड ४—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४ ए व ५—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

(खण्ड ६--प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया।)

खण्ड ६ ए—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(खण्ड ७--प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया।)

खण्ड ७ ए—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।
(खण्ड ८--प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया।)

खण्ड ८ ए—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ९—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १०—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ११—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १२—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और नाम—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया, पारित किया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये—

१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
२. श्री मोहरसिंह
३. श्री सम्पतराज
४. श्री जनार्दनराय नागर
५. श्री हरिप्रसाद यादव
६. श्री रामदान
७. श्री गिरधारीलाल
८. श्री भीमसेन
९. श्री मोतीलाल चौधरी
१०. श्री बालमुकुन्द
११. श्री हरीशंकर सिद्धांत शास्त्री
१२. श्री शंकरलाल
१३. श्री गोवर्धनसिंह केन
१४. श्री पी० के० चौधरी

सरकार की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, द्वारा उत्तर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

सोमवार, दिनाङ्क १४ दिसम्बर, ५९ की कार्य सूची—

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६७ का उत्तर देखिये)

सूची, उन व्यक्तियों की जिनको ऋण मंजूर हुआ

क्रम संख्या	नाम	विवरण
१	२	३
१.	श्री हनुमानसिंह मिस्त्री	३,५०० रुपया स्वीकृत धनराशि
२.	श्री मगराज शर्मा	१,००० रुपया ,, ,,
३.	श्री गंगाराम सैनिक, चपरासी	२,००० रुपया ,, ,,
४.	श्री हनुमानप्रसाद, चपरासी	१,००० रुपया ,, ,,
५.	श्री मनोहरलाल, चपरासी	२,००० रुपया ,, ,,
६.	श्री महावीरप्रसाद शर्मा, क्लर्क	३,००० रुपया ,, ,,
७.	श्री सेडूमल पुजारी, क्लर्क	३,००० रुपया ,, ,,
८.	श्री किशोरीलाल जोशी, क्लर्क	३,००० रुपया ,, ,,
९.	श्री भंवरलाल गुप्ता, क्लर्क	२,००० रुपया ,, ,,
१०.	श्री रामदेव सैनिक	१,००० रुपया ,, ,,
११.	श्री वल्लभाराम, चपरासी	२,००० रुपया ,, ,,
१२.	श्री घडसीराम, चपरासी	२,००० रुपया ,, ,,
१३.	श्री भाईबक्स खटीक	२,५०० रुपया ,, ,,
		३०,००० रुपया

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८६ का उत्तर देखिये)

DIRECTORATE OF EDUCATION, RAJASTHAN
NOTICE

Applications are invited latest by 25th of June, 1959, for admission to B. Ed. Training Colleges at Bikaner and Ajmer for the session commencing from July, 1959, from candidates who are at least graduates and who are between 20 and 24 years of age on July Ist. Relaxation in upper age limit is allowed upto 5 years to ladies, scheduled castes and scheduled tribes candidates. Stipends of Rs. 40/- is granted with free tuition provided a bond of service for 5 years is filled up. Aided institutions may also send their teachers for training. Details and admission forms may be had from the Principals of Training Colleges, Inspectors of Schools, and Dy. Directors of Education on payment of a fee of As. -/8/- by postal order.

Addl. Director of Education,
Rajasthan, Bikaner.

LIST OF THE PRIVATE CANDIDATES ADMITTED DURING THE SESSION 59-60 IN THE GOVERNMENT TEACHER'S TRAINING COLLEGE-AJMER.

Sl. No.	NAME	Date of Birth.
1	2	3
1.	Shri Radhey Shyam Gupta	3-8-37
2.	Miss Kanta Gambhir	20-10-37
3.	Mrs. Kailash Kumari Raina	29-7-32
4.	Miss Krishna Sharma	26-12-32
5.	Miss Prem Jaiswal	2-11-37
6.	Miss Syed Zohra Bano	1-9-35
7.	Miss Raj Kumari Sharma	21-11-33
8.	Miss Shashi Bala Rohatgi	10-2-36
9.	Kumari Shiela Romana, Parker	12-10-36
10.	Mrs. Shakti Bhalotia	20-7-35
11.	Miss Sushila Alred	3-8-36
12.	Miss Ivy Dias	8-11-38
13.	Miss Safia Iraqui	30-1-37
14.	Shri Ratan Singh	4-8-35
15.	„ Kanti Swaroop Sharma	1-4-36
16.	„ Raghubir Singh	4-7-37
17.	„ Krishna Kumar Sud.	31-8-38
18.	„ Purshottam Das Sachdeo	23-12-36
19.	„ Man Singh Bhandari	19-11-35

1	2	3
20.	Shri Om Prakash Sharma	26-5-39
21.	,, Madan Gopal Goyal	13-4-36

46 candidates (private) applied for the admission to the B. Ed. Course in Teacher Training College, Ajmer. Out of which 21 candidates were selected. Out of the rest 25 candidates applicants from 3 were received late and therefore not considered. 13 were under age and 9 were overage and therefore rejected.

GOVERNMENT TEACHERS TRAINING COLLEGES, BIKANER.

List of Private candidates with date of Birth who were selected for B. Ed. Training for the Session 1959-60.

S. No.	NAME	Date of Birth.
1	2	3
1.	Shri Satya Narain Solanki	1-7-37
2.	Miss Prem Verma	10-6-38
3.	Shri Jagat Narain Shukla	1-7-40
4.	,, Triloki Nath Mital	1-10-37
5.	,, Jitendra Nath Sharma	13-1-37
6.	Shrimati Surendra Kaur	4-1-35
7.	Shri Raj Nath Chaube	21-11-36
8.	Miss Prabha Bhatnagar	31-1-36
9.	Shri Mahesh Swaroop	2-11-35
10.	Miss Achla Sharma	11-10-38
11.	Shri Om Prakash Upadhyay	2-6-36
12.	Shrimati Raj Dulari	13-7-31
13.	Shrimati Prabhavati	10-11-33
14.	Shri Rajendra Mohan Bhatnagar	2-5-38
15.	Shri Rajendra Kumar Puri	21-7-35
16.	Miss Lakhbir Kaur	29-4-37

1	2	3
17.	Miss Prem Kumari Mehna	22-8-40
18.	Miss Ramesh Kohli	24-11-34
19.	Shri Keshav Dev Paliwal	20-6-37
20.	Shrimati Prem Lata Garg	6-5-32
21.	Miss Sarojini Saxena	11-11-35
22.	Shrimati Taravati	10-5-37
23.	Shrimati Kanta Malhotra	24-11-34

128 candidates (Private) applied for the admission to the B. Ed. course in Teachers Training College, Bikaner out of which 24 candidates were selected by the Committee, appointed by the Government for the purpose. After wards one candidate left the College.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

APPENDIX "A".

S. No.	DISTRICT	1955	1956	1957	1958	1959	GRAND TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dungarpur	—	—	—	1	—	1
2.	Sirohi	—	—	—	2	1	3
3.	Jhunjhnu	—	1	—	1	2	4
4.	Sawai Madhopur	1	7	—	1	1	10
5.	Jhalawar	1	2	—	4	4	11
6.	Bhilwara	1	—	1	2	1	5
7.	Bharatpur	2	2	—	4	5	13
8.	Pali	1	3	—	5	5	14
9.	Barmer	—	—	1	1	—	2
10.	Nagaur	—	2	1	2	2	7
11.	Ajmer	—	1	—	—	2	3
12.	Sikar	—	2	—	1	1	4
13.	Bikaner	—	1	2	6	2	11
14.	Alwar	—	1	2	3	3	9
15.	Churu	—	-	-	2	2	4
16.	Tonk	—	—	—	1	—	1
17.	Bundi	—	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Jaisalmer	—	—	1	—	—	1
19.	Kota	5	6	4	7	7	29
20.	Jalore	2	—	—	—	1	3
21.	Chittorgarh	1	3	2	4	3	13
22.	Ganganagar	3	2	1	5	7	18
23.	Jodhpur	6	8	6	4	3	27
24.	Udaipur	4	8	5	8	8	33
25.	Jaipur	15	18	12	8	12	65
	GRAND TOTAL.	42	67	39	72	72	292

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिये)

NAMES OF PERSONS ARRESTED WITH DATE OF ARREST AND BAIL AND SECTION STAND UNDER WHICH ARRESTED.

1. Shri Rusha					
2. „ Dudha	On 27-4-1959	u/s 147	148/435	IPC—	By Police.
3. „ Rewta	„	„	„		„
4. „ Gopal	„	„	„		„
5. „ Pabudan	„	„	„		„
6. „ Hazari	„	„	„		„
7. „ Mayaram	2[illegible]-4-59	u/s 147/148/435 IPC.			
8. „ Khema	-do-				
9. „ Hira	„				
10. „ Hardeva	„				
11. „ Onkar	„				
12. „ Nima	„				
13. „ Chittar	„				
14. „ Basna	„				
15. „ Bhaturbhy	„				
16. „ Balu	„				
17. „ Bakhtawar	„				
18. „ Jawana	„				
19. „ Jairam	„				
20. „ Nama	„				
21. „ Kumar	„				

22. Shri Asu	1-5-59		
23. ,, Mitho	26-5-59		
24. ,, Deva	,,	148/149/435/440 IPC.	4 to 7th
25. ,, Kana	,,		June, 59
26. ,, Mangu	,,		by
27. ,, Nanda	,,		Sessions
28. ,, Harlal	,,		Judge,
Action u/s 512 Cr P. C. :—			Bhilwara.
29. Shri Labada.			

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८६ का उत्तर देखिये)

RATES OF ACTIVITIES FEES CHARGED FROM THE STUDENTS OF CLASSES IX, X & XI AT NEW RATES.

S. No.	NAME	Games fee	Library fee	Reading room fee	Magazine fee	Union fee	Entertainment fee	Handwork fee
1.	Govt. Girls H. S. School, Ajmer.	-/6/- p. m	1/- p.a.	2/- p.a.	1/- p a.	1/- p.a.	1/- p.a.	6/- p.a.
2.	Govt. Girls M. P. H. S. School, Beawar.	-/6/- p. m.	1/- p.a.	2/- p.a.	1/- p.a.	1/- p.a.	1/- p.a.	6/- p.a.
3.	Govt. H. S. School, Jodhpur.	-/6/- p. m.	1/- p.a.	2/- p.a.	1/- p.a.	1/- p.a.	1/- p.a.	6/- p.a.
4.	Govt. H. S. School, Jaipur.	-/6/- p. m.	1/- p.a.	2/- p.a.	1/- p.a.	1/- p.a.	1/- p.a.	6/- p.a.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN EDUCATION 'B' DEPARTMENT

No. F. 20 (2) Edu/B/55   Dated 6. 7. 57

ORDER

In supersession of Government orders Nos. F. 20 (14) Edu/II/54, F. 16(9)Edu/II/50, dated 24. 6.51 and 12. 6. 50 and all other orders on the subject. the Governor has been pleased to order as follows :—

1. Education will be free in all Government educational institutions upto and including class VIII.
2. As to classes above VIII, tuition fees will be charged at the rates given in the enclosed statement. No. S I in all Government educational institutions including those of erswhile Ajmer State.
3. As regards girl students studying in Government Educational institutions, the rate of tuition fees will be at half the rates of those levied for male students.
4. Besides the tuition fees the rate for other charges will be as given in the enclosed statement II. This will apply equally to male and female students.

The New schedule of fees comes into force from the 1st July, 1957.

Sd/-Mohinder Singh
Dy. Secretary to Government.

No. F. 20 (2) Edu/B/54   Dated :—

Copy forward to :—

1. The Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Principals of all post Grauate & Degree colleges in Rajasthan.
3. Dy. Directors of Education.
4. Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur.
   for information and necessary action.
5. Copy with one spare copy forwarded to the Supdt. Government Central Press, for arranging publication in the next issue of the Rajasthan Rajpatra.

Sd/-Mohinder Singh
Dy. Secretary to Government.

STATEMENT No. I

STATEMENT SHOWING TUITION FEE WHICH WILL BE CHARGED IN ALL GOVT. SCHOOLS AND COLLEGES IN RAJASTHAN WITH EFFECT FROM 1-7-57.

CLASSES	Tuition fees per month.		
HIGHER SECONDARY			
Class IX	Rs.	3/-	P. M.
Class X	„	3/8	P. M.
Class XI	„	4/-	P. M.
COLLEGS			
Ist Year	„	6/-	P. M.
2nd Year	„	6/-	P. M.
3rd Year	„	8/-	P. M.
4th Year	„	8/-	P. M.
5th Year	„	12/-	P. M.
6th Year	„	12/-	P. M.
Research Scholars	„	15/-	P. M.
Law	„	12 -	P. M.

Sd/- B. N. MATHUR,
Asstt: Secretary to Govt.

———

STATEMENT No. II

STATEMENT SHOWING FEES OTHER THAN TUTION FEES WHICH WILL BE CHARGED IN ALL GOVERNMENT SCHOOLS AND COLLEGES IN RAJASTHAN FROM.

1—7—57

S. No.	Particulars	College Section	School Section
1	2	4	3
1.	Admission Fee		
	(a) Institution	2/-	1/-
	(b) Hostel	2/-	1/-
2.	Seience Laboratory Fees.		
	(a) Physics (b) Botany (c) Chemistry (d) Zoology	2/- P.M.	-8-0 P. M.
3.	Commerce (Typewriting Fee	1/- P. M.	-8/- P. M.
4.	Games Fee	1/- P. M.	-/6/ P. M.
5.	Library Fee	2/- P. A.	1/- P. A.
6.	Reading Room Fee)	4/- P. A.	2/- P. A.
7.	Leaving Certificate	2/-	1/-
8.	Duplicate copy of (7)	1/-	-/8/-
9.	Magazine Fee	3/- P. A.	1/- P. A.
10.	Union Fee	2/- P. A.	1/- P. A.
11.	Entertainment fee	2/- P. A.	1/- P. A.
12.	Handwork Fee	—	-/8/- P. M.
13.	Caution money (Refundable)	10/-	5/-
14.	Examination Fee	2/- Per Exam.	1/- Per Exam.

1	2	3	4
15.	Practicals fee for Ex-students.	Tution fee plus as in (2) above.	
16.	Hostel		
	(a) Room Rent single seated	7/- P. M.	3/- P. M.
	(b) ,, ,, others	5/- P. M.	2/- P. M. Per-seat
	(c) Light and Water Charges	1/- P. M.	-/8/- P. M.
	(d) Coomon room fee	2/- P. A.	1/- P. A.
	(e) Utensils fee	-/4/- P. M.	-/2/- P. M.
	(f) Caution money (refundable)	5/-	5/-

B. N. Mathur,
Asstt. Secretary to the Government.

COPY OF LETTER NO. P. 20 (2) Edu/B/53 DATED 2. 8. 57 FROM THE EDUCATION SECRETARY, RAJASTHAN, JAIPUR TO THE DIRECTOR OF EDUCATION, RAJASTHAN

Office bearers of the various students unions waited on the Chief Minister, Rajasthan and submitted that a number of students fined it difficult to pay fee-tuition and other fees-at a time because it amounts to a sufficiently big sum. They requested that fees which are paid for specific activities and are spent by the College/School authorities in consultation with the students may be revised.

It would have been in fitness of things if other fees as prescribed by the Government recently were available to school and college authorities for arranging games, libraries and reading rooms and such other activities which now form an important part of the Educational Programme.

Government have considered this question of other fees and feel that if in a particular institution the Headmaster or Principal of that institution in consultation with students finds that the boys are not in a position to pay fees at the enhanced rate he may charge fees at the old rates i. e; these prevalent before July, 1957, or at the rate as agreed upon between Headmaster and students between the old rates and newly prescribed rates on any of the following items. The old rates are the minimum which have to be charged and the newly prescribed rates are the maximum and the ideal ones and the Heads of the Institutions can fix the rates of any item between the two rates. The Headmasters of Higher Secondary Schools are authorised to determine these rates with the prior concurrence of the Dy. Director concerned and in the case of Inter College with the prior consent of the Director of Education. This order will cover the following items of fees only.

(1) Games fee (2) Library Fee (3) Reading Room fee (4) Magazine fee (5) Union Fee and (6) Entertainment Fee.

Sd/-S. P. Singh Bhandari,
Sacretary to the Governmeut.

Statement for item No. 3 of the S. Q. No. 1/CM asked by Major Fateh Singh.

A sum of Rs. 4,848.49 was collected as activity fee during the session 1958-59 in the Government Girls M. P. H. S. School, Beawar. Details showing income and expenditure for each type of activity fee are given below :—

S. No.	Type of activity fee.	Income during the session.	Expenditure during the session.
1	2	3	4
1.	Library.	306.00	58.39
2.	Games	1,416.70	1,014.27
3.	Reading Room	639.00	88.58
4.	Magazine	314.64	—
5.	Union	312,00	190.05
6.	Entertainment	348,15	398.67
7.	Hand work	1 512.00	66.55

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण ११ दिसम्बर, १६५६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२१७७	६	पुरोहत	पुरोहित
२१७६	१	बीका र	बीकानेर
२१८०	अन्तिम	सब्जेक्टिव	सब्जेक्टिव
२१८४	अन्तिम से ११	ला-इन्कम	लोइन्कम
२१८६	१ और ५	ब्रैल	बैल
२१६०	अन्तिम से६	द्वारा	सारा
२१६७	,, ,, १०	ब्यक्त	व्यक्त
२१६८	,, ,, १०	श्री रामकिशोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
२१६६	,, ,, १३	वटनाओं	घटनाओं
२२०२	११	काया	कराया
२२०४	अन्तिम ४	bə	be
२२०८	३	श्री मती सन्तवत कौर	श्रीमती सतवन्त कौर
२२०६	१२	बज	बजट
२२१०	१	लगा	लगाये
२२१०	अन्तिम से८	श्री रामकिशोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
२२१३	?	सवन्ध	सम्बन्ध
२२१६	२	Stoped	Stopped
२२२०	अन्तिम	दसरे	दूसरे
२२२१	३	निर्मण	निर्माण
२२२१	अन्तिम से ६	श्री भैरोंसिं	श्री भैरोंसिंह
२२२४	१०	(श्री राकिशोर व्यास	(श्री रामकिशोर व्यास)
२२२७	७	उन्हीं	उन्हीं
२२२७	अन्तिम से ७	श्री रामकशोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
२२२६	१४	महदय	महोदय
२२४१	१२	श्री नथराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२२४२	८	Ofcure	Of course
२२४७	अन्तिम से ४	जी ह	जी हां

१	२	३	४
२२४८	अन्तिम से ८	of	or
२२५०	अन्तिम से ७	Persous	Persovs
२२५०	अन्तिम से १५	elaised	realised
२२५२	,, १०	Sated	stated
२२५२	,, ३	oonour's	honour's
२२६६	अन्तिम से २	become	becomes
२२६७	१२	disference	difference
२२७२	शीर्षक	विवरण	निवारण
२२७२	४	हते	होते
२२७६	अन्तिम	utilise	utilised
२२८०	अन्तिम से ६	bs	be
२२८१	१४	पेमेन्ट	रिपेमेन्ट
२२८४	११	discrepency	discrepancy
२२८८	१०	principal	principle
२२८६	अन्तिम से ५	allagd	alleged
२२६०	अन्तिम से ४	eome o	come to
२२६०	अन्तिम	e	the
२३०४	१५	खामयाजा	खमियाजा
२३३५	१	परिवार	परिवार
२२३६	१३	कहगा	कहूँगा